Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ७ } द्वितीय विधान सभा के सातवें सत्र का १५ वां दिवस { संख्या ११

सोमवार, दिनांक १४ दिसम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक प्रातः ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[आबकारी एवं कर, सामान्य प्रशासन, ...स्व, शिक्षा, कॉलोनाइजेशन तथा ...क्त—विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । ३१७ । श्री पी० चौधरी ।

बिक्री-कर के प्रयोजनार्थ रजिस्टर की गई निर्माणकारी संस्थाएँ

१७. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state:-

1. Will the Minister place at the ...le of the House a list showing ...names and addresses of the manu- ...uring concerns producing cycle ...cycle parts, sewing machines, wire nails and nettings, nuts and bolts which have so far been registered in the State for the purpose of sales tax and have got sales tax numbers ?

2. What is the amount of sales tax for which each of them has been assessed for the last three years and what is the amount of tax which has been actually realised from each of these parties ?

उप-मंत्री, आबकारी (श्री सम्पतराम) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) उपरोक्त सूची के कॉलम ६ व ७ में आंकड़े दर्ज हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री पी० के० चौधरी : Why the Assessment for the year 1958-59 has not been made ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): He has not followed.

श्री पी० के० चौधरी : For the year 58-59, assessment has not been made. अब तक क्यों नहीं किये ? यह जो लिस्ट दी गई है उसमें किसी कम्पनी के ५८—५९ में—not a single company has been assessed.

Page No.2

श्री सम्पतराम : कौन सी कम्पनी का मतलब है ?

श्री पी० के० चौधरी : किसी कम्पनी को।

श्री सम्पतराम : Assessment progress must be continuing at that time.

श्री पी० के० चौधरी : I have asked for the information as to in how many companies, assessment has been made. In some Companies, assessment for even 1956 has not been made. But here not a single company has been assessed for the year 1958-59.

श्री सम्पतराम : There must have been some reasons for which it might not have been done.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : That is what actually the Hon'ble Member has asked. What are the reasons ? Why this assessment has not been made ?

श्री सम्पतराम : So many enquiries are to be made. There might be some reasons. I don't exactly know.

श्री श्रीमानसिंह : It is not the question. There might be some certain reasons but what are those reasons ?

श्री सम्पतराम : I don't exactly remember what are the reasons but there are so many enquiries, which are to be made.

श्री श्रीमानसिंह : यह तो ऐसा ही है जैसा परसों पार्लियामेंट में कहा था कि रेलवे में क्राइम्स हो रहे हैं वह जनरल वेव है। That is a general wave in the country. I don't remember but there must be some reasons वही रीज़न्स पूछे जा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि याद नहीं है फिर क्या पूछा जावे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Ordinarily assessment for 58-59 should have been finalised. So far as this discussion is concerned, you have to adopt certain procedure and until that procedure is completed, you cannot assess.

श्री पी० के० चौधरी : Why not the company of Jodhpur City assessed for 58-59 ? Assessment has not been made yet.

श्री सम्पतराम : There may be certain reasons but I don't know what are the reasons.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या साइकिल इन्डस्ट्रीज को एसेस करने के बारे में लोहे का कोटा दिया जाता है ?

श्री सम्पतराम : यह अलग प्रश्न है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या जब सेल्स टैक्स का प्रश्न है तो इसको भी कोटा दिया जाता है और इसका भी केस कन्सीडर किया जाता है ?

श्री सम्पतराम : सब को कन्सीडर करते हैं।

प्रश्न संख्या ३१८

श्री अध्यक्ष : मेजर श्री फतेहसिंह।

अनुपस्थित–(कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३१९

रावराजा श्री सरदारसिंह।

अनुपस्थित (कृपया आगे देखिये)

श्री रामनारायण वर्मा।

राजस्थान शिक्षा विभागीय संस्कृत परीक्षाएं

३२०. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान शिक्षा विभागीय संस्कृत परीक्षाएं प्रवेशिका, उपाध्याय, शास्त्री तथा आचार्य का परीक्षाफल प्रायः कौन सी तिथियों को निकला करता है ?

(२) इस वर्ष प्रवेशिका परीक्षा का परीक्षाफल कब निकला ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) शिक्षा विभागीय संस्कृत परीक्षाफल प्रायः जुलाई के प्रथम सप्ताह अथवा उसके एक दो दिन बाद तक निकल जाया करता है।

(२) इस वर्ष सन् १९५९ में प्रवेशिका परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक ९ जुलाई १९५९ को निकला था।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्याय, शास्त्री का भी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें सिर्फ इस वर्ष प्रवेशिका परीक्षा का परीक्षाफल कब निकला, यही पूछा गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामनारायण वर्मा।

श्री सूरजमल शहना (दीगोद) के साथ एस० डी० ओ० द्वारा ज्यादतियां

३२१. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि श्री सूरजमल ब्राह्मण शहना, तहसील दीगोद, जिला कोटा लगभग १३ जून से एस० डी० ओ०, कोटा के यहां रोटी बनाने का कार्य कर रहा है ?

(२) क्या यह भी सही है कि एस० डी० ओ० श्री सूरजमल को कपड़ा धोने के लिए भी मजबूर करते हैं ? क्या ऐसा न करने के अपराध में जुलाई मास में कार्य करते हुए भी उसकी ९ दिन की तनख्वाह काट ली ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त शहना को वेतन तहसील दीगोद से मिल रहा है ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री सम्पतराम) :

(श्री सम्पतराम)

(१) जी नहीं। श्री पाथूलाल (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) को बिना स्वीकृति लम्बी अनुपस्थिति के कारण दिनांक ११-६-५९ से श्री सूरजमल को तहसील दीगोद से बुलाया गया है।

(२) जी नहीं। श्री सूरजमल को कभी इस कार्य के लिए बाध्य नहीं किया गया, अतः इस कारण तनख्वाह काटने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी हां। स्थानान्तरण के आदेश प्रचलित न करने के कारण ही वेतन तहसील दीगोद से लिया जाता है।

(४) यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि श्री सूरजमल से रसोई बनाने व कपड़े धोने का काम नहीं लिया गया है।

(५) श्री सूरजमल को दिनांक १०-११-५९ से पुनः तहसील दीगोद में कार्य करने हेतु भेज दिया गया है जहां से ११-११-५९ से काम कर रहे हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : किस पद पर है और क्या काम करता है ?

श्री सम्पतराम : चपरासी है।

एक माननीय सदस्य : श्री सूरजमल कौन जाति का है ?

श्री शंकरलाल (रायपुर) : फोर्थ क्लास सर्वेन्ट से घर पर गजेटेड ऑफिसर्स काम न करायें, इसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री सम्पतराम : इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर रखे हैं।

श्री शंकरलाल : काम लेते हैं तो फिर क्या व्यवस्था की है ? आज्ञा निकाल दी गई है। यदि उसका पालन नहीं होता है और समय समय पर सदन में भी इस प्रकार की आपत्ति उठाई गई है; तो फिर क्या व्यवस्था है। छोटे ऑफिसर्स तक या तो आदेश पहुंचाते नहीं या उनका पालन नहीं करते ?

श्री सम्पतराम : यदि शिकायत सामने आती है तो फिर एक्शन लिया जाता है।

प्रश्न संख्या ३२२

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

अनुपस्थित (कृपया आगे देखिये)

श्री रामनारायण वर्मा।

श्री ओमप्रकाश, ऑफिस कानूनगो, कालोनाइजेशन (अन्ता) की शिकायतों के विरुद्ध जांच के परिणाम

३२३. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०) : क्या कॉलोनाइजेशन मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि श्री ओमप्रकाश ऑफिस कानूनगो, कॉलोनाइजेशन, तहसील अन्ता, जिला कोटा अप्रैल मास में ग्राम रामपुरा, तहसील अन्ता से फी घर ।।) व १) रु० नौताड़ के नाम से काश्तकारों से लाये थे ?

(श्री रामनारायण वर्मा)

(२) क्या सरपंच, तहसील पंचायत, जनता द्वारा इसकी शिकायत हुई ?

(३) क्या यह भी सही है कि श्री ओमप्रकाश ने माह जुलाई के टी. ए. बिल पर तहसीलदार श्री हिम्मतसिंह व सुपरिन्टेण्डेण्ट के जाली दस्तखत बना दिये थे ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि जब से आप कानूनगो बने हैं तब से स्टोर एवं स्टेशनरी आपके हाथ में है और स्टोर के सामान का आप उपयोग करते हैं, जिसका कोई चैकिंग नही हो रहा है ?

(५) क्या यह भी सही है कि आप ३ माह के पटवारी थे और अन्य पुराने पटवारियों को कानूनगो का स्थान न देकर आपको दिया गया ?

(६) यदि हाँ, तो क्या डाइरेक्टर कॉलोनाइजेशन ने उक्त शिकायतों की जांच की ? यदि हां, तो परिणाम क्या रहा ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) :(१) डाइरेक्टर, कॉलोनाईजेशन, कोटा इस मामले की जांच कर रहे हैं।

(२) जी नहीं।

(३) इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है ?

(४) इस विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। स्टोर्स का चैकिंग हो चुका है।

(५) जी हां, क्योंकि श्री ओमप्रकाश और पटवारियों के मुकाबले में बी. ए. तक शिक्षित हैं।

(६) इस सम्बन्ध में शिकायतों की जांच की जा रही है। श्री ओमप्रकाश को मुअत्तिल किया जाकर चार्ज शीट दी जा चुकी है। जांच जारी है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी।

विदेशों में भेजे गये सरकारी व गैर-सरकारी व्यक्ति

३२४. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) पिछले तीन वर्षों में सरकारी व गैर सरकारी कितने व्यक्ति (राजस्थान) सरकार की ओर से विदेशों में भेजे गये ?

(२) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा वे किस उद्देश्य से तथा कितने कितने समय के लिए दूसरे देशों को भेजे गये ?

(३) क्या वे सरकारी व्यय पर गये थे ? यदि हां, तो प्रत्येक पर अलग अलग कितना धन व्यय हुआ ?

(४) क्या उन व्यक्तियों ने लौट कर, जिस उद्देश्य के लिए उनको बाहर भेजा गया था उसकी पूर्ति सम्बन्धी अथवा अपने प्रवास काल के विवरण या प्रतिवेदन के रूप में सरकार के समक्ष कोई चीज प्रस्तुत की ?

(५) यदि हां, तो उनकी प्रतिलिपियां सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

Page No.6

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(६) यदि नहीं, तो सरकार को यह कैसे विदित होगा कि उन्होंने निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) २४।

(२) उपरोक्त व्यक्ति जिन जिन उद्देश्यों से जिन जिन देशों को भेजे गये थे तथा जितने समय के लिये भेजे गये थे तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) उपरोक्त व्यक्ति जैसे जैसे व्यय पर गये थे वह प्रश्न २ के उत्तर में दी गई तालिका में अंकित है। इनमें से केवल श्री रमाकान्त शर्मा व पी. के. लोरिया ने अपना स्वयं खर्चा दिया है। आन्तरिक व्यय टी. ए. आदि राज्य सरकार ने दिये हैं।

(४) उनमें से केवल ५ व्यक्तियों ने समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की है। इनमें से १४ व्यक्ति अभी लौट कर नहीं आये हैं। ५ ने रिपोर्ट नहीं दी है।

(५) प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

"यह सूचना अगस्त, १६५६ तक की है। यदि सदस्य महोदय आगे की भी सूचना जानना चाहते हैं तो वह एकत्रित की जाकर पेश की जा सकती है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(६) राज्य सरकार द्वारा हाल ही में आदेश जारी किये हैं कि प्रत्येक विदेश में जाने वाले व्यक्ति को अपने प्रवास काल के सम्बन्ध का एक विवरण सरकार को देना अनिवार्य होगा।

(प्रवास काल के विवरण से सम्बन्धित सूचना विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : What was the purpose of sending Dr. Rattan to a foreign country ? the socalled dentist. Who has played another fraud ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पिछले तीन वर्षों में जिनको भेजा गया उनकी लिस्ट दे दी गई।

श्री श्रीभानसिंह : तो क्या यह माना जाय कि डॉ० रतन फौरेन कन्ट्री में नहीं गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : He was sent definitely but he was recalled.

श्री श्रीभानसिंह : What were the reasons for his recalling ? Before he left this country, did he possess the requsite qualifications for going to foreign country ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is another question.

श्री श्रीभानसिंह : इसमें आता है। It is covered ... ...

श्री दामोदरलाल व्यास : His name does not cover ......

Page No.7

श्री श्रीभानसिंह : It is a very pertinaned question ......

श्री दामोदरलाल व्यास : Listen to me. That information is not available with me now. I want notice for that.

श्री श्रीभानसिंह : Why notice ? This question covers his name also.

श्री दामोदरलाल व्यास : Whether he was recalled or asked to leave that country that is another question. But he was sent by the Rajasthan Governmenet and therefore his name must be ......

श्री श्रीभानसिंह : First part of the question covers it.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said.

श्री श्रीभानसिंह : Sir, the Government is suppressing the information.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not suppressing. It is an experession of the information that information is not with me.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Minister has accepted that he was recalled. What are the reasons for his recalling back ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That information is not with me.

श्री श्रीभानसिंह : Then how do you know that he was recalled ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Becaus I also live in Rajasthan. But that information is not with me and if you want to have that information, you may give a notice.

श्री श्रीभानसिंह : Was it as a result of the Cabinet decision that he was recalled ? फिर इसको कल आॅन्सर किया जाय क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है। माननीय डॉक्टर बाहर जाते हैं और उनके लिए यह सूचना है कि गलत क्वालिफिकेशन्स बताते हैं। डॉक्टर उनको रिकमन्ड करते हैं, वे क्वालिफिकेशन्स बाहर जाने पर नहीं मिलती हैं। He was sent back because he did not possess the requisite qualifications.

श्री शंकरलाल (रायपुर) : गत तीन साल में गये तो लिस्ट में नाम होना चाहिये ?

श्री श्रीभानसिंह : वे गये हैं। भेजे गये हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The information is being suppressed.

श्री शंकरलाल : अगर गये हैं और लिस्ट में नाम नहीं है तो the list is wrong.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): जो भी बाहर भेजे गये हैं और जिस उद्देश्य के लिए भेजे गये हैं तो लिस्ट में उनका नाम होना चाहिये।

Page No.8

श्री दामोदरलाल व्यास : आप लिस्ट को देख लीजिये और जिसके लिए पूछना चाहते हैं उसके लिए पूछ लीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास : आप यह बतायें कि जिन उद्देश्यों के लिए भेजे गये उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जिसके लिए पूछ रहे हैं, जिनके लिए पूछना चाहते हैं उनके लिए पूछिये। I cannot answer the hypothetical question. लिस्ट दे दी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या मिसेज़ नारायणी को विदेश भेजा गया था ?

श्री अध्यक्ष : लिस्ट दी है उसमें नाम है या नहीं, देख लीजिये ?

डॉ० चंद्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : नाम इसमें नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिनके नाम हैं उनके अलावा I can only say that he must not have been sent.

श्री पी० के० चौधरी : Can the Hon'ble Minister give us an idea as to how many people were sent but not included in this list ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have every name—all should have been included.

श्री पी० के० चौधरी : How many have notb een included ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Generally every......

श्री श्रीभानसिंह : Did you name Shri Rattan ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said Sir, that he went but he was recalled, as the purpose for which he was sent......

श्री श्रीभानसिंह : What was the purpose and under what circumstances he was recalled ? He went for some training there.

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't know under what circumstances he was recalled ? Perhaps he did not satisfy certain conditions and requisite qualifications that were required.

श्री श्रीभानसिंह : But why was it not seen before he was sent ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that I have not got that information.

श्री अध्यक्ष : He has said that he has not got this information.

श्री दामोदरलाल व्यास : If he wants to do some service to some one—to give information......

श्री श्रीभानसिंह : I want to do service to the Government.

Page No.9

श्री मुरलीधर व्यास : तीन वर्ष के अन्दर कौन कौन गये ? इसके अन्तर्गत मैंने पूछा था कि श्रीमती नारायणी का नाम है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नाम दे दिये, लिस्ट दे दी है, देख लीजिये।

श्री शंकरलाल : लिस्ट में नाम आ जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट देख लीजिये, उसमें नाम है या नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : मिसेज नारायणी किस उद्देश्य से भेजी गई ?

श्री पी०के० चौधरी : २४ संख्या बतायी गई है। १४ के लिए कहा नहीं आये। पांच ने विवरण दिया है, पांच ने क्यों नहीं दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले ऐसा नियम नहीं था। अब ऐसा नियम है और मैंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में आदेश जारी किये गये हैं कि विदेश में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रवास काल के सम्बन्ध का विवरण सरकार को देना अनिवार्य होगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : तो क्या जिन लोगों पर खर्चा सरकार करती थी उनसे लौट कर आनेवालों से यह भी नहीं पूछा जाता था कि जिस उद्देश्य से वे भेजे गए उसकी पूर्ति भी हुई या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो ट्रेनिंग के लिये जाते थे वे सर्टिफिकेट लेकर आ जाते थे। यही उद्देश्य था और सर्टिफिकेट से वह पूरा हो जाता था। पर अब हमने स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन दिये हैं कि वे इत्तला करें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Who is Mrs. Narayani ?

श्री दामोदरलाल व्यास : You have got the list.

श्री पी० के० चौधरी : We have not got.

श्री शंकरलाल : Who is the authority and what is the procedure for sending people to foreign country ?

श्री पी० के० चौधरी : Whether Mrs. Narayani's name is there ?

श्री दामोदरलाल व्यास : List has been placed.

श्री पी० के० चौधरी : Just like Ratan, her name must be missing.

श्री दामोदरलाल व्यास : Mrs. Narayani's name is not there.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कुछ ने अपने पास से खर्चा दिया है, कुछ ने सरकार से लिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप मेहरबानी करके स्टेटमेन्ट जो पेश किया गया है उसके कॉलम मुलाहिजा फर्माइये तो पता लगेगा कि किस किसका कितना कितना खर्चा किस किस ने बर्दाश्त किया है और जिसका नहीं दिया गया है उसकी वजह भी दर्ज है।

Page No.10

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसमें कइयों ने अपने जाने का उद्देश्य ही नहीं बताया है जैसे श्रीमती डांडिया, श्रीमती लालानी। इसमें लिखा है कि—information could not be collected, कि किस पर्पज से वे भेजे गये।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : बिना उद्देश्य के उद्देश्य से भेजे गये थे।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : No. 10— Shrimati C. K. Dandia-Head Mistress, Her disignation is Head Mistress Kamla Nehru Higher Secondary School, Jaipur. Information could not be collected about the purpose. She has not returned- She was as a matter of fact deputed by the United Educational Foundation in India......

डा० चन्द्रकला : Information about the purpose is not available.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not available at present with me ......

ज्यादातर क्या है, कोई न कोई भारत सरकार या अन्य सरकार की स्कीमों के अन्तर्गत गये हैं कि उसके लिये यहां वाले या यहां के मुलाजिम भी जो एप्लाई करते हैं उनको वे ही सलेक्ट करके भेजते हैं। इसमें राजस्थान सरकार का न खर्चा होता है न सलेक्शन करना उसके हाथ में है।

डा० चन्द्रकला : पर पर्पज तो होगा कोई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ठीक है। पर अवेलेबल होता तो बता देता।

श्री पी० के० चौधरी : The list is very wrong. He replies that Mrs. Dandia has not returned and I know that she has come.

श्री दामोदरलाल व्यास : Might have come, it is not necessary.

श्री पी० के० चौधरी : She came two years back.

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : You will never be satisfied.

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न एक में स्पष्ट लिखा है कि विदेशों में कौन कौन सरकारी कर्मचारी भेजे गये, जब उसके अन्तर्गत पूछ रहे हैं कि श्रीमती नारायणी का नाम है या नहीं तो आप या तो कहें हां या ना। इसमें या तो आप गलत हैं या पूछनेवाले गलत हैं।

श्री अध्यक्ष : इसकी वे जांच कर लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : लिस्ट सही है। गई होगी तो तीन वर्षों में नहीं गई होगी, यह हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट सही होती तो डॉक्टर रतन का नाम भी होता।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : He was withdrawn ?

श्री अध्यक्ष : He was send atleast ? भेजे तो गये थे न।

श्री श्रीभानसिंह : पर या तो डॉ० रतन के बारे में फिर दूसरा दिन रखा जावे या आज ही बताया जावे। Because it is a very serious question Sir. The man who has brought disrepute to the Nation in a foreign country; did not possess the requisite qualifications and he was send by the Government of Rajasthan, to foreign. This should not be treated so mildly. The Hon'ble Minister should state the reasons and clarify the position.

श्री अध्यक्ष : आप इनके लिए यदि इन्फॉर्मेशन हो तो दे दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : डॉ० रतन के लिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनका नाम भी नहीं है। He can give notice and ask for the information that he desires. मैटर तो यह है कि अलग क्वेश्चन पूछ लेते और मुझे आप इसके लिए नोटिस देते।

श्री श्रीभानसिंह : प्रश्न में पूछा है कि आपने किन किन को किस किस उद्देश्य से भेजा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पर रतन के लिए यह है तीन वर्षों से पहले चले गये हों यह हो सकता है। पर That is a fact that he was sent and he was recalled. अब यदि चाहते हैं इस पर बहस हो तो पहले भी इस पर बहस हो चुकी है। क्या वजह थी, क्या ढंग था, क्या क्वालिफिकेशन थी, उनकी इस क्वालिफिकेशन को कैसे चैलेन्ज किया गया। Every information has been supplied previously, and the Hon'ble Member wants still, he can table a separate question and I want a separate notice.

श्री श्रीभानसिंह : नोटिस की क्या जरूरत है, यह प्रश्न उसे कवर करता है ?

श्री अध्यक्ष : इन्फॉर्मेशन कलेक्ट तो करनी ही पड़ेगी।

श्री पी० के० चौधरी : This question can be deferred.

श्री दामोदरलाल व्यास : He went to Foreign country. I only say he did go. But when did he come, I can't say that.

श्री जयसिंह राणावत (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने बताया कि ये विदेशों में गये उनसे रिपोर्ट मांगी गई है, तो जो जाकर आ गये हैं उनसे भी मांगी गई है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। और आवेंगे तब आगे से भी देंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जो गये हैं और जिन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है वे भी देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। They must submit a report. जिन्होंने नहीं दी है वे भी देंगे, उनको भी देनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

Page No.12

श्री पी० के० चौधरी : This was not decided Sir.

श्री अध्यक्ष : You give a separate notice for that question.

श्री पी० के० चौधरी : We will not be able to get the answer during this Session.

श्री अध्यक्ष : But the Government wants notice for that.

श्री पी० के० चौधरी : Notice was sufficiently given, previously......

श्री अध्यक्ष : That matter has been discussed in this House.

श्री पी० के० चौधरी : It has not been discussed.

श्री अध्यक्ष : All these facts were discussed. Next Question please.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित--नेक्स्ट । कृपया आगे देखिये)

सुखसागर (सोजत) के बेरे की बारानी जमीन को चाही दर्ज करके बिघोड़ी वसूल किया जाना

३२६. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची-सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सोजत सिटी के चक नम्बर २, खसरा नम्बर १३१५ में सुखसागर नाम का एक गैर वापी का बेरा है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त बेरा पहले वापी का था और सेटलमेंट विभाग में इसकी बिघोड़ी लगान बारानी जमीन की किस्म होना दर्ज है ? यदि हां, तो किस दर से, कितनी बिघोड़ी खातेदारी में दर्ज है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त बेरे की जमीन को चाही जमीन दर्ज करके बिघोड़ी वसूल हो रही है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा, कब, किस आधार पर और किस रेट से ?

(४) क्या यह भी सही है कि उक्त बेरे के मौजूदा काश्तकारान द्वारा सरकार को यह रिपोर्ट पेश की गई है कि पटवारी और दरोगा ने मिल कर चाही जमीन किस्म दर्ज की है और उसकी मौके पर पड़ौस के काश्तकारान की जमीन की किस्म और पर्चा लगान आदि की जांच की जाये ? यदि हां, तो कब और किस अफसर द्वारा जांच की गई और उसने एस. डी. ओ. सोजत को क्या रिपोर्ट दी और एस. डी. ओ. ने क्या कार्यवाही आज तक की ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम): (१) जी नहीं । सरदार सागर नाम का बेरा मिसल बन्दोबस्त में है, सुखसागर नाम का नहीं । सन् १९५३ से बेरा वापी करार दिया गया है।

(२) सम्वत् १९९७ में सेटलमेंट हुआ था उस समय इस जमीन को किस्म चाही गोयम माइन्स मुस्तकिल दर्ज किया गया है। इसकी दर २) रु० प्रति बीघा वापी रेट है । यह

(श्री सम्पतराम)

बेरा सम्वत् २००९ तक खातेदारी में दर्ज नहीं है।

(३) सेटलमेंट रेकॉर्ड में सम्वत् १९९७ से चाही सोयम माइन्स मुस्तकिल दर्ज है। जब तक दूसरा सेटलमेंट नहीं होगा तब तक जमीन की किस्म यही रहेगी। इसी किस्म के अनुसार गैर चाही रेट २)रू० प्रति बीघा रकम वसूल हो रही है। यह वसूली सेटिलमेंट सम्वत् १९९७ के आधार पर हो रही है।

(४) जी नहीं। काश्तकारान की दरख्वास्त पर तहसीलदार की जांच पर एस. डी. ओ. ने कागजात दाखिल दफ्तर कर दिये क्योंकि इस बेरे के पास चाही रकबा व बारानी रकबे के खेत आये हुए हैं। इस भूमि की किस्म माफिक बन्दोबस्त दर्ज है। उसी के माफिक रकम इन खेतों से वसूल होती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयपुर नगर में अधिक वर्षा से हुई जन-धन की क्षति एवं उस हेतु दी गई सहायता

३२७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) इस वर्ष जयपुर नगर में किन किन बस्तियों में अधिक वर्षा के कारण जन व धन की क्षति हुई ?

(२) नगर की चारदीवारी के बाहर की बस्ती 'नाहरी का नाका' का बांध क्या इस वर्ष टूटा है ? यह बांध इससे पूर्व कब बांधा गया था और इसमें कितना व्यय राज्य सरकार ने किया था ?

(३) वर्षा की अधिकता के कारण जिन बस्तियों को क्षति हुई उन्हें क्या सरकार ने कोई आर्थिक व अन्य सहायता दी है ? यदि हां, तो किस बस्ती में, कितना कितना रुपया, किस किस प्रकार वितरण किया गया है ?

(४) क्या 'नाहरी का नाका' के बांध टूटने से समीपस्थ बस्ती में कोई क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या उस बस्ती के निवासियों को कोई आर्थिक व अन्य सहायता दी गई है ? यदि हां, तो किस मात्रा में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) क्या चांदपोल दरवाजे बाहर की जालुपुरा बस्ती में भी उक्त बांध के टूट जाने से कोई क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या उन्हें कोई सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (१) इस वर्ष जयपुर नगर में अधिक वर्षा से बड़ोदिया, जालूपुरा, सिन्धी कॉलोनी एवं घाट दरवाजा चौकड़ी में मकानों के गिरने से चार लड़कों की मृत्यु हुई व काफी कच्चे मकान गिर गये ?

(२) इस वर्ष बांध 'नाहरी का नाका' नहीं टूटा बल्कि इससे निकाली गई एक नहर की दीवार का एक नाका टूट गया था। यह बांध इससे पूर्व सन् १९५८—५९ में बांधा गया था जिसमें सरकार ने ३,५६५) रुपया व्यय किया था ?

(३) जी हां। जिन बस्तियों में वर्षा की अधिकता के कारण हानि हुई है उन्हें सरकार

(श्री मुरलीधर व्यास)

ने सहायता दी है । यह सहायता निम्न बस्तियों में दी गई है :

१–बड़ोदिया में बाबूजी का अहाता १,२७७)रू० २–जालूपुरा में ५७३)रू० ३–सिन्धी कॉलोनी में ७१२) रु०

इसके अतिरिक्त नगर की अन्य बस्तियों में भी कुछ सहायता दी गई है । इस तरह कुल सहायता २,७७१) रू० की दी गई है ।

(४) 'नाहरी का नाका' बांध इस वर्ष नहीं टूटा । नहर की एक दीवार टूटने से समीपस्थ बस्ती को कोई विशेष क्षति नहीं हुई । अतः सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(५) जी नहीं । नहर के टूटने से जालूपुरा बस्ती में कोई क्षति नहीं हुई ।

श्री मुरलीधर व्यास : बच्चों की मृत्यु हुई उनके घर वालों को भी कुछ सहायता दी गई ?

श्री सम्पतराम : नहीं, कोई सहायता नहीं दी गई । पर गवर्नर के यहां से कोई अमाउन्ट देना तय हुआ था पर उन्होंने लेना स्वीकार नहीं किया ।

श्री मुरलीधर व्यास : रकम कम होने की वजह से ? क्या रकम देनी तय की थी ?

श्री सम्पतराम : रकम के बारे में तो जानकारी मुझे नहीं है । पर कुछ देना तय किया गया था । पर पेरेन्ट्स ने लेने से इन्कार कर दिया था ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सहायता वह थी ?

श्री सम्पतराम : कह चुका न कि इसके अमाउन्ट्स की जानकारी मेरे पास नहीं है ।

प्रश्न संख्या ३२८

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३२९

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट ।

तहसील चाकसू के एल० डी० सीज का फिक्सेशन

३३०. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

क्या यह सच है कि तहसील चाकसू के कुछ एल. डी. सीज. का अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : जी हां ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बजार जयपुर): यह क्यों नहीं हुआ अभी तक ?

श्री सम्पतराम : ऐसे तीन आदमी हैं । उनकी रिपोर्ट पूरी नहीं होने के कारण विलम्ब हुआ है । सिटी मजिस्ट्रेट उसकी कार्यवाही कर रहे हैं । इनके स्टेटमेंट पास होने के लिए ट्रेजरी में भेज दिये गए हैं । वे २४-११-५९ को भेज दिये गये हैं और श्री मालचन्द्र का फिक्सेशन के मुताबिक बकाया वेतन दिया जा रहा है ।

डा चन्द्रकला : फिक्सेशन में देर होने के क्या कारण हैं ?

श्री सम्पतराम : मैंने कारण बता दिये।

प्रश्न संख्या ३३१

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

नेक्स्ट।

साम्यवादी कार्यकर्ता श्री मदनलाल की शिक्षा विभाग में नियुक्ति

३३२. महारावल श्री हुकमसिंह [जैसलमेर श्री दलपतसिंह 'आबू' द्वारा पूछा गया]: क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि ग्राम भोजासर, तहसील रतनगढ़, जिला चुरू में श्री मदनलाल नामक एक साम्यवादी कार्यकर्ता को अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति ने पूरे जुलाई मास में अपने दल का प्रचार कार्य किया व स्कूल में कार्य नहीं किया फिर भी उपस्थिति दर्ज की ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति के राजनीति में भाग लेने से गांव में दो दल बन गए हैं जिससे स्कूल भवन आदि विकास कार्यों में रुकावट आ गई है ?

(घ) क्या यह, भी सही है कि उक्त अध्यापक के विरुद्ध ग्रामीणों के साथ अनैतिक व असभ्यतापूर्ण व्यवहार की भी शिकायत है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) श्री मदनलाल पुराने अध्यापक हैं और स्थानान्तर पर ग्राम भोजासर भेजे गये हैं। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ये अध्यापक साम्यवादी कार्यकर्ता हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : तो क्या यह अध्यापकों को सरकार की ओर से ऐसे आदेश नहीं है कि वे किसी पार्टी के सदस्य नहीं हों ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आदेश क्या सर्विस की कन्डीशन में यह है कि वे किसी भी पोलीटिकल पार्टी के साथ एसोशियेट नहीं कर सकते हैं।

डा० चन्द्रकला : तो क्या श्री मदनलाल साम्यवादी पार्टी के सदस्य नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जवाब दिया जा चुका है।

प्रश्न संख्या ३३३

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम बासोतिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३३४

श्री धर्मपाल पंवार।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ३३५

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित--कृपया आगे देखिए)

श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री देवेन्द्रकुमार शाह, शिक्षक, महाराजा मल्टीपर्पज हायर सेकन्डरी स्कूल, जयपुर की मुअत्तिली का केस

३३६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि श्री देवेन्द्रकुमार शाह, शिक्षक, महाराजा मल्टी पर्पज हायर सेकन्डरी स्कूल, जयपुर को सन् ५७ में मुअत्तिल किया था ? यदि हां, तो किस कारण से ?

(२) क्या उन्हें इसके पहले चार्जशीट दी गई थी ? यदि हां, तो कब और उसका जबाब उन्होंने कब दिया था ? कृपया चार्जशीट व उसके उत्तर की कॉपी सदन की मेज पर रखें ।

(३) उनके जबाब के बाद में भी उन्हें कब तक मोअत्तिल रखा ?

(४) क्या यह सत्य है कि २ वर्ष तक मुअत्तिल रहने से हैरान होकर उन्होंने आत्मघात कर ली ? यदि नहीं, तो उनकी मौत कब व कैसे हुई ?

(५) मौत के समय उनकी आयु क्या थी ?

राजस्व-मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) जी हां । राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने के कारण ।

(२) चार्जशीट मुअत्तिल करने के पहले नहीं वरन् पश्चात् दिनांक १३-२-५८ को दी गई थी । इसका जबाब उन्होंने दिनांक १९-२-५८ को दिया । चार्जशीट व उसके उत्तर की कॉपी सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) वे मरते समय तक मुअत्तिल ही रहे ।

(४) उनकी मृत्यु दिनांक ३१ अगस्त, सन् ५९ ई० को हुई । यह सन्देह किया जाता है कि वह जहर खाने का (बारबीटुरल पोइजनिंग) केस था । यह नहीं कहा जा सकता कि दो वर्ष तक मुअत्तिल रहने से हैरान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली ।

(५) मृत्यु के समय उनकी आयु लगभग २६ वर्ष की थी ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न के नं० १ में कहा गया कि राजनैतिक गतिविधियों के के कारण से उनको सस्पेन्ड किया गया था तो वे राजनैतिक गतिविधियां क्या थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह गवर्नमेंट सर्वेन्ट होते हुए भी पोलीटिकल पार्टी की एक्टीविटीज में भाग लेते थे ।

श्री मुरलीधर व्यास : किस प्रकार से भाग लेते थे तथा किस पार्टी के अन्दर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर ।

Page No.17

श्री मुरलीधर व्यास : क्या वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके संबन्ध में ज्यादा इन्फ़ॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। इस प्रकार की इन्फ़ॉर्मेशन स्टेट के इन्ट्रेस्ट से डिसक्लोज़ नहीं की जा सकती हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : एक आदमी की मृत्यु हो गई और आप कहते हैं कि वह राजनैतिक क्षेत्र में काम करता था, तो सरकार के पास क्या रिपोर्ट है उसके बारे में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : राजनैतिक गतिविधियों के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में उनका एसोसियेशन था। उनकी क्या एक्टीविटी थी, उनको मैं डिसक्लोज़ नहीं कर सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : किसी प्रकार की रिपोर्ट आ जाय तो उस आदमी की एक्टीविटीज़ की छानबीन होनी चाहिये थी कि क्या काम करता था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : छानबीन होकर ही एक्शन लिया गया है। बगैर छानबीन के एक्शन नहीं लिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : वे सदन के सामने बताई जायं कि उनकी क्या एक्टीविटीज़ थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको स्टेट के इन्ट्रेस्ट में डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह समझ में नहीं आता है कि इसके अन्दर कौन सा काम उसने ऐसा किया था, ऐसा कौन सा षड्यन्त्र उसने इस प्रकार का किया था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो बताई जाय ताकि मैं भी समझ लूं कि इस प्रकार की एक्टीविटीज़ थी। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार का कोई स्टेट का इन्ट्रेस्ट है। वह बतला दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : That can not be disclosed.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आपने उनको मोअत्तिल करके छानबीन की if it was established that he was associated with a political party, why he was not terminated, why he was suspended ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon'ble Member should know that on a preliminary enquiry, we can suspend we cannot terminate. After that we hold euquiry.

श्री पी० के० चौधरी : How long this preliminary enquiry went on ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have given all the dates, when he was suspended and when terminated, etc.

श्री पी० के० चौधरी : It means for two years the enquiry could not be completed.

श्री दामोदरलाल व्यास : You can infer whatever you want.

Page No.18

डॉ॰ चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इतने लम्बे अर्से तक सस्पेन्ड रखने का क्या कारण था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Because the charges were so that they required a lot of documentary evidence and all that.

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझ नहीं सका कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई । उसके खिलाफ़ बहुत भारी चार्जेज़ आप यहां सदन में कह दें तो ठीक बात है कि इस प्रकार से सदन के अन्दर नहीं बताया जा सकता । हमारी समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार के कौन से चार्जेज़ हैं, इस प्रकार से कौन सा उसने षड्यन्त्र किया था कि उसको मोअत्तिल किया गया । मोअत्तिल करने के नियम भी इस प्रकार के हैं कि मोअत्तिल करने के पहले आप चार्ज शीट देते हैं । लेकिन यहां पर चार्जशीट ५ महीने के बाद दी गई और उसको पहले ही मोअत्तिल कर दिया । तो इन्क्वायरी करने के बाद चार्ज शीट देने के पहले ही उसको मोअत्तिल किस प्रकार से कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : मोअत्तिल करने के लिये चार्जशीट की आवश्यकता नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : Charge-sheet is given after suspension.

श्री पी॰ के॰ चौधरी : The whole issue is that if a person was associated with a political party, and it is evident since you get it from C. I. D's report etc. you can terminate his service. What is there for having enquiry for two years ? And before you arrive at a decision, the man dies.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said.

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या वे साम्यवादी पार्टी के सदस्य थे ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई ।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं नं॰ ४ पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ । इन्होंने कहा कि चार्जशीट दे दी गई और उसने जवाब भी दे दिया तो उसकी इन्क्वायरी करके उसको मृत्यु तक डिस्चार्ज क्यों नहीं किया और मोअत्तिल ही क्यों रखा ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जवाब दे दिया ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि यह बड़ी लम्बी इन्क्वायरी थी । कई डॉक्युमेन्ट्री इन्वेस्टीगेशन करना बाकी था, इसलिये समय लग गया है । यह उत्तर वे दे चुके हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : सस्पेन्ड करने से पहले इस प्रकार की सारी इन्क्वायरी करके इस प्रकार का करते ।

श्री अध्यक्ष : सस्पेन्ड करने से पहले एक सरसरी जांच होती है । चार्ज देने के बाद डिटेल्ड इन्क्वायरी होती है । उस पर वे कह रहे हैं कि समय लग गया ।

श्री मुरलीधर व्यास : जवाब देने के बाद में इस प्रकार का समय लग गया, दो साल का समय इस प्रकार से लग गया तो क्या उसको इस प्रकार से कुछ नहीं दिया जा सकता था सस्पेन्शन पीरियड में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : He was getting his subsistence allowance.

श्री गिरधारीलाल : क्या वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई ।

बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में खरीफ व रबी की फसलों का लगान एक साथ वसूल करना

२३७. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में खरीफ या रबी की फसलों के अनुसार अलग लगान कायम किया गया है ?

(२) यदि हां, तो प्रत्येक खरीफ व रबी की फसल में कितनी रकम वसूल की जायेगी ?

(३) अगर नहीं तो दोनों फसलों का लगान एक साथ किस आधार से १६ आने तक मान कर वसूल किया जाता है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (१) जी, हां केवल जिला डूंगरपुर में ।

(२) जिला डूंगरपुर में दो किश्तों में लगान निम्न प्रकार वसूल होता है:—

खरीफ	५,७०,४६४ रुपये
रबी	२,१२,५२७ रुपये

जिला बांसवाड़ा में मुख्य फसल खरीफ होने के कारण एक ही किश्त में गत बन्दोबस्त के अनुसार कुल लगान वसूल होता है । मगर अब तहसील कुशलगढ़ में हाल के बन्दोबस्त के अनुसार सम्वत् २०१६ से दो किश्तों में लगान वसूल किया जायेगा ।

(३) जिला बांसवाड़ा में मुख्य फसल खरीफ ही मानी जाती है इसलिए वहां के गत बन्दोबस्त के अनुसार दिसम्बर व जनवरी में एक ही किश्त में वसूली की जाती है ।

श्री हीराभाई : सरकार किस आधार पर दो फसलें अलग अलग मानती है । क्या इसको जांच की गई ? खरीफ की फसल की अलग से जांच पहले से की जाती है और दूसरी रबी की फसल की जांच बाद में की जाती है और लगान वसूल किया जाता है तो आपको २ फसलों का अन्दाज कैसे लग सकता है ?

श्री सम्पतराम : मैंने एक जिले का बताया है बांसवाड़े का जहां कि आम तौर से केवल खरीफ की फसल ही होती है । उसका लगान एक मुश्त में लिया जाता है । बाकी जगह ऐसा नहीं होता है ।

श्री हीराभाई : कुशलगढ़ में आपने अलग अलग लगान निर्धारित किया है ।

श्री अध्यक्ष : लैंड रेवेन्यू के अन्तर्गत एक मुश्त लगान वसूल कर सकते हैं या दो दफे में करना चाहिये ।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जब सैटिलमेंट हुआ तो सैटिलमेंट के अन्दर यह टर्म था कि कितना लगान खरीफ पर वसूल होगा और कितना रबी के अन्दर वसूल होगा। रेन्ट रेट के वक्त में यह किया जाता है, उसको लागू करते हैं। लैंड रेवेन्यू के तहत अब राजस्थान में जितने भी नये सैटिलमेंट हुए हैं उनकी रेट्स खरीफ की और रबी की अलग अलग हैं। बांसबाड़े में जब सैटिलमेंट हुआ था तो उस समय यह तरीका नहीं था और जो एक तारीख निश्चित थी उसमें वह लगान वसूल किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : उसमें एक ही तारीख है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री हीराभाई : कुशलगढ़ में जब कि अलग अलग लगान वसूल करने की नीति निर्धारित कर ली है और जब नया सैटिलमेंट हुआ ५६ में तब से ये अलग अलग दरें सरकार ने निर्धारित की हैं तो वह जो है अब दो साल हो गये हैं उनसे एक ही मुश्त लगान वसूल किया जा रहा है। तो क्यों नहीं उनसे अलग अलग वसूल किया जाता है। अलग अलग निश्चित किया जाता है और एक मुश्त में वसूल किया जाता है तो फिर अलग अलग दरें निर्धारित करने से फायदा क्या ? इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये।

श्री सम्पतराम - प्रश्न यह है कि माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने बताया कि सैटिलमेंट ऑपरेशन्स हुए ये उसमें जो जो टर्म्स और फाइनल एप्रूवल गवर्नमेंट का हुआ उसके अनुसार वसूल हुआ। जिसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं वह १९५६ में दुबारा सैटिलमेन्ट हुआ और उसमें दोनों फसलों में ही लगान वसूल करने की व्यवस्था है इसलिए दोनों में ही वसूल किया जाता है।

श्री हीराभाई : मैं निवेदन कर रहा हूं कि पट्टा वगैरह तो गई साल से लागू हो गया और वसूली का ऑर्डर हो गया है जो पुराने हिसाब से लगान वसूल किया जा रहा है उसी के मुताबिक मानपत्र भी दिया है। इसलिए मुझे कहना है कि रबी की फसल का ठिकाना नहीं है तो दोनों फसलों का लगान किस आधार पर वसूल किया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य का कहना यह है कि सैटिलमेंट होने के बाद में पिछले साल एक मुश्त लगान वसूल क्यों किया गया। लेकिन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है कि जहां खरीफ की फसल ज्यादा होती है और उसके अन्दर ही ज्यादा लगान देने की सहूलियत लोगों को होती है इसलिए हो सकता है दोनों किश्तों का लगान एक ही में जमा करा दिया हो। हां, किसी के साथ जबरदस्ती से वसूल किया गया हो तो कोई स्पेसिफिक केस माननीय सदस्य देते तो अच्छा था कि गई साल क्यों किया गया।

श्री अध्यक्ष : अब तो आप व्यवस्था कर देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पर्चा लगान में लिखा होता है। ज्यादा अच्छा होता यदि माननीय सदस्य स्पेसिफिक कम्पलेन्ट को रख देते। इससे सदन को भी ज्यादा सुविधा मिल जाती।

श्री हीराभाई : पट्टे में साफ लिखा है कि रबी में ६ आना और उसमें (खरीफ) में १० आना है और मानपत्र में पूरा रुपया है। अगर आपने यह फर्माया कि डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ कानून होगा उसी के अनुसार वसूली की है तो सैटिलमेंट की जो दरें निर्धारित की हैं तो वह सैटिलमेंट नहीं माना जायेगा अगर सैटिलमेंट किया है तो उस तरह से कानून लागू किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

मिडिल एवं प्राथमिक स्कूलों के फण्डों की विभागीय समिति द्वारा जांच की व्यवस्था

३३८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या मिडिल एवं प्राथमिक स्कूलों के फण्डों की जांच विभागीय समिति द्वारा की जाती है ?

(२) यदि हां, तो सन् ५८-५९ में किन मिडिल एवं प्राइमरी स्कूलों के फण्डों की जांच लेखा समिति ने जयपुर डिविजन में की ? यदि नहीं, तो क्यों, तथा सरकार भविष्य में कब तक इसकी व्यवस्था करेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मन्त्री की ओर से) : (१) विभागीय समिति द्वारा केवल मिडिल स्कूलों के फण्डों की जांच की जाती है प्राइमरी स्कूलों के फण्डों की नहीं।

(२) जयपुर डिविजन में दो लेखा समितियां हैं-एक जयपुर में और दूसरी अलवर में। सन् १९५८-५९ में विभागीय लेखा समिति जयपुर ने ५६ मिडिल स्कूलों के फण्डों की जांच की और अलवर समिति ने ६६ मिडिल स्कूलों के फण्डों की। इन स्कूलों की सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री ब्रजेन्द्रपाल।

प्रश्न संख्या ३३९

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३४०

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री सूरजमल।

अछूत व पिछड़ी हुई जातियों के शिक्षित व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में सुरक्षित स्थान

३४१. **श्री सूरजमल** (फलोदी-सु०) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) शिक्षा विभाग व अन्य विभागों में अछूत व पिछड़ी हुई जाति के पढ़े लिखे व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में भाग लेने के लिए किस किस पोस्ट तक, किस किस तादाद, पर्सेन्टेज में इनके स्थान सुरक्षित रखे हुए हैं ?

(२) क्या ये अछूत व पिछड़ी हुई जातियों के लिये सुरक्षित स्थान बड़ी पोस्टों

(श्री सूरजमल)

तक याने डिप्टी-इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर, डाइरेक्टर या इससे उच्च स्थान के लिए भी सरकार द्वारा सुरक्षित रखे हुए हैं ?

(३) क्या यह सही है कि अछूत व पिछड़ी हुई जाति के छात्र जो मैट्रिक व बी०ए० पास तक होते हैं और किसी भी विभाग में इन्टरव्यू में जाते हैं तो उनको अछूत व पिछड़ी हुई जाति के होने की वजह से नहीं लिया जाता है ?

(४) यदि नहीं, तो पिछड़ी हुई जातियों के कई उम्मीदवार बेकार क्यों बैठे हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मन्त्री की ओर से) : (१) सरकारी नौकरियों में लेने के लिए जो स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं वे इस प्रकार से हैं:—

१. सभी सरकारी सेवायें और स्थान १२।। प्रतिशत ।

२. सभी अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवायें तथा स्थान १२।। प्रतिशत ।

३. सभी चतुर्थ श्रेणी सेवायें तथा स्थान १५ प्रतिशत ।

(२) प्रश्न नं० १ के भाग १ में उत्तर दे दिया गया है ।

(३) कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है ।

(४) बेकारी की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : तो क्या सरकार की तरफ से एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को यह आदेश जारी किये हुए हैं कि जिस समय गवर्नमेंट डिपार्टमेन्ट्स से रिक्विजीशन आये उस समय शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के केन्डीडेट्स को पर्सेन्टेज के हिसाब से भेजें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेंट ने वक्त वक्त पर कई आदेश जारी किये हैं और आदेश ऐसे हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के केन्डीडेट्स को खास तौर से ध्यान में रखे कि जो उनका कोटा है उसको पूरा करें ।

श्री शंकरलाल : जनरल ऑर्डर्स तो गवर्नमेंट के होंगे लेकिन क्या जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंन्ट ऑफिसर्स हैं जो कि केन्डीडेट्स को भेजते हैं उनको इस प्रकार के ऑर्डर्स दिये हैं या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज कर दिया कि हर एक डिपार्टमेन्ट्स को ऑर्डर्स जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर भी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है ।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सरकार के पास बेकारी की कोई सूचना नहीं है तो सरकार यह सूचना किस तरह से प्राप्त करती है ? इसका आधार क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज ।

श्री गोरधनसिंह कोन (बयाना-मु०) : क्या सरकार ने ऐसी जानकारी की है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के

(श्री गोरधनसिंह)

उम्मीदवार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज में नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हर दो तीन महीने में लिस्ट को रिन्यू करानी पड़ती है इसलिए मैं कहता हूँ कि जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का ताल्लुक है उनको एम्प्लॉय किया जाता है।

श्री गोरधनसिंह केन : आपने यह बेकारी के लिए लिखा है कि कोई शिकायत बेकारी की नहीं आई तो क्या यह जानकारी सभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्जों से मंगाई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यहां सवाल शिक्षित बेकारी का है।

श्री गोरधनसिंह केन : शिक्षित बेकारी की ही मैं बात कर रहा हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं भी तो जानकारी करके ही बात कर रहा हूँ।

श्री गोरधनसिंह केन : क्या भरतपुर के एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से भी जानकारी की है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जनरल बात आपको बताई। यह सरकार समझती है कि ऐसी कोई एम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं है।

श्री गोरधनसिंह केन : अगर हो तो सरकार उसको किस तरह से हल करने के लिये तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके लिए रिजर्वेशन है। वक्त वक्त पर इन्स्ट्रक्शन्स भेजे जाते हैं, इनके कोटे के लिए लिखा गया, क्लेरीकल के लिए ऑर्डर्स किये गये, प्रमोशन्स के अन्दर उनका ख्याल रखा जाता है, रिक्रूटमेंट होते हैं तो उनका कोटा पूरा करने के लिये खास तौर से ध्यान रखा जाता है। अगर योग्यता की जरूरत पड़े तो उनको रिलेक्सेशन दे दिया जाता है।

श्री गोरधनसिंह केन : ऐसा होता है कि जैसे कलेक्टर को ८ की जरूरत पड़ी तो वह कभी एकदम ८ स्थानों के लिये रिक्विजीशन नहीं भेजते, कभी दो, कभी तीन को और कभी एक को बुलाते हैं, तो इस तरह उनका नम्बर कहां आता है ? अगर एक दम ८ की जगह निकाल दें तो उसमें एक दो का नम्बर तो आ जाये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर किसी अधिकारी ने निकाला तो आप मेरी निगाह में लायें तो उसको रोकने के लिये कार्यवाही की जा सकती है। मगर यह ज्यादा अच्छा होता कि कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स देते ताकि उसके लिए कोई कार्यवाही की जा सकती।

प्रश्न संख्या ३४२

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम।

शिक्षा सदन, बास घासीराम (झुन्झुनू) का छात्रावास

३४३. **श्री लच्छूराम** (मन्डावा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(श्री लच्छूराम)

(१) क्या यह सही है कि शिक्षा सदन, बास घासीराम, जिला झुन्झुनू के छात्रावास को राजस्थान के शिक्षा विभाग के अधीनस्थ लेने के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार चल रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि सम्बन्धित निरीक्षक व प्रधानाध्यापक से छात्रावास का नक्शा व अन्य ब्यौरा डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग बीकानेर ने मंगवा लिया है ?

(३) यदि हां, तो यह छात्रावास कब तक विभाग द्वारा अपने अधीन ले लिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास शिक्षा मंत्री की ओर से) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। निर्णय होते ही इसको सरकार के आधीन ले लिया जायेगा।

श्री लच्छूराम : यह कब से विचाराधीन है और यह कब तक इम्प्लीमेन्ट हो जायेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैं नहीं कह सकता लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी इम्प्लीमेन्ट करने की कोशिश की जायेगी।

श्री लच्छूराम : कम से कम सन तो बतला दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : जब फैसला सरकार कर लेगी उसी समय इम्प्लीमेन्ट हो जायगा।

श्री लच्छूराम : चुनाव होने के बाद या कब ? कोई तारीख तो बता दीजिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं मजबूर हूँ। मैंने अर्ज कर दिया कि जल्दी से जल्दी जब भी निर्णय सरकार ले लेगी उसी समय इम्प्लीमेंट कर दिया जायेगा।

प्रश्न संख्या ४४

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा।

भूमि वितरण कमेटी, तहसील छीपा बड़ौद द्वारा भूमि का असमान वितरण

३१५. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भूमि वितरण कमेटी, तहसील छीपा बड़ौद, जिला कोटा में जगह जगह अपने रिश्तेदारों तथा भाई-बेटों के नाम पर जमीन अलॉट कर ली है तथा भूमिहीन किसानों तथा हरिजनों को जमीन अलॉट नहीं की है ?

(२) क्या यह सही है कि अलॉटमेंट कमेटी छीपा बड़ौद ने फूलबड़ोदा के पटेल हरिवल्लभ के नाबालिग लड़के को १२ बीघा तथा उसकी मां को १० बीघा भूमि अलॉट की है ?

(३) क्या यह सही है कि हरिवल्लभ पटेल की मां के नाम खाते में पहले ही काफी जमीन है ? यदि हां, तो यह अलॉटमेंट किस कानून व नियम के तहत किया गया ?

Page No.25

(श्री रामनारायण वर्मा)

(४) सन् १९५९ में कितने हरिजनों ने भूमि प्राप्त करने के लिए कमेटी के पास आवेदन-पत्र दिये तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को अलॉटमेंट हुआ ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां, श्री हरिवल्लभ के लड़के श्री चन्द सेन को १२ बीघा १२ बिस्वा तथा उसकी मां को १४ बीघा ९ बिस्वा भूमि अलॉट की है।

(३) श्री हरिवल्लभ पटेल की मां के नाम खाते में पहिले १३ बीघा २ बिस्वा भूमि थी यह रकबा कम होने के कारण भूमि का आवंटन किया है। यह अलॉटमेंट राजस्थान लैंड रेवेन्यू allotment of land for agriculture perpose. रूल्स १९५७ के नियम संख्या १२ के अन्तर्गत किया गया है।

(४) सन् १९५९ में सात हरिजनों ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उन सब को भूमि आवंटन की गई।

श्री सतीचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि भूमि अलॉटमेंट नियमों के अनुसार १५ बीघा जिनके पास पहले ही होती है उनको भूमि नहीं दी जाती है ?

श्री सम्पतराम : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यदि ऐसा है तो जब १३ बीघा जमीन थी तो और १० बीघा भूमि और क्यों दी गई ?

श्री सम्पतराम : हो सकता है किसी काश्तकार के नीचे दब गई हो और उसके कब्जे में नहीं हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आप कह सकते हैं कि १३ बीघा जमीन उसके खुदकाश्त में नहीं थी ?

श्री सम्पतराम : मैं नहीं कह सकता। हो सकता है किसी दूसरे आदमी के कब्जे में चली गई हो और खातेदारी हक दूसरे ने प्राप्त कर लिए हों। इसलिए उसके पास नहीं हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हो सकता है नहीं आप निश्चित रूप से बताइये। माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि इस तरह इर्रेग्युलेरिटी हुई है और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि उसकी मां को जमीन अलॉट हुई और नाबालिग लड़के के नाम से हुई और लड़का और मां उसकी फेमिली में साथ हैं। अगर इस तरह से अलॉटमेंट हुआ तो बहुत लोग हो जायेंगे। इसलिए अलॉटमेन्ट के रूल्स की मन्शा यह नहीं है कि लड़के के नाम से और औरत के नाम से और जमीन दे दें यह तो इर्रेग्युलर अलॉटमेन्ट मानिये ?

श्री सम्पतराम : मदर के नाम से जमीन थी। उसके नाम से अलग नहीं थी। थोड़े दिन पहले ही आपने सीलिंग को डिस्कस किया था, आपको पता होना चाहिये कि उसको अलग जमीन मिल सकती है। और किसी के कब्जे में नहीं है तो हो सकती है।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : फेमिली की डेफिनेशन तो परसों पास हुई है। आपने इसे पहले ही लागू कर दिया क्या ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : १२ बीघा जमीन हरिवल्लभ के मदर के नाम से थी और कानून के अनुसार वह अपनी अलग प्रोपर्टी रख सकती है, उसको अलग रखने का अधिकार था और हरिवल्लभ या उसके लड़के लैंडलैस हों तो वे भी अलग जमीन ले सकते हैं। उसको यदि १४ बीघा जमीन दी तो अलॉटमेंट कमेटी ने कोई गलत कार्यवाही नहीं की। लेकिन मैं आपको यह भी सूचना दे दूं कि उसने अलॉटमेंट के नियमों का पालन नहीं किया इसलिए तहसीलदार के यहां इजेक्टमेंट की कार्यवाही चल रही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : उस अलॉटमेंट कमेटी के सदस्य कौन कौन थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग से सवाल पूछ लीजिये।

सामाजिक शिक्षा केन्द्र

३४६. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) राजस्थान में कहां कहां सोशियल एजूकेशन के सेन्टर्स हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त सेन्टर्स की मुख्य मुख्य क्या २ प्रवृत्तियां हैं और इन सेन्टर्स पर सरकार का सालाना कितना खर्चा होता है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास मुख्य मंत्री की ओर से) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) मुख्य मुख्य निम्नलिखित प्रवृत्तियां हैं।

१. साक्षरता का ज्ञान कराना।

२. छूआछूत की भावनाओं को कम कराना।

३. विकास विभागों द्वारा चालू की गई योजनाओं का ज्ञान कराना।

४. सामाजिक कुरीतियां, अन्ध विश्वासों के प्रति अश्रद्धा पैदा करना।

५. समाज की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के उपायों पर कथा, वार्ता आदि मनोरंजक साधनों द्वारा प्रकाश डालना।

६. महिला कार्य केन्द्रों पर ग्राम डायरी के अनुसार कार्यक्रम को चलाना।

वित्तीय वर्ष ५८, ५९ में निम्न धनराशि सम्पूर्ण राजस्थान के विकास खण्डों में समाज शिक्षा के लिए व्यय की गई।

समुदायिक विकास खण्डों के लिए ४.६२ ०८७ रु०।

राष्ट्रीय सेवा योजना खण्डों के लिए ८.१६, २७१ रु०।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : नं० ६ के बाद और कोई सातवां नम्बर भी हो सकता है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुख्य मुख्य मैंने बताये। सातवां ही नहीं बल्कि बीसवां भी हो सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : जहां ब्लॉक्स नहीं हैं वहां पर ये काम होते हैं या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शेडो ब्लॉक्स में भी होते हैं। आप सूची देखेंगे तो आपको दोनों ही जगह मिलेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : सूची मेरे पास नहीं है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : जो प्रवृत्तियां बताई गई हैं उनमें कहां तक सफलता मिली है ? क्या सरकार के पास इस बारे में आंकड़े हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार के पास आंकड़े जरूर हैं लेकिन इस वक्त यहां उपलब्ध नहीं हैं।

बैलों को तकावी हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों पर कार्यवाही जिला कोटा

३४७. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) इस वर्ष बैल की तकावी के लिए तहसील दीगोद, बड़ौद, इटावा, पीपल्दा व मांगरोल के कितने किसानों के प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुए तथा उनमें कितने रुपये की मांग थी ?

(२) सरकार द्वारा कितने रुपये बांटे गये ? क्या इस धन से किसानों की आवश्यकताएं पूरी हुई ?

(३) यदि नहीं, तो सरकार अन्न उत्पादन की दृष्टि से बैल जैसे साधन को मुहैया करने की व्यवस्था किस तरह करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री सम्पतराम) : इस वर्ष बैल की तकावी के लिए तहसील दीगोद, बड़ौद, इटावा, पीपल्दा व मांगरोल में क्रमशः २२८, ६३, ७६, ७० तथा ६० प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए, जिनमें क्रमशः ३०६४५) २४१२५), २२३७५), ३४०५०), तथा ३०-२००) रुपये की मांग थी।

(२) सरकार द्वारा उक्त तहसीलों में यानी दीगोद में ३७७०), बड़ौद में २०००), इटावा में ३०००) पीपल्दा में ३०००) व मांगरोल में ३००७) रुपये बांटे गये। इससे किसानों की आवश्यकता आंशिक रूप से अवश्य पूरी हुई है।

(३) दिनांक २-१०-१६५६ से तकावी वितरण का अधिकार पंचायत समितियों को हो गया है अतः इस विषय में अब पंचायत समितियां अपना लक्ष्य निर्धारित कर इस प्रकार की सहायता सहकारी समिति अथवा सहकारी बैंकों से ले सकती हैं।

श्री मूलचन्द डागा : बैलों को खरीदने के लिए तकावी के रूप में कितने रुपये दिये जाते हैं ? क्या २५०) दिये जाते हैं ?

श्री सम्पतराम : हां २५० भी दिये जाते हैं, १५० भी दिये जाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या इतने रुपयों में बैलों की जोड़ी खरीदी जा सकती है ?

श्री सम्पतराम : तकावी तो मदद के रूप में दी जाती है, फिर कीमत तो बैलों की स्थिति पर निर्भर करती है।

डॉ०.बहादुरसिंह (धौलपुर) : पाली के बैलों के लिए कितने रुपये दिये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन नं० ३१८, मेजर श्री फतेहसिंह ।

श्री श्रीभानसिंह : This may be replied. I have just received this from Major Shri Fateh Singh.

श्री दामोदरलाल व्यास : Is that with you Sir—the authority ?

श्री श्रीभानसिंह : Just on telephone he has said to me.

श्री अध्यक्ष : I have not received.

श्री श्रीभानसिंह : But he telephoned and the enquiry has just sent it to me.

श्री अध्यक्ष : We will come. If other members are absent, we will give you a chance.

जागीरदारों को स्पेशल लोन देने की योजना

३१९. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने जागीरदारान को स्पेशल लोन देने की कोई योजना बनाई है ? अगर हां, तो किन आधारों को लेकर ?

(२) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत सरकार ने स्पेशल लोन के रूप में कर्जा दिया है ? अगर हां, तो सन् १९५८. ५९ में किन किनको, कितना कितना लोन दिया गया है ? तहसील वाइज बतलावें ?

(३) उपरोक्त कर्जा कौन कौनसी तारीख पर दिया गया ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां। जिन जागीरदारों का दावा फाइनल न हो और उन्हें लड़के-लड़की की शादी, शिक्षा, बीमारी इत्यादि कार्य के लिए रकम की आवश्यकता हो तो वे उनके मुआवजा पेटे कर्ज प्राप्त कर सकते हैं।

(२) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई।

(३) कर्ज स्वीकृति की तारीख सदन की मेज पर रखी सूची में अंकित कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : जागीरदारों को लोन प्राप्त करने के लिए क्या क्या फॉरमेलिटी पूरी करनी पड़ती है ?

श्री सम्पतराम : इसके लिए रूल्स बने हुए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि टोंक जिले के जागीरदारों के मामले तीन तीन, चार चार साल से पड़े हुए हैं ?

श्री सम्पतराम : हो सकता है। स्पेसिफिक नाम बतावें तो उत्तर दिया जा सकता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पांच वर्षों से गोपालकरणजी का मामला पड़ा है, निवाई तहसील में भी पड़ा हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गोपालकरणजी को कर्जा दिया नहीं जा सकता क्योंकि उनका ठिकाना कोर्ट ऑफ वार्ड्स में पड़ा है और दुलेसिंह जी को कर्जा दिया जा चुका है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : रूल्स बनने के बाद सन् ५८ और ५९ में कितने कर्जे दिये ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

राजस्थान विश्वविद्यालय में संस्कृत परीक्षाओं के लिए फैकल्टी खोलने की पुनः मांग

३२२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) संस्कृत कॉलेजों के होते हुए भी संस्कृत परीक्षाओं के केन्द्र हाई स्कूलों में क्यों रखे जाते हैं ?

(२) संस्कृत में दो दो पाठ्यक्रम कब से चल रहे हैं और वे कब तक चलते रहेंगे ?

(३) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में अंग्रेजी विषय (ऐच्छिक) लेकर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को कुछ विशिष्ट मान्यताएं प्रदान की थीं ? यदि हां तो अब उनके समाप्त किये जाने का क्या कारण है ?

(४) संस्कृत परीक्षाओं में आये वर्ष छात्र संख्या कम क्यों होती जा रही है ?

(५) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में संस्कृत परीक्षाओं के लिए एक फैकल्टी खोली गई थी तथा कुछ संस्कृत कॉलेजों को संबद्धता भी प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो किस कारण ये सब काम वापिस कर दिये गये और फेकल्टी में से संस्कृत परीक्षायें हटा दी गई हैं ? क्या उन्हें पुनः प्रारम्भ करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास—शिक्षा मंत्री की ओर से): (१) क्योंकि संस्कृत कॉलेजों में सुविधाजनक स्थान तथा फर्नीचर का अभाव है। जिस संस्कृत कॉलेज में इस प्रकार की सुविधा है वहां परीक्षा केन्द्र संस्कृत कॉलेज में ही रखे जाते हैं।

(२) सन् १९५६ से चल रहे हैं और १९६० तक चलते रहेंगे।

(३) जी नहीं। इसलिये समाप्त किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी नहीं। छात्र संख्या बढ़ रही है:

१९५७-५८ में	३४० थी
१९५८-५९ में	४५६ थी
१९५९-६० में	८७५ है।

(५) जी हां, लेकिन विश्वविद्यालयों की ओर से संबद्धता हेतु कुछ शर्तें रखी गई थी जो पूर्ण नहीं की जा सकती। अब विश्वविद्यालय ने फिर वे ही शर्तें रखी हैं। विश्वविद्यालय से प्रार्थना की जा रही है कि ये इन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

शर्तों के पूर्ण होने के अभाव में संस्कृत कॉलेजों को संबद्ध करने की आज्ञा प्रदान कर दें।

नाथद्वारा जांच आयोग की रिपोर्ट

३२५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) नाथद्वारा जांच आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को कब और कहां प्रस्तुत की गई तथा सरकार द्वारा इस रिपोर्ट का कब अवलोकन किया गया ?

(२) उक्त रिपोर्ट विभिन्न पत्रों को कब भेजी गई ?

(३) क्या यह सही है कि पत्रों को दिये जाने से पूर्व ही यह रिपोर्ट नवयुग में छप गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(४) उक्त रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल की बैठक में कब विचार हुआ और रिपोर्ट को किन अंशों में स्वीकृत किया गया ?

(५) रिपोर्ट के आधार पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री सम्पत राम) : नाथद्वारा जांच आयोग प्रतिवेदन (रिपोर्ट) १२ अक्टूबर, १९५९....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : धीरे धीरे।

श्री सम्पतराम : (१) नाथद्वारा जांच आयोग प्रतिवेदन (रिपोर्ट) १२ अक्टूबर, १९५९ को राज्य सरकार के पास जयपुर में प्रस्तुत किया गया और प्राप्त होने के बाद अवलोकन किया गया।

(२) उक्त रिपोर्ट १८ अक्टूबर, १९५९ को प्रेस को रिलीज की गई थी।

(३) यह सही है कि पत्रों को दिये जाने से पूर्व ही इस प्रसंग के बारे में खबरें नवयुग व अन्य पत्रों में छप गई थीं। यह आम तजुर्बा है कि पत्रकार इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रसंगों के बारे में पूर्व कल्पना व अभिधारणों से कुछ न कुछ छाप देते हैं तो कभी सही भी बैठ जाती है और कभी नहीं भी। इस मुतल्लिक पत्रकारों के खिलाफ कुछ कार्यवाही नहीं की जा सकती।

(४) मंत्र मंडल उपवेशनों की कार्यवाही गुप्त रखी जाती है और जो डिटेल्स पूछे जा रहे हैं उनको देना जनहित में नहीं है।

राज्य सरकार ने प्रतिवेदन को सामान्यत: स्वीकार कर लिया है।

(५) प्रतिवेदन के आधार पर एक बोर्ड की नियुक्ति कर दी गई है।

प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुकूल आयन्दा कार्यवाही करने के लिए बोर्ड को लिख दिया गया है।

प्रतिवेदन में अंकित ऑब्जर्वेशन्स के अनुकूल गोस्वामी जी को इस बोर्ड का सदस्य नहीं रखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोर्ड को कब लिखा इसके अनुसार कार्यवाही करने के लिए ?

Page No.31

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : बोर्ड को कब लिखा?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस रोज केबिनेट ने इस मामले पर विचार किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस तारीख को विचार किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख अभी बतलाई है, १२ तारीख को यह आई है, करीब १७, १६ को विचार किया होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बोर्ड को लिखा है कि तिलकायत, राणावत, कन्हैयालाल दरोगा, गहना घर, भाटिया, पालड़ीवाल के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन्स्टिट्यूट कर दी जायं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : राज्य सरकार ने रिकमन्डेशन्स के ऊपर एक्शन लेने के लिए लिखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या एक्शन लेने के लिए लिखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो कायदे-कानून के अनुसार हो सकता है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या वह कायदा बतायेंगे जिसके अनुसार एक्शन लेने के लिए लिखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिपोर्ट पढ़ लीजिये, जो रिकमन्डेशन्स दी हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लिखा है।

श्री मूलचन्द डागा : बोर्ड ने जवाब दिया या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जवाब नहीं दिया है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : जिन लोगों ने गवाही दी और यह फैसला हुआ कि झूठी गवाही दी है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य समझते हैं कि झूठी गवाही देने के मामले पर अदालत विचार कर सकती है, जिसके सामने झूठी गवाही दी गई है। सरकार कुछ नहीं कर सकती।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : How did the Government come to this conclusion that the report in Navyug was a guess work rather than a delebeiate leakage of the report ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I cannot say it was a guess work but if Navyug or any other paper has published the report, the Government has nothing to do. The Press might have guessed or stolen it from somewhere……

श्री श्रीभानसिंह : Till the decision taken by the Government, does the Hon'ble Minister mean to say that the Report was not treated as secret ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It was secret. It was not a State secret. It was not such a privilege or secret that would not go...

श्री श्रीभानसिंह : Due precaution was not taken because it was not a State document.

श्री दामोदरलाल व्यास : It was kept till we released. I never said that it was not...

श्री श्रीभानसिंह : Since Navyug published it before the report was released to the Press, whether it was a guess work or the report was stolen or leakage.

श्री दामोदरलाल व्यास : Definitely the report in the Navyug show that he has heard somewhere else all that.

श्री श्रीभानसिंह : It appears from the Navyug that it contains all the ecommendations which were included in the Report in full and it also said that it had some interview with the Home Minister and the Revenue Minister. How far the two Ministers are responsible for giving a hint to the representative of the Navyug that...

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon'ble Member can ask from the same paper from where it published...

श्री मूलचन्द डागा : नवयुग में 'विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ,' यह निकला था या और कुछ निकला था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : There is no copy with me. The Hon'ble Member may go through it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने यह जांच की कि यह गैस वर्क था, या डेफीनेटली इन्फॉर्मेशन का लीकेज हुआ या नहीं हुआ ?

श्री दामोदर लाल व्यास : It was not necessary to institute an enquiry. It was not such urgent or immediate report. After all the Press representatives are there and he has acquired some information from some source..

श्री श्रीभानसिंह : This House would like to know clearly whether till the report was discussed by the Cabinet, was the document treated as secret and confidential or it was not treated as such.

श्री दामोदरलाल व्यास : It was confidential.

श्री श्रीभानसिंह : If a confidential document has leaked to the Press, should the House know from where and how this leakage occurred ?

श्री दामोदरलाल व्यास : There is nothing to believe that the document was leaked. But the Press Reporter might have heard about or stolen from some quarters. There are so many papers. They publish so many things on guess work...

Page No.33

श्री श्रीभानसिंह : want the Hon'ble Minister to makeup his mind as to whether the report was stolen or it was a guess work, because you are holding both the statements as correct. How does the Government treat it? Whether the report was stolen or it is all a guess work?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that it is not at all necessary for me to institute an enquiry for such a minor matter as that.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नवयुग में जो समाचार छपा, और जो रिकमन्डेशन दी हैं, रिपोर्ट में, वह हूबहू वही है। यह गेस वर्क नहीं है, बल्कि लीक हुई हैं। इन सरकमस्टान्सेज में गवर्नमेंट यह जरूरी नहीं समझती कि उसकी जांच की जाय?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मैटर माइनर ट्रीट हो सकता है। मेरा प्रश्न है कि कमीशन ने रिपोर्ट सब्मिट की ऑथोरिटी को और केबिनेट में वह डिस्कस नहीं हुई, उस टाइम तक गवर्नमेंट उसे कॉन्फीडेन्शियल या प्रिवलेज क्वेश्चन मानेंगी या नहीं?

श्री अध्यक्ष : यह स्वीकार करते हैं कि कॉन्फीडेन्शियल माना गया।

श्री श्रीभानसिंह : But then the Hon'ble Minister says that it was a minor matter...कॉन्फीडेन्शियल या सीक्रेट जिसको मानें, उसको माइनर मैटर माना जा सकता है। लेकिन जब तक केबिनेट में डिस्कस नहीं करें तब तक माइनर नहीं माना जा सकता।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कब मना किया। लेकिन जनरलिस्ट्स ने अन्दाजा लगा लिया होगा, गैस वर्क किया होगा, प्रेस जनरलिस्ट्स न जाने कहां से अन्दाजा लगा लेते हैं। जब तक उस मामले का खास असर नहीं पड़ता हो, तब तक इन्क्वायरी इन्स्टिट्यूट करना जरूरी नहीं समझा जाता।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की मान्यता है कि नाथद्वारा कमीशन की रिपोर्ट कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट है और उसका लीक आउट होना ठीक नहीं है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जवाब दे चुका हूँ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की यह मान्यता है....

श्री अध्यक्ष : एक रिपोर्ट, जिसे कॉन्फीडेन्शियल मानते हैं, वह प्रेस में छप गई....

श्री दामोदरलाल व्यास : रिपोर्ट नहीं छपी।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट के कुछ अंश छप गये। पहले यह तय करना है कि यह ऐसी चीज है जो गैस वर्क है या नहीं। नम्बर दो, गैस वर्क नहीं है, और गैस वर्क से ज्यादा है और लीक हुई है तो यह देखना चाहिए कि लीकेज कहां से हुआ है, किस सोर्स से हुआ है। यह जरूरी चीज नहीं है कि जिस चीज को कॉन्फीडेन्शियल ट्रीट करते हैं तो वह लीक

Page No.34

(श्री अध्यक्ष)

हो जाय। गवर्नमेंट को अपने सोर्सेंज को सील करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट के यहां से नहीं हुआ और कहीं से हुआ। तो और कहीं से कहां से हो सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसे लीकेज नहीं मानता हूँ, उसको गैस वर्क मानता हूँ। यह हमारे यहां से लीकेज नहीं हुआ। It is only a guess work, because those journalists who have been attending the Commission's court, they have heard the arguments for and against, and observations of the Commission from time to time. They can surely guess what the report was likely to be.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नवयुग में जिस दिन प्रकाशित हुई है, उसी दिन रिपोर्ट पेश हुई है, इस आधार पर यह नहीं कह सकते कि जिस समय आँर्ग्युमेंट हुए, उसको प्रकाशित किया है। यह क्या जरूरी है कि जिस रोज रिपोर्ट पेश हुई है, उस दिन टिप्पणी की जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज कर दिया कि जिस दिन रिपोर्ट पेश हुई, उस दिन नवयुग में जो न्यूज पब्लिश हुई, लेकिन मैं उसे लीकेज नहीं मानता। जनरललिस्ट गैस वर्क करते हैं। जो रिकमन्डेशन चार छः दिन बाद पब्लिश हुई है, उसकी वरबेटिंग कापी दी हो, यह बात नहीं है। जिस तरह से जनरलिस्ट लिख देते हैं, उसी तरह से लिख दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इस बात को चेलेंज करता हूँ, जो रिपोर्ट में रिकमन्डेशन है, उसको छापा है, अगर इसकी लीकेज नहीं मानते हैं तो क्या मानते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं ?

I challenge the statement of the Hon'ble Minister that this is simply a guess work. It is exactly a copy of the report, not a word is different; even commas and full stops are there.

प्रश्न सं० ३२८

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न सं० ३२९

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

श्री रघुवीरसिंह, भू-निरीक्षक बांदीकुई के खिलाफ भ्रष्टाचार की हुई जांच का परिणाम

३३१: **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री रघुवीरसिंह भू-निरीक्षक तहसील बांदीकुई के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कराने हेतु प्रार्थना पत्र आये ?

(२) यदि हां, तो कितने और पहले प्रार्थना पत्र के कितने दिन बाद जांच आरम्भ हुई ?

(श्री रामकरणसिंह)

(३) जांच किस अधिकारी ने, किस प्रकार से की है और उसका क्या नतीजा रहा है ? जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें !

(४) क्या यह भी सही है कि शिकायतों की जांच के दौरान में ही उन्हें ए. एस. ओ. बना दिया गया है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) ४ प्रार्थना पत्र संचालक, भूमि एकीकरण विभाग राजस्थान जयपुर के विभाग में प्राप्त हुए, पहला प्रार्थना पत्र दिनांक ३०-३-५६ को प्राप्त हुआ जिसे दिनांक २-४-५६ को भूप्रबन्ध अधिकारी (भूमि एकीकरण) बांदीकुई के पास जांच के लिये भेजा गया था।

(३) जांच भू-प्रबन्ध अधिकारी (भूमि एकीकरण) बांदीकुई ने की जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। श्री रघुवीरसिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो सके। जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है।

कृपया परिशिष्ट ७ दीजिये।

(४) जी नहीं। जांच समाप्त होने पर जब उन्हें निर्दोष पाया गया तब उन्हें ए. एस. ओ. के पद पर लगाया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम बालोतिया।

(अनुपस्थित)

श्री धर्मपाल।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

जयपुर के स्वर्गीय श्री झूँथालाल की सम्पत्ति पर कब्जा किया जाना

३३२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : Will the Revenue Minister please state:—

1. Was any case No. 26 filled under Sections 17, 18 and 19 of the Jaipur Escheat Property Act in the Board of Revenue in the year 1957 regarding the property valuing Rs. 40, 202/- of late Jhoontha Lal of Jaipur, who died heirless ?

2. If so, has any decision been given by the Revenue Board in this respect ? If Yes, on what date ?

3. Is it a fact that according to the clear observations of the Board, the State was to under go a loss of he amount mentioned in part 1 above, tif this property was not redeemed immediatly by the year 1959 ?

4. Has the possession of the said property been taken over by the Government ? If not, who is the person responsible for non-compliance of the orders of the Board ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) :

1. Yes.

(श्री सम्पतराम)

2. Yes, on 19th April, 1958.

3. No. There is no such mention. The judgement only says that the State can get the property redeemed according to the provisions of law.

4. No. This question does not arise because the possession can only be transferred to the State when the property has been redeemed by the competent court. The Public Prosecutor has been entruted with the case for taking necessary action in the matter.

श्री अध्यक्ष : श्री ब्रजेन्द्रपाल !

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय !

(अनुपस्थित)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित)

मेजर श्री फतेहसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय अध्यक्ष, ३१८ रह गया है, यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट है।

श्री भीभानसिंह : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : जी हां, मैंने स्वीकृत कर लिया है, आप चिन्तित न हों। क्वेश्चन ३१८। This is an important question.

भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों तथा सैनिक सेवाओं के लिये अनुमोदित सिविलियन अधिकारियों को सेवाओं में लिये जाने के निमित्त आयु-रोध में ढिलाई Relaxation.)

३१८. मेजर श्री फतेहसिंह (भीम— श्री श्रीभानसिंह (बयाना) द्वारा पूछा गया) : Will the Chief Minister be pleased to state:—

1. How many ex-servicemen and civilians are there in Rajasthan who rendered war service during the period 3. 9. 39. to 1. 4. 46.?

2 How many of such ex-servicemen and civilians have been employed in Government jobs?

3. Have the war services rendered by the ex-servicemen and civilians now employed in Government jobs been counted towards their pension, promotion and increment of pay?

4. Has the Government given any concession and facility to the ex-servicemen and civilians with approved war service for employment in civil jobs under the Government?

5. Is it a fact that ex-servicemen and civilians, employed in Govern-

Page No.37

(श्री मेजर फतेहसिंह)

ment jobs have been allowed to count the period or war service upto a maximum of five years ?

6. Has the Government relaxed the age limit of the ex-servicemen and civilians with approved war for Service employment in civil jobs under the Government ?

राजस्व-मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास— मुख्य मंत्री की ओर से) : 1. No information is available with the Recruirtment Officer or District Soldiers, Sailors and Airmen's Boards, nor it can be collected easily.

2. From 1st January, 1953 to 31st October, 1959, 2067 ex-servicemen were given civil employment.

3. This has been provided in the Rajasthan Service Rules (Rule 175 and 176).

4. The Government have framed rules for absorption of ex-servicemen in Rajasthan Service Rules.

5. The reply to this is mentioned (in part (c) above.

6. The reply to this is mentioned in part 'd) above.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२. १५. म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान

उपमंत्री, वित्त (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९५९—६० (प्रथम खण्ड) के विवरण को प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या ४२।

उप-मंत्री आबकारी, व कर (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४२ मुख्य शीर्षक ८ राज्य आबकारी कर, के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,००,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।
श्री भैरोंसिंह।

उपरोक्त मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये:—

श्री भैरोंसिंह (१४) : That the demand No XLII, Major Head 8—State Duties be reduced by Re 1/- (to discuss the defective procedure laid-down by the Government for the supply of opium to addicts)

श्री मूलचन्द डागा : मांग संख्या ४२ मुख्य शीर्षक ८—राज्य आबकारी कर (State Excise Duties) में १ रु० की कटौती की जाय (सरकार की अफीम के कानून की नीति पर बहस करने हेतु)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That the Demand No XLII, State Excise Duties be reduced by Re 1/- (to discuss the policy of the Government, to supply opium to addicts)

श्री पी० के० चौधरी : That the Demand No XLII, Major Head 8-State Excise. Duties be reduced by Re 1/- (to discuss the policy of suppling opium to the addicts)

डा० बहादुरसिंह : मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ८-राज्य आबकारी कर में १) रु० की कटौती की जाये (वैद्यों को अफीम देने की अव्यवस्था पर विचार करने हेतु)

श्री लक्ष्मीचन्द : मांग से ४२, मुख्य शीर्षक ८- राज्य आबकारी कर में १) रु० की कटौती की जाये (राज्य में अफीम खाने वालों को सप्लाई करने की व्यवस्था पर विचार करने हेतु)

श्री मुरलीधर व्यास : मांग संख्या ४२ मुख्या शीर्षक ८- राज्य आबकारी कर में १) रु० की कटौती की जाय (अफीम की सप्लाई की व्यवस्था पर विचार करने के लिये ।)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मांग के अन्दर प्रस्तुत करता हूँ कि इस मांग में एक रुपये की कटौती की जाय, अफीम बांटने के तरीके के ऊपर बहस करने के लिये। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जिस समय बजट प्रस्तुत हुआ था और अफीम के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या होगी ? इस सम्बन्ध में जब सदन को जानकारी मिली थी, तो सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस बात का स्वागत किया था कि हमारी राज्य सरकार अब धीरे धीरे नशाबन्दी की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न कर रही है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने कई बार इस सदन में घोषणा की थी कि राज्य सरकार की नशाबन्दी की नीति है और इस नीति के आधार पर हमारी सरकार धीरे धीरे इस प्रकार से कार्यवाही करती जा रही है कि नशेबाजी अपनी आदत के अनुसार अपने आप नशा करना छोड़ दें और सरकारी दबाव विशेष रूप से काम में नहीं लाया जा सके।

मैं ऐसा समझता था कि हमारी सरकार की ओर से जिस प्रकार के प्रयत्न किये जाने चाहिये थे, वास्तव में उस प्रकार के प्रयत्न नहीं हुए। एक तरफ हमारी सरकार का कहना है कि हमें अफीम की आवश्यकता है, आवश्यकता उन अफीमचियों को देने के लिये, जिनका अफीम के बगैर काम चल नहीं सकता। इस सम्बन्ध में हमें यह विचार करना पड़ेगा कि जब आखिर हमारी सरकार की नीति है कि हमें अफीम को बन्द करना है, उस स्थिति में सरकार कितने दिनों तक इस प्रकार के अफीम खाने वालों की मांग को पूरा करती रहेगी। यदि सरकार यह कहे कि हमने इस मांग को काफी रेस्ट्रिक्ट किया है और इस रेस्ट्रिक्शन के लिये हमने कुछ नियम बनाये हैं, उन नियमों के आधार पर जो व्यक्ति अफीम खायेगा, अफीम रखेगा या अफीम के लिये इस प्रकार की मांग करेगा तो उसको लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा। मैं अभी उन बातों की ओर नहीं आता कि हमारे नियम कितने डिफेक्टिव है, उनके आधार पर जिनको हम वास्तव में रिलीफ देना चाहते हैं, उन्हें रिलीफ मिलेगा कि नहीं अभी तो प्रश्न यह है कि हमारा आधार क्या

Page No.39

(श्री भैरोंसिंह)

है जिसके आधार पर हम अपनी नीति निर्धारित कर सकते हैं। इस सदन को विश्वास दिलाया जा सकता है कि सरकार भविष्य में अफीम खाने वालों की आदत में निश्चित रूप से कमी लायेगी, जिससे हमें अफीम खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, जिस दिन से अफीम बन्द हुआ राजस्थान के हर शहर में, हर गांव में अफीम की दुकानें तो खुली हुई नहीं मिलेंगी पर उनकी जगह पर छूंतरे जिनको डोडे कहते हैं, उनकी दुकानें इस प्रकार से भरी हुई मिलेंगी कि जिस प्रकार घास वालों की दुकानें तूड़े से भरी हुई मिलती हैं। हर आदमी जो अफीम खाता है उसने अफीम के स्थान पर अब यह डोडे खाने शुरू कर दिये हैं, पर खाना उसी तरह है जिस तरह अफीम खाता था। सरकार अपना एक नियम बनाये कि हमें अफीम को बन्द करना है और अफीम हमें इस तरह बन्द करना है। कहा जा सकता है कि मेडिकल तौर पर हमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है। पर जो व्यक्ति अफीम खाते थे शराब पीते थे, वे गिरफ्तार हो कर जेल में चले गये तो हमें पता लगा है, हमने आंखों देखा है कि जेल में जाने के बाद अफीम छोड़ने से उन लोगों की सेहत पहले से बहुत अच्छी हो गई क्योंकि जेल में उनको अफीम मिलती नहीं थी। यह सही है कि प्रारम्भिक काल में इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है, मेडिकल आधार पर अफीम नहीं देते पर कुछ व्यवस्था इस तरह जरूर करते हैं जिसके कारण उसकी आदत में इस प्रकार का सुधार आ जाय कि पन्द्रहवें दिन वह इस तरह महसूस करने लग जाय कि मैं अफीम बगैर काम चला सकता हूँ।

इस दृष्टिकोण से देखें कि एक आदमी की नेसेसिटी नहीं है जिसको वह भूल से नेसेसिटी मान कर बैठा है, उन सरकमस्टेन्सेज में, उसमें सुधार लाने के दृष्टिकोण से, कोई बुराई करने के इरादे से नहीं, उसकी भलाई के लिये, वह नेसेसिटी करटेल की जा सकती है। इस प्रकार का कार्यक्रम आये तो सरकार का स्वागत कर सकते हैं। पर सरकार कुछ गुंजायश रखती है, जैसा इसमें लिखा है, अमल खरीदने के लिए, जो खाते हैं उन्हें बांटना है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार निश्चित नीति बना ले तो निश्चित रूप से यह बन्द हो सकती है। अमल खाने वाले, सदन के माननीय सदस्य नाराज न हो जायं कि उन्हें अमल नहीं मिलेगी पर निश्चित रूप से अमल के कारण जिनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है, अफीम के कारण जिनके घर के घर बर्बाद हो गये हैं, उनको लाभ होगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

शराब, धनवान लोग और अच्छी सोसायटी में मूव करने वाले लोग पीते हैं पर अफीम, अच्छी सोसायटी में मूव करने वाले एक दो भले ही हों पर अधिक ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और यह ज्यादा अफीम डिप्रेस्ड क्लासेज़ हैं उनमें चलती आ रही है। अगर आप इनका कुछ भला करना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि उनको अफीम न दें। अगर आप मेडिकल ग्राउन्ड को लेकर अफीम देने की इजाजत देकर आप अफीम खरीद कर उनकी मांग को पूरी करने की चेष्टा करेंगे तो

(श्री भैरोंसिंह)

आज आप ७५ हजार की अफीम खरीद रहे हैं और उनको देंगे। कल आगे चल कर अफीम खानेवाले आपसे यह मांग करेंगे कि इतनी अफीम से उनका काम नहीं चलेगा तो उस मांग को पूरा करने के लिये हमारी राजस्थान सरकार को उतनी ही अफीम खरीदनी होगी जितनी उनके लिए काफी होगी। इसलिये, मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार को एक निश्चित नीति बना लेनी चाहिये कि हमको अफीम को बन्द करना है। और कोई ऐसे मेडिकल ग्राउन्ड्स सरकार के सामने आते हैं कि जिनसे किसी व्यक्ति को अफीम खाने से टॉलरेट नहीं कर सकते तो उसको एक या दो महीने तक अफीम देने की आवश्यकता हो देनी चाहिये और आपको उसके बाद नहीं देनी चाहिये। लेकिन बजट सेशन से आज तक आप उनको अफीम देते आये और देते रहेंगे तो मैं कहूँगा कि आप उनकी आदत को खराब करेंगे। इससे यह महसूस होता है कि आप उनकी आदत को सुधारना नहीं चाहते आपको चाहिये कि अमल को रोकें। यदि अमलदार को अमल मिलता रहे तो वह बन्द नहीं कर सकता। कानून बनाने का तरीका देखने से पता चलता है कि एक अमल की बात करने से निश्चित रूप से उनको भी नशा हो गया और नशे की पीनक में उन्होंने रूल बनाये हैं। आपने रूल बनाया है कि डाक्टर से सर्टिफिकेट लेकर लाइसेन्स ले ले। डाक्टर कह देगा कि इसको अमल की आवश्यकता है। मगर इसमें कोई इस प्रकार का क्लॉज नहीं कि किस स्केल पर या मात्रा में अफीम को कम करना है। वह आदमी किस मात्रा के हिसाब से कितने दिनों में बन्द कर देगा। आपने यह रखा कि वह डाक्टर के पास जाकर सर्टिफिकेट लेकर लाइसेन्स करावे। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार प्रश्न द्वारा कहा है और कई माननीय सदस्यों ने इस बात की प्रश्नों द्वारा जानकारी दी कि डाक्टर लोग लाइसेन्स इश्यू करते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं उसके पैसे लेते हैं। किसी से १० रुपये तो किसी से १५ रुपये। हर एक आदमी डाक्टर को १० या १५ रुपये देकर लाइसेन्स प्राप्त कर सकता है। अभी अभी सरकार ने आज्ञा निकाली और यह रखा था कि दिसम्बर में जितने भी लोगों को लाइसेन्स प्राप्त करने हों कर लें। दिसम्बर लाइसेन्स का अंतिम माह है। मगर लोगों को यह मालूम नहीं कि वह आज्ञा कब जारी की गई और दिसम्बर खत्म हो रहा है। अब यह कहें कि लोगों को कम समय मिला मगर इस प्रकार कोई काम नहीं चलेगा। सरकार को स्पष्ट रूप से कह देना चाहिये कि हम मेडिकल ग्राउन्ड पर भी उन्हीं आदमियों को अफीम देंगे जो इस बात का एग्रीमेंट करें कि वह इतने दिनों में अमल खाना बन्द कर देगा तो उसकी अमल खाने की आदत छूट सकती है और मियाद खत्म होते ही उस व्यक्ति को अफीम देना बन्द करा दें इस प्रकार की कोई नीति निर्धारित करे और यह तय करे कि इतने वक्त के लिये अफीम की इतनी मात्रा दी जावे। और इतने दिनों तक दी जावे जितने दिनों वे अपना अफीम खाना बन्द कर सकें। अगर सरकार इस प्रकार उनको अफीम देती रही तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि यह कोई सरकार की अफीम बन्द करने की नीति नहीं है यह तो एक मखौल होगा और दुनियां के अन्य देशों ने जो इसको बन्द कर रहे हैं उनके साथ साथ अपनी

(श्री भैरोंसिंह)

आवाज को मिलाने का अच्छा तरीका है और सहानुभूति-प्राप्त करने का अच्छा तरीका हो सकता है । सरकार को चाहिये कि इस सम्बन्ध में वह अपनी नीति निश्चित करेंगे अपने नियमों में परिवर्तन करें । वास्तव में जिन लोगों को मेडिकल ग्राउन्ड पर अफीम देते हैं मुफ्त में या कीमत पर उनको अफीम मिल सके और उनको लाइसेन्स प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो । किसी खास समय के लिये ही लाइसेन्स दिया जावे और यह लाइसेन्स दिया जावे वह किसी एग्रीमेंट पर दिया जावे । अगर इस प्रकार से सरकार चाहेगी तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अफीम खानेवालों में निश्चित रूप से परिवर्तन आवेगा और हमारी अफीम को बन्द करने की जो मंशा है वह पूरी होगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ नियम और सरकारी नीति की आलोचना करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन से यह कानून पारित हुआ है और अमल में लाया गया है मैं समझता हूँ कि इससे डॉक्टरों की चांदी होने लगी है । जहां जहां डाक्टरों ने ५ रुपये का पत्ता देखा त्यों ही वे बिना सोचे समझे ही इसके लिये लाइसेन्स दे देते हैं । मैंने इस बारे में सदन में दो तीन प्रश्न भी किये थे और यह भी निवेदन किया था कि आप मेहरबानी करके ऐसे कदम उठावें कि जो आदतन अफीम खाने वाले हैं उनकी आदत मिटाने के लिये आप सख्त से सख्त कदम उठावें और अगर आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कदम उठाना चाहते हैं उससे यह बीमारी और भी बढ़ती जाती है या तो आप इसको बिल्कुल बन्द कर दीजिये अन्यथा डोडों का पानी लोग पीवेंगे और चाय लोग पीने लग गये हैं । चाय के नशे की शहरी बीमारी थी वह आज गांव वाले भी नशा चाय का करने लगे । गांव वालों को जो वही चाय की बीमारी लग गई जो शहरवालों को लगी हुई थी । लोग डोडों को पानी में भिगो कर पीते हैं । इसके अलावा लाइसेन्स वे लोग भी लेने लगे जो कभी अफीम नहीं खाते थे । जो हट्टे कट्टे लोग थे उन्होंने भी मेहमानदारी के लिये अफीम को काम में लाने लगे । वे लाइसेन्स ले आते हैं । जब उनसे पूछे कि आपने यह अफीम कहां से हासिल की तो वे कहते हैं कि आपने ऐसा तरीका निकाला है जिसका फायदा हमको मिलता है । लोग डाक्टर के पास जाते हैं और सर्टिफिकेट लेते हैं । उसने कहा कि लाइसेन्स आसानी से मिल जाते हैं । डाक्टर को पैसा दिया और लाइसेन्स मिल जाता है । अगर आप उनकी आदतों को मिटाना चाहते हैं तो यह नहीं कि आप धीरे धीरे इसको अमल में लाव । आपको इस सम्बन्ध में कड़ा कदम उठाना चाहिये । कोई चिन्ता की बात नहीं यदि ५० अफीमची मर जायें तो । १०० या २०० भी अफीमची मर जाएं तो भी कोई चिन्ता नहीं । यह आपने उनको अफीम देने के लिये कमजोर कदम उठाया है । कमजोर कदम उठाते हैं उससे कानून को फायदे के बजाय नुकसान होता है । मैंने देखा है । कई लोग आप देखेंगे कि डोडों को पानी में डाल कर दो घन्टे तक पानी में रखते हैं । पहले जो लोग अफीम घोल कर लेते थे उनको जल्दी ही नशा आ जाता था अब उनको डोडों से

(श्री मूलचन्द डागा)

पानी तैयार करने में ४ घंटे तक उसकी इन्तजार करनी पड़ती है। आपको देश की भलाई के लिये इसको बन्द करना चाहिये चाहे आपको इससे कुछ रेवेन्यू में नुकसान होता हो। मेरे पूर्व वक्ता ने सारी बातें कह दी हैं और मैं फिर उन्हीं बातों को दोहरा कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं यही कहूँगा कि आपने अफीम खरीदने के लिये जो सप्लीमेंन्ट्री डिमान्ड रखी है वह आपको शोभा नहीं देता है। अगर २० आदमी मर जाएं तो भले ही मर जाएं। अफीमचियों की औलाद होगी वह भी अफीमची ही होगी। हम चाहते हैं कि यह खत्म हो जाए। इसलिये आप इस सम्बन्ध में मेहरबानी करके कड़े से कड़ा कदम उठावें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस मांग संख्या ४२ के संबंध में मैंने भी एक कटौती का प्रस्ताव रखा है और इस कटौती के प्रस्ताव द्वारा मैंने मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की चेष्टा की है कि जहां एक ओर राजस्व मंत्री इस सदन में प्रगतिशील कानून लाने का दावा करते हैं और सदन के सदस्यों से तारीफ प्राप्त करते हैं और प्रशंसा प्राप्त करते हैं वहां मैं समझता हूँ कि उनको इस प्रकार की कोई मांग जिसके द्वारा कोई माननीय सदस्य ताईद नहीं देंगे, लेकिन मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता तो इस प्रकार से ओलंभा हर तरफ से मिलता है, मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी कौनसी आवश्यकता है जिसके कारण हम अपनी नीतियों में परिवर्तन करें। राज्य सरकार ने निर्णय लिया उस समय में फिर से पिछले सत्र में फाइनेन्स मिनिस्टर ने अपना भाषण दिया और कुछ दिन पहले हरिजन कल्याण सप्ताह में माननीय सदस्यों ने इसके विरोध के बारे में भाषण दिया। मगर जिस समय सदन में भाषण देते हैं हरिजनों के बीच में जाकर कि नशा नहीं करना चाहिये, शराब नहीं पीनी चाहिये। लेकिन जब इस सदन में आकर बैठ जायें तो मांग प्रस्तुत करते हैं कि दो लाख इस बात के लिए सदन को स्वीकार करना चाहिये। जिससे कि अफीमचियों को अफीम बांटने की व्यवस्था की जाय। जैसा कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने तो कटु शब्दों में भी कह दिया कि यदि सौ दो सौ पांच सौ अफीमची मर भी जायें और वे मरेंगे तो उससे लाभ यह होगा कि आगे आने वाले भविष्य में अफीमचियों की जो संतान होगी वह राजस्थान में अफीमची नहीं हो सकेगी, राजस्थान के भविष्य को बचा सकेंगे, भावी पीढ़ी में अफीमची नहीं होंगे ऐसी व्यवस्था हो सकेगी। इसलिए माननीय उप राजस्व मंत्री महोदय को मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता केवल इसके कि ठेकेदार से भी जब कभी वे दौरे पर जावेंगे तो उनका स्वागत भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि अफीमची अफीम ही अफीम खिलावेंगे। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों चाहते हैं ? जब समाज में सुधार चाहते हैं, बातें करते हैं तो क्या केवल कृषि के कानून या लैंड रिफार्म्स के कानून ही हों और समाज सुधार के लिए न हो, यदि सदन सब बातों के लिए है और सरकार भी चाहती है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप दिल मजबूत करें। अफीमचियों की ओर से कोई बहुत बड़ा आन्दोलन नहीं होने वाला है और उनके

Page No.43

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ऊपर का दबाव भी नहीं आने वाला है और जहां तक मेरी जानकारी है अफीमचियों की इस सदन में कोई वकालत नहीं करने वाला है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : वकालत करने वाले हैं जब ही तो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे आपके साथ होंगे मेरी जानकारी में नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो दो लाख की सदन के सामने मांग रखी है उसके लिए तर्क देने और कहने की आवश्यकता नहीं है और सदन के किसी माननीय सदस्य को भी इसके लिए कोई कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये थी और स्वयम् ही माननीय मंत्री महोदय को विचार कर लेना चाहिये था। और अल्टीमेटली जैसा श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि मेडिकल ग्राउन्ड्स पर ट्रीटमेन्ट के लिए, उनके लिए रूल्स हैं उनमें आवश्यक संशोधन करने के बाद राजस्थान में इस सम्बन्ध में कोई नीति अपनायेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ और इसी आशा से मैं अपना कटौती का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कट मोशन दिया है वह इसलिए कि मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिसएप्रूव करता हूँ क्योंकि अफीम के लिए दुबारा दो लाख रुपया मांगा है। इस कट मोशन के द्वारा सदन का ध्यान कि किस ढंग से सरकार फंक्शन कर रही है, एक मिसाल है कि विदआउट फोरसाइट और विदआउट प्लानिंग गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने सन् १९४९ में डिसिजन लिया था कि ३१ मार्च १९५९ से ओपियम का ओरल टेकिंग बन्द करवा देंगे सब जगह और इसके लिए तमाम स्टेट्स को इत्तला कर दी कि ३१ मार्च १९५९ इसके लिए डेड लाइन रख दी गई और उसके बाद एडिक्ट्स को ओपियम की सेल नहीं की जावेगी। दस साल का पीरियड रखा था और स्टेट्स को डाइरेक्शन दिया गया था कि प्रतिवर्ष दस परसेन्ट के हिसाब से सप्लाई कम कर दिया जावे ताकि १९४९ से लेकर १९५९ के मार्च तक जाकर १०० प्रतिशत बन्द हो जाय और यही वजह थी कि पिछले साल ऊपर से फाइनेन्स मिनिस्टर ने बजट मेमोरेन्डम पेश किया था और कहा था कि ३१ मार्च १९५९ को ओपियम बन्द हो जावेगी सारी स्टेट्स में और इसीलिए बजट में ओपियम के लिए प्रोविजन नहीं रखा और ओपियम एक्साइज ड्यूटी की इन्कम निल बताई गयी थी क्योंकि यही वजह थी कि ३१ मार्च १९५९ से बन्द करें इन परसुएन्स ऑफ आवर नेशनल पॉलिसी या गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का डाइरेक्टिव जो सन् १९४९ में दिया गया था।

मेरा ऑब्जेक्शन इन दो चीजों पर है। यह पॉलिसी है और जब बजट स्पीच ५९ की फरवरी में पेश कर रहे थे तो उसमें बताया कि यूनियन गवर्नमेंट के डाइरेक्टिव के माफिक It was implied there जैसा डाइरेक्टिव था कम करवा कर ३१ मार्च १९५९ में जाकर जो आखरी डेट थी रिडक्शन कर दिया।

(श्री पी० के० चौधरी)

Gradual reduction in supply of opium to the addicts.

उसके बाद यह मेरी समझ में नहीं आया कि ओवर नाइट कैसे पॉलिसी चेन्ज हो गई कि आप दो लाख रुपया चाहते हैं ओपियम पर्चेज करने के लिए। ५८-५६ में चार लाख की ओपियम के लिए प्रोविजन किया। दुबारा हम देखते हैं कि 50 percent of the amount the Government again requires for supplying opium to addicts. उससे मेरे दिमाग में, मन में शंका पैदा होती है कि या तो गवर्नमेंट के पास जिस दिन फाइनेन्स मिनिस्टर ने फरवरी ५६ में मेमोरैन्डम पेश किया न तो कोई आंकड़े होंगे, न स्टेटिस्टिक्स या उनको यह भी नहीं मालूम था कि एडिक्ट्स को अफीम सप्लाई करना होगा या नहीं। मैं यह जानना चाहूँगा कि यह रिवर्शल ऑफ दी डिसिजन स्टेट गवर्नमेंट ने कब लिया ? बजट पेश करने के पहले जो डिसिजन लिया that decision was in pursuance of the decision taken 10 years back. दस साल पहले एक पॉलिसी यूनियन गवर्नमेंट ने एडोप्ट की और तमाम स्टेट ने उसको परश्यू किया और उसके रिवर्शल के ओवर नाइट डिसिजन इस स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे और कब लिये ? उनको यह जानकारी थी कि हम बन्द कर रहे हैं फिर भी एडिक्ट्स को सप्लाई करना ही है तो ओरिजिनल बजट से करना चाहिये। What was the reason ? दो रीजन होने चाहिये। जैसा यूनियन गवर्नमेंट का डाइरेक्टिव था एडिक्ट्स को कम करते करते सप्लाई बन्द करना, वह नहीं किया। दस साल की जो पॉलिसी अपनानी चाहिए थी वह नहीं अपनाई, Gradual reduction in the supply of opium to addicts. उसको गवर्नमेंट ने नहीं फॉलो किया और फॉलो किया तो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करके इसको बन्द नहीं किया। ओपियम बन्द हो गया तो रिप्रिजेन्टेशन आया हो, जानकारी हुई हो और ओपियम सप्लाई करना और रह गया हो जिसको सप्लाई नहीं किया हो। लेकिन जो नेशनल पॉलिसी है, दस साल पहले जिसको एडोप्ट किया है और दस साल से जिसको परश्यू किया है उसको ओवर नाइट रिवर्स क्यों करते हैं ? मैं उम्मीद करता हूँ कि जब इस कट मोशन का जवाब देंगे तो बतायेंगे कि क्या कारण था इस रिवर्सल का ? What was the difficulty of the Government ? जब हम फेमिली बजट बनाते हैं, एक आदमी को तनख्वाह मिलती है तो पहले ही इन्तजाम फेमिली कर लेती है कि इस महीने में इतना खर्चा होगा। गवर्नमेंट क्या वर्क आउट करती है ? They are less farsighted, less discreet than even a housewife. एक हाउस वाइफ जितने डिस्क्रेशन से खर्चा चलाती है उतना गवर्नमेंट के पास नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : You are comparing Government with a housewife ?

श्री पी० के० चौधरी : Certainly. They are less discreet than even a house wife. फरवरी में डिसाइड करते हैं— They are not able to pull on. That shows that the Government was not far-sighted. ४६ में डिसिजन लिया था। दस साल पहले पॉलिसी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बनायी। बजट पेश किया उस समय इसको

Page No.45

(श्री पी० के० चौधरी)

बन्द कर देते। इसको परश्यू नहीं किया। उस समय केवल लोगों को बताना था कि इस पॉलिसी में राजस्थान सरकार दूसरी स्टेट्स से पीछे नहीं है और यह कहा कि हम भी अप्रेल से बन्द कर रहे हैं। जब बन्द करके उनका वस नहीं चला।

they can go back over their decision any time they like, and that they take a decision without taking into consideration the pros and cons of a thing. इसलिये मैंने कट मोशन रखा है To pinpoint to the House the indiscreet manner, un-foresighted manner in which the Government is functioning and the manner in which the Government has failed to execute the decision of the Government of India which was taken 10 years back in 1949.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मेरा थोड़ा सा ही है। माननीय अध्यक्ष, जो ओपियम के बारे में डिमान्ड है उस पर छोटा सा कटौती प्रस्ताव मेरा इस प्रकार से है :

मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ८-राज्य आबकारी कर में १) रु० की कटौती की जावे (वैद्यों को अफीम देने की अव्यवस्था पर विचार करने हेतु)

जो अफीम आयुर्वेद के चिकित्सकों को दी जा रही है उस सम्बन्ध में सरकार की जो नीति है उसके सम्बन्ध में मैंने इसे पेश किया है।

सरकार ने अफीम का औषधि के तौर पर उपयोग के लिये आयुर्वेद्यचिकित्सकों को छूट दे रखी है और इसके लिये दरख्वास्तें उनको असिस्टेन्ड एक्साइज कमिश्नर को देनी होती हैं। पर वह असिस्टेन्ट कमिश्नर उन दरख्वास्तों को उठाकर वैद्यों को वापिस कर देता है यह कहकर कि इनको डाइरेक्टर आयुर्वेद विभाग के मार्फत भिजवाए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या वैद्य भी अफीम खाते हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : अफीम वैद्य आपको खिलाते हैं।

(हंसी)

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इससे वैद्यों को बड़ी परेशानी है। अगर इस परेशानी और उनकी कठिनाइयों को आप नहीं समझेंगे तो आयुर्वेद प कुठाराघात होगा। आपका इण्डियन मेडिसन एक्ट है और उसके अन्तर्गत वे इस बात के अधिकारी हैं कि वे इसे दवा के रूप में प्रयोग कर सकें। पर इसमें डाइरेक्टर से रिकमन्ड कराने में दिक्कतें हैं, काफी परेशानियां भी हैं और रैड टेपिज्म भी है। आप यह कर सकते हैं कि आपके इन्सपेक्टर हैं, वे वैद्यों को बाउन्ड कर सकते हैं कि कितनी मात्रा किस मेडसिन में डाली, क्या स्टाक है, क्या खर्च हुआ, क्या बैलेन्स रहा। कितनी की जरूरत है। स्वतन्त्र प्रेक्टिस करने वालों को डाइरेक्टर से रिकमन्ड कराने में कठिनाइयां हैं। उनकी व्यापारिक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है। हां, राजकीय चिकित्सकों के लिये आप डाइरेक्टर के मार्फत आने की बात कह सकते हैं। स्वतन्त्र प्रेक्टिशनर्स

(डा बहादुरसिंह)

नरों के लिये आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं और हिसाब उसका ठीक रखते हैं या नहीं यही देखना काफी होना चाहिये। इससे सहूलियत उनको भी रहेगी और इस चिकित्सा पद्धति को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। पहले भी ऐसा होता था कि इन्सपेक्टर ने देखा और लिखकर रिकमन्ड कर दिया।

इसके अलावा आप निश्चित कोटा भी फिक्स कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से हर एक को लाभ है। मैं समझता हूँ कि मेरे कटौती प्रस्ताव का यही तात्पर्य है। इस पृष्टभूमि में इस पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४२ मुख्य शीर्षक ८ के अन्दर १, रु० की कटौती का संशोधन है राज्य में अफीम खाने वालों को सप्लाई करने की व्यवस्था पर विचार करने हेतु। सरकार ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन निकाला कि ३० दिसम्बर, '५८ तक डाक्टर से एग्जामिन कराकर असिस्टेन्ट कमिश्नर एक्साइज और टैक्सेशन से राशन कार्ड बनवा लें। पर वह नोटिफिकेशन किस वक्त पहुंचता है अध्यक्ष महोदय, यह मैं बताता हूँ। ३१-१२-५८ तक की तो है मियाद और एक्साइज इन्सपेक्टर के पास वह पहुंचता है १२-१२-५८ को अब उसके पास इतनी मशीनरी नहीं कि वह विज्ञापन कराकर लोगों को वाकिफ करा दें ३१ तारीख से पहले पहले।

जालोर में समय पर यह सक्युलर नहीं पहुंचा। जालोर जिले में अफीम खाने वालों के राशन कार्ड ११ सौ बने हुए थे। इस नये सक्युलर के अन्तर्गत ४०० इश्यू किये गये। इसमें डाक्टरों ने ३०० ऐसे इश्यू किये जिनके पास पुराने राशन कार्ड नहीं थे। पुरानों में से इस तरह सिर्फ सौ आदमी इसमें आ सके।

इसके बाद में अध्यक्ष महोदय, मैंने एक रिप्रिजेन्टेशन सरकार को भेजा इस बारे में। उदयपुर के कमिश्नर को लिखा। उसने वहां से ऑर्डर ६ फरवरी,५९ को सक्युलेट किया कि "Rules on the subject have been sent to the Government for approval and the Director of Medical & Health Services has also been addressed one the subject. Persons requiring opium, however, may approach the Medical Officer on any date and there is on fixed date after which the addicts will not be examined. But it is desirable that this work should be completed before the close of this financial year. तो अध्यक्ष महोदय, यह सक्युलर मेरे पास आया। मैंने जाकर मैडिकल ऑफिसर को कहा। उन्होंने कहा कि मैंने डाइरेक्टर को लिखा है क्योंकि उन्होंने हमें कुछ इत्तला नहीं भेजी है कि मैं बनाऊं या नहीं। तो इस प्रकार से यह सक्युलर पहुंचने के बाद भी मैडिकल डिपार्टमेंट ने कई आदमियों को एग्ज़ामिन नहीं किया और मैं विश्वास दिलाता हूँ सदन को कि जालोर जिले में वास्तव में जो आदमी पाने के हकदार थे यह राशन कार्ड उनमें से कई लोग रह गये। उनको एग्ज़ामिन नहीं किया गया और कई ऐसे लोगों को दे दिये गये जिनका सिर्फ व्यापार ही यह बन गया था। डॉक्टर ने एक तोले के पर्मिट की फीस मुकर्रर कर दी १०) और दो

(श्री लक्ष्मीचन्द)

तोले की कर दी २०) । इस प्रकार डाक्टर ने भी इस दरमियान सैंकड़ों रुपयों की इन्कम कर ली । परिणाम इसका आज यह आ रहा है कि खाने वालों को ब्लैक मार्केट से खरीदना पड़ता है और जिनको दिये गये वे लोग धड़ाके के साथ ब्लैक मार्केट में अच्छी कीमत पर बेच रहे हैं और सरकार देख रही है ।

फिर और भी है कि जिन कुछ थोड़े बहुत लोगों को राशन कार्ड मिले उनके लिये पहले व्यवस्था थी कि नजदीक की दुकान से वे ले लेते थे । पर अब उनको तहसील-हैडक्वार्टर पर जाकर खरीदना पड़ता है । एक आदमी जिसको आप एक तोला अफीम देते हैं उसके आने जाने में पांच रुपये खर्च होते हैं और आठ रुपये की एक तोला अफीम इस तरह से करीब १३ रुपये की एक तोला अफीम पड़ती है । आप कहते हैं कि हमारी इस तरह की व्यवस्था है । जब कि १३ रुपया तोला अफीम पड़ती है तो क्यों नहीं एक आदमी १२ रुपये तोले में ब्लैक मार्केट से एक तोला अफीम लेगा । आप कहते हैं कि हमने सुधार किया है, मेरी समझ नहीं आया ।

दूसरे जो आपकी स्कीम है वह लोगों को स्पष्ट नहीं है । यह आपकी पॉलिसी कब से चालू की जायेगी और किस तरह की नीति होगी इसके ऊपर आपने जरूर शिक्षित समाज को बताया है और आपने जरूर उसके लिये शिक्षित समाज में प्रचार किया होगा । और भाषण देकर इस प्रकार से अनुगृहित किया होगा कि भारत सरकार कब अफीम बन्द करने जा रही है लेकिन जहां अशिक्षित क्षेत्र हैं और जहां अफीम खाने वाले ज्यादा हैं उनको किसी प्रकार का भी प्रचार कर कुछ नहीं बतलाया है कि राजस्थान सरकार इस को बन्द करने जा रही है इसका उत्तरदायित्व राजस्थान सरकार को है और वित्त मंत्री पर है कि जिन्होंने जनता को इसके प्रति शिक्षित नहीं किया है और ब्लैक मार्केट से जिनको अफीम खरीदनी पड़ती है । उन्होंने पहले राशन-कार्ड बनाया और डॉक्टर ने एग्ज़ामिन किया और कलेक्टर सिरोही ने एकदम ऑर्डर्स इश्यू कर दिये कि जिनको एक तोला अफीम राशनकार्ड से दी जाती है उनको आधी तोला दो हम लोग तो यह सुनते थे कि १।८ हिस्सा बन्द को जायेगी मगर कलेक्टर इस तरह से ऑर्डर्स से इश्यू करते हैं कि आधा तोला में, से १।८ हिस्सा बन्द की जायेगी । तो इसके लिए आप को कोई स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी कि हम इस तरह से अफीम को बन्द करना चाहते हैं । इसके लिए मैं पहले यह सुझाव दूंगा कि आज डोडे हजारों मन की तादाद में बाजार में बिक रहे हैं उनको पहले बन्द करना चाहिए क्योंकि आज अफीम महंगी हो गई है लोग डोडों को उबाल कर उसके पानी को पीते हैं । हमारे यहां तो दो तीन घटनायें घटी हैं उससे सूज कर लोग मरे भी हैं । इसलिए इस तरह डोडों को आपको पहले बन्द करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं यही कहूँगा कि जो अफीम की प्रणाली है उसको चलाना चाहते हैं तो चलाईये मगर इन डोडों को जरूर बन्द कर दीजिये और जो अफीमचियों पर मुसीबत आ रही है उसको रोकने के लिए एक दम विचार करें ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी कटौती प्रस्ताव अफीम के वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध

(श्री मुरलीधर व्यास)

में रखा है और इस पर बहुत से सम्माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। कुछ सम्माननीय सदस्यों ने इस पर इतना रोष भी प्रकट किया है कि यदि इस प्रकार से अफीम खाने वाले सरकार की नीति से मर भी जायें तो हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिये। आदर्श के रूप में तो वाकई अच्छी बात है लेकिन सवाल यह है कि अफीमचो का व्यवहार किस प्रकार का होता है इसको जब तक नहीं जाने तब तक इस प्रकार की बात कही जा सकती है। मैं अफीमची नहीं हूँ और न मैंने कभी अफीम का इस तरह से स्वाद ही लिया है लेकिन अफीमचियों के साथ रहने का कुछ मौका मिला है और मैंने ऐसा अनुभव किया कि जैसा अफीम के लिए कहा गया कि इसको एकदम बन्द कर देना चाहिए और इसके लिए यदि कोई मर भी जाये तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिये तो इस तरह से बिना अफीम खाये लोग मर भी जाते हैं लेकिन ऐसे लोग दूसरों को भी मार सकते हैं। वह स्थिति इसलिये पैदा हो जाती है कि मैंने एक तांगे वाले को देखा कि अगर उसको अफीम नहीं मिलती थी तो उसका तांगा ही बेलगाम चलता था और अगर वह अफीम वाले के दरवाजे पर पहुंच जाता था और फिर तांगे को किस तरह चलाता था तो इस प्रकार से मेरा अनुभव रहा है। अगर इस प्रकार के लोगों को ठीक समय पर अफीम नहीं मिले दूसरे आदमियों को एक्सीडेन्ट कर मार भी सकता है। तो मैं इसका पक्षपाती तो नहीं कि कानून इसको एकदम बन्द कर दे। लेकिन मैं इस बात का जरूर हामी हूँ कि सरकार को इस प्रकार की योजना रखनी चाहिये और इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे अफीम धीरे धीरे बन्द हो और आदमी स्वयं उसकी बुराइयों को देखते हुए खुद छोड़े। अगर यह तरीका अख्तियार किया जाता है तो उससे जरूर लाभ हो सकता है। जैसा कि फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि सन् १९४९ में इस प्रकार की योजना बनी कि १९५९ तक इस प्रकार से अफीम पीने वालों की संख्या नाम रहित हो जायेगी। तो उस आधार पर १० साल में प्रयत्न करते तो मैं समझता कि धीरे धीरे यह संख्या कम होती। लेकिन सरकार ने यह किया है कि जो काम सन् १९५० में शुरू करना चाहिये था वह १९५९ में किया और इस प्रकार से राशनकार्ड बनाए कि धीरे धीरे पर्सेन्टेज कम करके उसको बन्द करना चाहते हैं। ठीक है तरीका परन्तु उसमें कुछ खामियां रह गई हैं। जैसा कि सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सांचोर के अन्दर ११०० लोग इस तरह से अफीम खाने वाले हैं और उसके अन्दर से ४०० राशनकार्ड बने मैं समझता हूँ कि यह भी एक प्रकार से राशनसा ही हो गया है और उसमें से करीब ३०० व्यक्ति ऐसे हैं जोकि वास्तव में अफीम खाने वाले नहीं थे और उन्होंने यों ही राशन कार्ड बनवा लिए और उसमें से केवल १०० आदमी ही अफीम पीने वाले थे। इस तरह से करीब १००० आदमी जो कि अफीम खाने वाले थे वे उससे वंचित रह गये। अगर ऐसी राज्य के हर जिले में हुई हो तो ऐसा सोचना पड़ेगा कि सरकार ने जो प्रतिबन्ध लगाने की स्कीम सोची है या तो बौद्धिक दृष्टिकोण को सामने रखकर वह स्कीम नहीं बनाई और केवल स्कीम के लिए सोच लिया गया कि बन्द करना है और इस तारीख से बन्द करना है और राशनकार्ड आकर १२

Page No.49

(श्री मुरलीधर व्यास)

दिसम्बर को पहुंचे जब कि ३० दिसम्बर से बन्द कराना था और लोगों को इसका पता नहीं चला । तो मैं यह समझता हूँ कि सरकार आखिर इस काम के प्रति भी इसको कहां तक बुरा समझती है और इस अफीम और शराब को समाप्त करने के लिए कौन से ऐसे सक्रिय कदम और तत्परता के साथ में, उसके साथ ही साथ उसके ऊपर गम्भीरता के साथ विचार करे और एक नक्शा बना करके किस तरह से काम करती है तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नक्शा नहीं बना । यही कारण है कि हम जो कुछ करना चाहते हैं उसको जो सही माने में असर होना चाहिए वह नहीं होता । बम्बई के अन्दर शराबबन्दी हुई और शराबबन्दी बन्द होने के बाद में बम्बई सरकार ने जो लोग इस प्रकार के व्यसनी थे और उनको किस तरह से समाप्त करना था उसकी भी योजना बनाई और उसके अनुसार काम शुरू किया और वह इतने अच्छे ढंग से किया कि उसमें धीरे धीरे वे लोग जो शराब पीते थे वे ताड़ियों पर आये और आज भी सरकार वहां पर ताड़ी के केन्द्र चलाती है । जो थोड़े बहुत पीने वाले हैं वे शराब का काम ताड़ियों से चलाते हैं । उन शराबियों को भी जो वहां पर एक क्लब के रूप में चलते हैं उसके अन्दर काम करने वाले इतने व्यवस्थित होते हैं और उनके पास में इस प्रकार की योजना रहती है कि वे ध्यान रखते हैं कि उनके पास कितने पीने वाले आते हैं और पहले कितने थे और उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देनी है और किस प्रकार के उपदेश देने हैं और जो ताड़ी पिलाते हैं यह शराब धीरे धीरे किस प्रकार से हटाई जाये उनके पास इसका पूरा प्लान है और उसके अनुसार ही उनका चला था और यही कारण था की उन्होंने कुछ कामयबी हॉसिल की । किन्तु हमारे यहां पर हुक्म लगाया कि अफीम बन्द हो । अफीम बन्द होने लगी तो डोडे चलने लगे जो कि उससे भी ज्यादा बुरी चीज है और उसको रोकने के लिए कोई योजना नहीं है । योजना इतनी थी कि आज से राशन कार्ड लेकर डाक्टर के पास आवें और डाक्टर धीरे धीरे उनको कम कराता जाये ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : इस सम्बन्ध में आपकी क्या योजना है ?

१ म. प.

श्री मुरलीधर व्यास : तो मैं कहता हूँ कि अगर सरकार यह कहती कि इस प्रकार से जो राशन कार्ड बने तो राशन कार्ड के पहले यह पता लगाती कि कितने लोग खाने वाले हैं, अफीम खाने वाले हैं, और अफीम खाने वालों की संख्या की जानकारी किसी प्रकार से प्राप्त करते, वह इस प्रकार से हो सकता था कि अफीम के ठेकेदार हैं वे गांव में हर जगह हैं । उनके पास सब जानकारी रहती है कि कौन कौन खाने वाले हैं । इस प्रकार से लोगों की जानकारी लेते और गुप्तचरों ज़रिये लिस्ट बनाकर सरकार के पास वह लिस्ट होती कि राजस्थान में इन इन ज़िलों के अन्दर इस प्रकार से अफीम खाने वाले हैं । तो वह एक काम होता, और उसके बाद में फिर वह यह घोषणा करते कि वे लोग जिनके नाम इस प्रकार से है वे राशन कार्ड के लिए आयें और इस तारीख के अन्दर अन्दर उनको कार्ड इश्यू किए जा सकते हैं और एक सेपरेट डाक्टर डिस्ट्रिक्टवाइज़ नियुक्त करते कि वह

Page No.50

(श्री मुरलीधर व्यास)

एक प्रकार से शिक्षक का भी काम करता। जो लोग इस प्रकार के हैं उनको शिक्षा के रूप में, प्रचार के रूप में उनके दिमाग में यह बैठाने की कोशिश की जाती कि अफीम किस किस प्रकार का नुकसान करती है। जब वे सर्टिफाई करते तो उसके साथ साथ उनके दिमाग में यह असर देते कि जिससे उनके दिमाग में उसके प्रति घृणा हो जाय और धीरे धीरे उनको कम करते और डाक्टर को इस प्रकार की हिदायत होती जिस प्रकार की एक शिक्षक के लिए होती है कि उसको कितने छात्र पास करने हैं और कितने पास होने चाहिये, उनका कैसे कैसे विकास होना चाहिये। उसी प्रकार से धीरे धीरे वह किस प्रकार से एक मन्जिल पर पहुँच जाय कि वह छूट जाय। तो डाक्टर जो एक शिक्षक के रूप में होता और कुल कितनी इस प्रकार के अफीम खाने वालों की संख्या है, उनकी एक योजना होती और उस आधार पर बन्द करते तो तो मैं समझता हूँ कि अफीम खाने वालों की संख्या कम करते तो एक चीज़ बन्द होती। ऐसी कोई योजना सरकार के पास नहीं। सरकार एक आदर्श के रूप में कानून के रूप में करती है क्योंकि लोग अर्से से आवाज़ उठा रहे हैं कि यह बुरी चीज़ है। मानता हूँ कि यह बुरी चीज़ है परन्तु उसके साथ में एक निश्चित योजना के आधार पर काम करते तो फायदा होता। उसके विपरीत अब डाक्टर लोगों को सहारा मिल गया। जिसको ज्यादा चाहिये उसको पैसा मिलने लगेगा। उसके दिमाग में पैसे की स्कीम आ गई और सुधार और शिक्षक के विकास की कोई स्कीम नहीं है। डाक्टर इस प्रकार के होने चाहिये कि जो कि इस प्रकार से धीरे धीरे कम करके इस चीज़ को बन्द करते और इस काम के अन्दर कामयाबी हाँसिल करते। मैं समझता हूँ कि सरकार इस प्रकार से विचार करेगी।

आपने ४ लाख रुपये अफीम के लिए इस प्रकार से रखे और अब आपने फिर दो लाख रुपये इस प्रकार से बाहर से मंगाकर वितरण करने के लिए रखे, क्योंकि यहां पर तो समाप्त कर दिया। मैं यह समझता हूँ कि मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर कोई योजना बनायेंगे नहीं और साथ ही साथ यह जो बुराई चली जा रही है इसको समाप्त करने लिए गम्भीरता से विचार नहीं किया तो हो सकता है कि आगे फिर २ महीने के बाद इस प्रकार को बात करनी पड़े। जो हमारा मूल उद्देश्य है उसको समाप्त करना चाहते हैं वह समाप्त नहीं हो सका तो मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय इस प्रकार से इस पर विचार करेंगे ताकि एक ऐसी स्कीम बनाये जिसके आधार पर यह अफीम जो हम चाहते हैं कि समाप्त हो जाय, इसको लोग खाया न करें तो वह हो सकता है।

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४२ पर माननीय सदस्य ने रखा है ....

श्री अध्यक्ष : आपका इस पर कोई कट मोशन नहीं है।

श्री मोगजी भाई : कट मोशन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बोल लें। आप बोल सकते हैं।

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा): यह कटमोशन रखा है उस पर माननीय सदस्य ने सदन में विचार व्यक्त किये हैं उसके बारे में मैं भी समर्थन करता हुआ सरकार से यही निवेदन करूं इसी संबन्ध में कि सरकार ने अफीम को खरीद करके एक अफीमची या अफीम खाने वाले को जो देने की व्यवस्था है उसमें क्या कठिनाई है और किस प्रकार का उनके साथ में व्यवहार है यह तो स्पष्टीकरण हो ही गया है। चाहे अपने देश में खरीदें या विदेश में खरीदें लेकिन जब यह अफीम लेकिन सरकार अफीम खरीदी जाती है तो किसानों को तो अफीम का भाव एक तोले पर एक रुपया के हिसाब से दिया जाता है। उस भाव से वह खरीदी जाती है। आज जब ४० तोला किसी किसान से खरीदी जाती है तो ४० ही रुपये सरकार देती है जब कि माननीय सदस्य ने यहां पर यह विचार व्यक्त किये हैं कि एक एक तोले के १०) रु० तक अफीम खाने वालों को देने पड़ते हैं। तो सरकार जिस एजेंन्सी के मार्फत अफीमखरीदकर अफीम बेचती है तो एक रुपये का दसगुना फायदा वह उन एजेंन्सी वालों को देती हैं। इस प्रकार से यह उन किसानों के साथ जोकि अफीम पैदा करते हैं उनके साथ अन्याय है। उनको उस का पूरा मुनाफा नहीं मिल कर यह सारे का सारा मुनाफा एजेन्सी या जो ठेकेदारी प्रथा है उनको चला जाता है। तो सरकार जब ४० तोले के ४०)रु० किसान को देती है और एजेन्सी से बेचने वाले लोग ब्लैकमार्केट करते हैं और १०) रु० तोला देते हैं तो ४० रु० के बजाय उनको ४००) रु० का फायदा होता है और और किसानों को सिर्फ ४० रु० ही मिलते हैं। इस प्रकार का भेदभाव रखा जाता है, और कानून में ऐसी व्यवस्था है कि जो किसान दिन रात मेहनत करके अफीम पैदा करता है उसको किसी प्रकार का फायदा नहीं है। उसको पूरा फायादा मिलना चाहिये और दूसरे जो खाने वाले हैं उनको सस्ती अफीम मिल सके ऐसी व्यवस्था कानून में नहीं की है तो किसान के साथ में अफीम खरीदने का जो व्यवहार है वह सरकार का अनुचित है। इस पर सरकार को बहुत ही विचार करना चाहिये, और जो अफीम कमाते हैं उन किसानों को कम से कम ४०) रु० के बजाय ८०) या १००) मिलने चाहिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

तहसीलों से जो पर्मिट दी जाती है अफीम पैदा करने की उसमें भी पक्षपात ही होता है। जो अफीम कमाना चाहते हैं, जो खुद मेहनत करते हैं उन्हें पर्मिट मिलना चाहिये। यह भी साथ ही साथ मैं सरकार को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करनी चाहिये। किसानों को अफीम पैदा करने वालों को भाव का पूरा फायदा मिलना चाहिए। सरकार एजेन्सी वालों को लाखों रुपयों का फायदा दे। इस प्रकार की सरकार जो व्यवहार करती है खाने वालों के साथ तो वह अन्याय करती है। तो यह व्यवस्था बहुत बुरी है। इस प्रकार से आज के युग में जनतन्त्र के साथ में विश्वासघात है, और इस तरह से व्यवहार और कानून में बड़ी दुर्दशा है। इसको जल्दी से जल्दी सरकार सुधारे, यही मेरा निवेदन है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, केवल बड़े संक्षेप में इस बात पर कुछ कहना चाहूंगा। वास्तव में अफीमची के लिये मेरे दिल में कोई खास हमदर्दी नहीं है। मैं यह समझता हूँ कि यह दुर्व्यसन आमूल नष्ट किया जाना चाहिए था राजस्थान से यह जो अफीम लेने वाले हैं। उनको एक प्रकार से गोली मार कर चलते हैं जो कि इसको छोड़

(श्री शंकरलाल)

नहीं सकते, वे एक प्रकार के रोग में ग्रस्त हैं और रोग को मिटाने के लिए कोई भी इलाज उठाना चाहिए जिससे बिना राशन के बिना अफीम दिये उनकी अफीम छुड़ाई जा सके। अफीम देकर अगर आप उनका अफीमचीपन कायम रखना चाहते हैं तो यह ठीक नहीं है। लेकिन अफीमची को कायम रखकर उनको अफीम देते रहेंगे तो वास्तव में चाहे कोई प्रणाली हो राशन लगायेंगे तो अवश्य भ्रष्टाचार आयेगा। जो मौजूदा प्रणाली लागू की गई हैं मुझे खुद अनुभव है कि जब हम शहरों में अफीमची को देखते हैं डाक्टरों और अस्पतालों के बाहर में इकठा हुए अपने राशन कार्ड के लिए, तो अध्यक्ष महोदय, उनको आप देखेंगें तो बड़ा अफसोस होगा कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के अफीमची भी हैं। उनको अभी तक अफीम देकर लाखों रुपया खर्च करना चाहते हैं और उनको अफीम खरीदने के लिए एक विशेष ग्रान्ट अपने सदन से पास करवाना चाहते हैं।

मैं समझता हूँ कि चीन में इस प्रकार का अफीमचीपन खत्म हुआ जो कि एक ऐसा देश माना जाता था जिसके अन्दर बहुत ही अफीम लेने वाले थे इस दुर्व्यसन के बहुत कुछ शिकार थे। तो मुझे इस बात का पता नहीं कि ऐसी कोई चिकित्सा हो सकती है लेकिन मैं समझता हूँ कि यह असंभव नहीं है। उनका अफीमचीपन मिटाने के लिये सरकार जिम्मेदारी ले। सरकार यदि चाहती है कि इनका अफीमचीपन दूर किया जाय तो जो इसके रोगी हैं वे अपना नाम दर्ज करा दें और सरकार जिम्मेदारी ले इस रोग के इलाज की। यदि डाक्टर कहेगा कि इसमें पैसे लगेंगे और उस अफीमची के पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं होगा तो उसका इलाज नहीं हो सकेगा ऐसी हालत में इस डिपार्टमेन्ट की लुक आउट है कि उनका इलाज करावे और उनकी अफीम खाने की आदत को खत्म करावे। वर्ना मौजूदा जो तरीका है उससे भ्रष्टाचार फैलता है। अफीमची अफीम के लिये तहसील के केन्द्र पर आते हैं और उनको चार चार दिन तक तहसील हैडक्वार्टर पर पड़े रहने पर भी पर्मिट नहीं मिलता। वहां से फिर उनको ट्रेजरी जाना पड़ता है, फिर अहलकार के पास जाना पड़ता है और दो रुपये की चीज खरीदने के लिये उनको ६,८ खर्च करने पड़ते है। उनमें से कुछ लोग मेरे पास भी आये थे और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी इस समस्या को हल करो। मैंने उनसे कहा कि यह समस्या तो तभी हल हो सकती है जब कि आप अफीम खाने की आदत को छोड़ दो। कोई ऐसा इलाज निकल सके जिससे उनकी आदत छूट सके तो यह बहुत उत्तम होगा। और यदि आपको इस प्रणाली को रखना ही है तो इसमें सुधार करना चाहिये। सरकार ने जो अपना हस्तक्षेप रखा है चालान काटने और फिर रुपये जमा कराने और फिर खरीदने का जो तरीका है उसे यदि सरकार के पास ही रखना है तो एक ही अहलकार मुकर्रर कर दीजिये जो उनसे रुपये लेकर अफीम दे दे, ऐसा नहीं हो कि पहले चालान कटावे फिर ट्रेजरी में जावे, फिर बैंक में जावे। ऐसा जो जाल है उसे रिमूव करना चाहिये वर्ना एक एक आदमी को १५, २० रुपये खर्च करने पड़ते हैं और दिक्कत उठानी पड़ती है।

साथ ही डोडे की बात कही गई इस बारे में मैं निवेदन करूंगा कि एक तरफ तो अफीम

(श्री शंकरलाल)

की प्रथा को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ डोडे पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते। जो डोडे मिलते हैं उनको गांवों में लोग खूब घोट कर पीते हैं। तो जो हम दुर्व्यसन मिटाना चाहते हैं। यह मिटता नहीं है। डोडा स्वास्थ्य के लिये नुक्सानकारी साबित हुआ है इसलिये डोडा बिल्कुल बंद होना चाहिये और अफीम मिलने की दिक्कत को कम करना चाहिये। वर्ना हम कहते हैं कि हम इसका प्रचार कम करना चाहते हैं वह इस प्रकार से नहीं होगा। इससे तो उल्टा भ्रष्टाचार फैलेगा। लोग डोडों पर निर्भर रहेंगे और नशे की चीज चालू रहेगी, अफीम के रूप में नहीं तो डांडे के रूप में। इसलिये जो हमारा मकसद है व्यसन दूर करने का वह तभी पूरा हो सकता है डोडा बंद किया जाय, अफीम मिलने की प्रणाली को सुधारा जाय और अफीम को बंद किया जाय।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४२ की तरह जो २ लाख रूपये की विशेष मंजूरी की मांग की है उसके विषय में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ और आशा रखता हूँ कि सरकार मेरे निवेदन की ओर विशेष ध्यान देगी।

अफीम की आदत और प्रचार वैसे हिन्दुस्तान के और स्थानों की अपेक्षा राजस्थान में बहुत ज्यादा है और अफीम के प्रयोग से जो मनुष्य को नुक्सान होता है वह केवल भारतीय प्रश्न नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है और इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया है। इस चीज को रोकने के लिये तीन उपाय सोचे गये हैं।

१. १५ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

पहला उपाय यह है कि अफीम की काश्त पर प्रतिबन्ध लगाया जाय, दूसरा यह है कि अफीम के व्यापार पर कंट्रोल किया जाय और तीसरा यह है कि अफीम खानेवालों की आदत छुड़ाई जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग में खाली यह बतलाया गया है कि राजस्थान सरकार २ लाख रुपयों की विशेष आवश्यकता समझती है ताकि २ लाख रुपयों से अफीम खरीद कर उन लोगों की आवश्यकता को पूरा किया जाय जो अफीम के आदी हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि अफीम के बारे में प्रभाव रखनेवाला एकमात्र उपाय सरकार अपना रही है। दूसरा उपाय है अफीम की खेती पर कंट्रोल करना। उसके लिये सरकार ने काफी अच्छा कदम उठाया है और यह कार्य सेन्ट्रल सरकार की ओर से आ रहा है और हर एक आदमी अफीम की काश्त नहीं कर सकता। खाली वे ही लोग काश्त कर सकते हैं जिनको लाइसेन्स दिये गये हैं इसलिये अफीम की पैदावार करने में भी सरकार बहुत ज्यादा अच्छा कदम उठा रही है। लेकिन जो तीसरा साधन है कि अफीम के व्यापार को कंट्रोल में लिया जाय उसके बारे में निवेदन करूंगा कि अफीम पैदा करने वाले काश्तकारों से कम दामों में खरीद कर लोग अवैधानिक व्यापार करते हैं। यह काम पुलिस के जुम्मे रखा गया है कि अवैधानिक व्यापार करनेवालों को पकड़ा जाय और उन्हें उचित सजा दिलाई जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि अफीम के

(श्री रामचन्द्र)

व्यापार पर कंट्रोल करने और स्मगलर्स को गिरफ्तार करके सजा दिलाने में पुलिस अब तक बिलकुल अयोग्य साबित हुई है। हम देखते हैं कि १०० मामले पकड़े जाते हैं तो उनमें से मुश्किल से २५ मामलों में लोगों को सजा मिलती है। ज्यादातर मामलों में किसी न किसी कारण से लोग सजा पाने से बच जाते हैं। इस वास्ते यदि आपको अफीम पर वास्तविक रूप में कंट्रोल करना है तो इसके व्यापार की तरफ सरकार का ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिये क्योंकि जो लोग अवैधानिक व्यापार करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, वे अफीम पैदा करनेवालों से खरीद कर भारत के भिन्न भिन्न भागों में बेचते हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जाय और अफीम के मामले में अब तक पुलिस के स्तर से अदालत तक जिस तरह की ढिलाई हो रही है। उस पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाय क्योंकि यह व्यापार ऐसा है जिसके द्वारा बहुत अधिक रुपया कमा लेते हैं। वे लोग रुपयों के लालच में अभद्र व्यापार करने में अपने आप उतारू हो जाते हैं। इसलिये यदि सरकार चाहती है कि अफीम का चलना कम हो राजस्थान में तो केवल लाइसेन्स पर अफीम खरीदनेवालों को देने से नहीं रुकेगा बल्कि उसका जो अभद्र व्यापार है उसको रोकने से अफीम का प्रचार कम हो सकता है।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि अफीम का जो एक भाग अफीम के डोडे हैं उनका प्रचार आम तौर से खुला है। आजकल उसका प्रचार चाय के साथ हो गया है। चाय अच्छी और तेज बनाने के लिये लोग डोडों का प्रयोग करते हैं। इससे बूढ़ों को तो नुकसान नहीं है और न उनको इसकी आवश्यकता ही है क्योंकि वे तो बड़े जबर्दस्त अफीम खाने वाले होते हैं इसलिये चाय के साथ यदि डोडे डाल दें तो उन पर विशेष असर होने वाला नहीं है। लेकिन युवकों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे यहां दिन ब दिन इस तरह की चाय का प्रचार बढ़ रहा है उसमें अफीम के डोडे डालकर उसका प्रचार किया जाता है। इसका लोगों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है इसलिये डोडों का व्यापार बंद हो जाना चाहिये ताकि अफीम का बुरा प्रभाव जो युवकों पर पड़ रहा है, वह रोका जाय, यह मेरा निवेदन है। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि इसके व्यापार के ऊपर थोड़ा प्रतिबन्ध लगाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon'ble Minister.

श्री सम्पतराम (उप-मन्त्री, आबकारी तथा कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४२ के ऊपर कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। सारे वादविवाद को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा कि कुछ इसके बांटने की दिक्कत, जो अफीम खाने वालों के सामने आ जाती है, इसके बारे में कहा गया है, कुछ दवाओं के लिए अफीम प्राप्त करने के लिए वैद्यों के सामने दिक्कत आ जाती है, उस पर प्रकाश डाला गया है और कुछ हमारे देश की प्रोहिबिशन पॉलिसी पर प्रकाश डाला गया है। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि प्रोहिबिशन का जहां तक ताल्लुक है, यह अखिल भारतीय सवाल है और अपने संविधान में इस प्रकार का गाइडिंग प्रिंसिपल

(श्री सम्पतराम)

रखा है जिससे हरएक राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि प्रत्येक राज्य में शराब बन्दी हो, अफीम की सेल और कन्जम्प्शन कम हो और उसके तहत समय समय पर राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार भी अपने अपने तरीके से कदम उठाती रही है। अभी एक माननीय सदस्य ने संकेत किया था कि १९४९ में ऑल इण्डिया ओपियम कॉन्फ्रेंन्स हुई थी और उसमें तय किया था कि १० साल के दौरान में ओपियम का कन्जम्प्शन कम कर पायेंगे। इस प्रकार नीति देश में अपनाई गई, उसके तहत जहां तक इसकी सप्लाई थी ऑल इण्डिया गवर्नमेंट के जरिये स्टेट गवर्नमेंट के जरिये, उसको भी कंट्रोल किया गया है। समय समय पर इसके कंट्रोल के वाकयात होते रहे हैं। मैं पिछले साल के आंकड़े पेश करू तो साफ तौर पर लक्षित होगा। इस साल फर्स्ट अप्रेल १९५९ से ऑल इण्डिया पॉलिसी डिक्लेअर की गई है कि नॉन मेडीशनल, क्वेसी मेडीशनल के लिए प्रेक्टिशनर सर्टिफाई कर देंगे, तब मिलेगी। इससे साफ जाहिर है कि ओपियम का कन्जम्प्शन बहुत कम कर दिया गया है करीब पहले से आधा हो गया है। अब उसके न मिलने के कारण मरने की नौबत आ सकती है, समाज में नुक्स पैदा हो सकता है, उसके लिए व्यवस्था की है कि उनको ओपियम दिया जाय लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टेड क्वान्टिटी में दिया जाय। इसके लिये कायदे, कानून, नियम बनाये गये। जो डॉक्टर के सर्टिफिकेट की शर्त है, वह इसलिए लगाई गई है कि वह तसदीक करें कि ओपियम न मिलने के अभाव में व्यक्ति की लोस होने की सम्भावना है, ऐसी सूरत में ओपियम दिया जाता है और वह भी रेस्ट्रिक्टेड रूप में ऐसा नहीं है कि चाहे जितना प्राप्त करो। दूसरी बात यह है कि बजट में प्रोविजन क्यों नहीं रखा? उसका यह कारण है कि ऑल इन्डिया पॉलिसी थी और यह तय कर दिया गया था कि १९५९ तक बन्द कर देना चाहते हैं। राजस्थान सरकार इस प्रतीक्षा में थी कि कौन सी नीति गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया द्वारा अपनाई जाती है, इसलिये बजट में प्रोविजन नहीं रखा। फर्स्ट अप्रैल, १९५९ में संकेत मिला ओपियम के डिस्ट्रिब्यूशन के लिए, इस तरह व्यवस्था करना चाहते हैं, बजट में रेगूलर बजट में प्रोविजन इसलिए नहीं रखा क्योंकि बजट पहले बन चुका था और आल इण्डिया पॉलिसी साफ जाहिर नहीं हो सका। उसके बाद नीति साफ नजर आई तो बजट में प्रोविजन करना पड़ा। कुछ माननीय सदस्यों ने संकेत किया था। ४ लाख का पिछली दफा प्रोविजन किया गया, इस बार दो लाख का प्रोविजन क्यों किया गया है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां तक ओपियम का सवाल है, रुपये जिस प्रपोर्शन में कम किये हैं, उस प्रपोर्शन में ओपियम कम हुई हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ओपियम की प्राइस बढ़ गई है। पहले ४०० मन तक ओपियम खरीदते थे गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से, अब ७० मन खरीदें, तीन चौथाई कन्जम्प्शन कम हो गया। उसके बाद कन्जम्प्शन को बहुत रेस्ट्रिक्ट किया गया है। इसके साथ ही गवर्नमेंट आफ इण्डिया कन्जम्प्शन को कम करेगी। जहां तक अफीमची लोगों को अफीम मिलने का सवाल है, इसको राज्य सरकार ने गम्भीरता से सोचा है, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के इन्स्ट्रक्शन था, जहां तक सम्भव हो सका,

(श्री सम्पतराम)-

अमल किया गया है। फिर भी जो राजस्थान की ज्योग्राफिकल पोजीशन है, उसमें यह सम्भव नहीं था कि अफीम को गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू बटवाने की कोशिश करें। बीकानेर एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसकी पोपूलेशन ज्यादा है और वहां पर अफीम का कन्जम्प्शन भी ज्यादा है। जैसा संकेत था गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का, उसके अनुसार जोधपुर में किया है लेकिन हर जगह कमीशन एजेन्ट खड़े नहीं किये गये हैं, क्योंकि सब जगह पर बेअर हाउस कायम नहीं किये जा सकते। जबकि एक तरफ हम चाहते हैं कि प्रोहिबिशन कायम हो, यह सम्भव नहीं है कि बेअर हाउस कायम कर दे। जहां तक दुकान खोलने का सवाल है, मैं वाजिब नहीं समझता कि हर एक जगह दुकान खोलें।

वैद्यों के लिए जो आपत्ति उठाई, उसमें आप देखेंगे कि उसकी जहां तक सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, वह करेंगे। हर एक वैद्य को अफीम दें। इसके लिए जांच करना जरूरी होगा। जब तक एक्साइज विभाग के अधिकारी यह न जान लें कि फलां ने वैद्य को कितनी ओपियम की जरूरत है........

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मेरा सुझाव यह था कि आप इन्सपेक्टर को नियुक्त कर दीजिये।

श्री सम्पतराम : इस प्रकार की जानकारी करने के लिए यह आवश्यक है कि इसकी जांच करें। यह सुझाव सदन में आया कि इन्सपेक्टर के जरिये हो जाय। मैं निवेदन करूं कि अब तक ऐसा होता था कि असिस्टेन्ट कलेक्टर को वैद्य लोग एप्लीकेशन देते थे। अब यह किया है कि वे डॉक्टर का सर्टिफिकेट लायें कि कितनी ओपियम की जरूरत है। यह भी हो सकता है कि डाइरेक्टर ऑफ आयुर्वेदिक बतायें कि फलां फलां वैद्य ने एप्लाई किया है, फलां वैद्य को कितनी अफीम दें, कितनी न दें। इसलिए हम इन्सपेक्टर लेवल पर यह नहीं कर सकते क्योंकि एक तरफ हमको कन्जम्प्शन कम करना है और दूसरी तरफ सप्लाई भी इतनी नहीं है कि सबको दे सकें। कुछ सदस्यों ने कहा कि कुछ लोग ओपियम के अभाव में परेशान होते हैं, एप्लीकेशन समय पर देते हैं फिर भी समय पर नहीं मिली। मैं निवेदन करूं कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की पॉलिसी बनी, उसके आधार पर बताया कि फलां तारीख तक डिमान्ड रखें, उसके माफिक कोटा जज कर सकें। उसके बावजूद भी जालोर से आये हुए माननीय सदस्य ने बताया कि फलां तारीख के बाद भी एप्लीकेशन नहीं मिली। मैंने प्रश्नोत्तर काल में बताया कि एप्लीकेशन डेट के बाद आई, उनको ओपियम देने की कोशिश करी। कुल मिला कर स्थिति यह है कि ओपियम के कन्जम्प्शन को हम कम करना चाहते हैं, रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को काफी आदत थी, उनको कुछ न कुछ सेक्रिफाइस करना पड़ेगा, भले ही उनको कुछ परेशानी होती है, उनके सामने दिक्कत आती हो। इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि प्रोहिबिशन के बारे में बहुत जोर दिया गया है, कहा गया है कि देश में प्रोहिबिशन क्यों नहीं किया गया है, मैं निवेदन करूं कि १९५४-५५ में ७५५ मन

(श्री सम्पतराम)

कन्जम्प्शन था, उसके बाद पौने छः सौ हुआ, उसके बाद और कमी हुई। पिछले साल ३०० मन से ज्यादा की ओपियम की सेल हुई। इस साल हम करीब ७० मन ओपियम खरीदेंगे। फिर भी यह नहीं मानना चाहिए कि जो खरीदेंगे वह सारी कन्ज्यूम हो सकती है, उसमें से भी बहुत कुछ बचायेंगे। यह भी सुझाव दिया गया है कि क्या जरूरत है अफीम देने की, अगर बीमार होते हैं, कोई मर जाता है तो क्या परवाह ? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार न इस प्रकार का कदम उठा सकती है और न उठाना चाहिए। जो लोग इसके आदी हो गये हैं, जो अफीम दवा के रूप में लेते हैं, उन लोगों की आदत कम करने के लिए समझायें, उन पर रेस्ट्रिक्शन लगायें, वे उसकी क्वान्टिटी आधी करें, चौथाई करें, एक बटा आठ करें, यह स्टेज बाई स्टेज करना चाहिए। इस तरह कम्प्लीटली बंद करने की पॉलिसी को न गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया वाजिब मानती है और न कॉन्स्टि-ट्यूशनली वाजिब है। इसलिए राज्य सरकार कम्प्लीटली स्टाप नहीं कर सकती। इन वजूहात के कारण ओपियम की सप्लाई रखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही कन्जम्प्शन कम करना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने फर्माया था कि ओपियम गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया कन्ट्रोल करती है, इसके सेल और पर्चेज को गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया कन्ट्रोल करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से पर्चेज करती है, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के थ्रू पर्चेज करती है। जो प्रोहिबिशन की पॉलिसी निर्धारित की गई है वह यह है कि इसका कल्टीवेशन कम करें, साथ ही कन्जम्प्शन कम करें। मैं समझता हूँ कि कल्टीवेशन कम करेंगे तो कन्जम्प्शन भी कम होगा। फिर जो आदतन खाते हैं, उनके कोटा में कमी की गई है। मेडीकल पर्चेजेज के लिए जितनी जरूरी है, जितनी नेसेसरी मानी जाय, उतनी ओपियम सप्लाई होती है। और दूसरी बात यह है कि अवैधानिक तरीके से इसका व्यापार होता है तो आप देखते होंगे कि अवैधानिक व्यापार अफीम का होता है तो उसको रोकने के लिये सरकार हर प्रकार से प्रयत्न करती है। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की तरफ से ओपियम एन्ड एक्साइज डिपार्टमेंट, राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान पुलिस इस बारे में सतर्क है और इसके लिये एन्टी स्मगलिंग फोर्स डेप्यूट कर रखा है। तो राजस्थान सरकार इसकी रोक थाम के लिये जितना हो सकता है सब कोशिश करती है और आये दिन आप पढ़ते हैं कि कोई पकड़ा जाता है, कोई छूट जाता है, कोई भाग भी खड़ा होता है। पर यह मानना गलत होगा कि राज्य सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं करती।

तो जितने ऑब्जेक्शन्स उठाये गये थे उन पर मैंने प्रकाश डाला है और मैं समझता हूँ दो लाख का अनुदान सदन स्वीकार करेगा। (P. S. Files)

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेना........

श्री उपाध्यक्ष : Well Mr. Bhairon-Singh, will you withdraw it ?

श्री भैरोंसिंह : No.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४२ पर प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मूलचन्द डागा ने अनुदान की मांग संख्या ४२ पर रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४२ पर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४२ पर रखा उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, जो कटौती प्रस्ताव मैंने अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४२ पर प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह ने अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४२ पर रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री लक्ष्मीचन्द ने अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४२ पर रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री मुरलीधर व्यास।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास ने अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४२ पर रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ८-राज्य आबकारी कर-के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,००,००० रु० तक की धनराशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४४

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री-यातायात मंत्री की ओर से) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १२ वाहनों पर कर-के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २१,००० रु० तक की धन राशि और प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री भैरोंसिंह।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अर्ज और करूंगा कि दूसरा कट मोशन आ रहा है। उस कट मोशन के लिये मैं यह सूचना देना जरूरी समझता हूँ कि वे माननीय सदस्य अपना कट मोशन मूव नहीं करें। वे कट मोशन मूव करना चाहते हैं : to discuss the non-compliance of general rules regarding the appointments of Inspectors and Sub-Inspectors for squad.

अभी स्क्वेड के लिये न कोई अपोइन्टमेंट् हुए हैं, न कोई सेंक्शन हुई है... I think such cut motion is premature and it should not be moved and should not be allowed.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, I beg to move that the demand No. XLIV, Major Head 12-Taxas on vehicles No. (1) be reduced by Re. 1/- to discuss the non-compliance of general rules regarding the appointments of Inspectors and sub-Inspectors.

श्री दामोदरलाल व्यास : For the squad.

श्री भैरोंसिंह : It is not in my cutmotion.

श्री उपाध्यक्ष : It is there.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, It has been added in the office.

श्री दामोदरलाल व्यास : Then I will submit that this cut motion is

(श्री दामोदरलाल व्यास)

not relevant. If it is a general cutmotion, it cannot be moved like this.

श्री भैरोंसिंह : फिर किस तरह से मानेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मान लिया, मैं तो कह रहा हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : I am made to understand that this has been added by the office. Mr. Bhairon Singh will proceed

श्री दामोदरलाल व्यास : How Sir.

श्री भैरोंसिंह : There has been a Ruling,

श्री दामोदरलाल व्यास : As a matter of fact this House is going to allow an irrelevant matter. It is not relevant...

श्री उपाध्यक्ष : The word 'squad' has been added by the office and this has been admitted by the Hon'ble Speaker. Therefore, the issue raised is not relevant at this stage.

श्री भैरोंसिंह : आप कहें तो बैठ जाऊं वैसे ही । ऐसी क्या बात है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : After all the Chair's Ruling is there.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मन्त्री महोदय को यह बधाई दूंगा कि उन्होंने यातायात सम्बन्धी कोई मांग सदन में प्रस्तुत की और उस मांग के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव आने वाले थे, उनका प्रारम्भ में ही विरोध किया । मैंने जो वह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उससे मतलब यह कि यातायात विभाग में सरकार ने जो आवश्यकता महसूस की है कि बाहर के जितने विहिकल्स वगैरह आते हैं और टैक्सेज से बच कर निकल जाते हैं उन सब को पकड़ कर उनसे टैक्सेज वसूल करने के सम्बन्ध में सरकार को एक स्क्वेड बनाना है–उसमें इन्स्पेक्टर, सब-इन्स्पेक्टर्स पियोन्स और ड्राइवर्स की आवश्यकता होगी उनके सम्बन्ध में यह डिमान्ड सदन में प्रस्तुत की गई है ।

माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक इस मांग के सिद्धान्त का सवाल आता है, मैं समझता हूँ कोई भी इस बात के लिये इन्कार नहीं कर सकता कि टैक्सेज के इवेजन को रोकने के लिये सरकार को ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील रहना चाहिये । सरकार यदि महसूस करे कि वर्तमान स्थिति में मौजूदा स्टाफ से इस प्रकार की कार्यवाही रुक नहीं सकती और इसलिये यदि एडीशनल अपॉइन्टमेंट्स की आवश्यकता होगी तो उनके लिये खर्च की मांग की जाय, इस पर इन्कार करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता । लेकिन उन्हीं व्यक्तियों के सम्बन्ध में सरकार ने जो कुछ नियम बना रखे हैं उन नियमों का पालन होता है कि नहीं और यदि पालन नहीं होता है तो इस स्थिति के अन्दर भी इस प्रकार की ग्रान्ट को यह सदन स्वीकार करे या नहीं, यह प्रश्न हमारे सामने इस समय विचाराधीन है। यह बात सही है कि कोई इस प्रकार का स्क्वेड बनेगा और उसमें नियुक्तियां की जायेंगी, इसलिये मैं चाहता हूँ कि उन

(श्री भैरोंसिंह)

नियुक्तियों से पहले हमारी सरकार को यह सूचना दी जाय कि इस विभाग में जो नियुक्तियां की जाती हैं उनमें नियमों का पालन होता है कि नहीं। माननीय उपाध्यक्ष, आज से तीन दिन पूर्व इस सदन में एक प्रश्न पूछा गया था और उसके द्वारा यह जानकारी चाही गई थी कि इस विभाग के अन्दर दूसरे विभागों से कितने कर्मचारी आये हैं और किस किस पद के ऊपर ? वह लिस्ट मेरे पास है और मैं समझता हूँ सदन को अच्छी तरह से जानकारी भी है कि कई विभागों से इस प्रकार के कर्मचारी इसी विभाग में आकर इन्स्पेक्टर बने हैं, जिनके लिये विश्वासपूर्वक यह कहा जा सकता है कि इस विभाग का तनिक भी अनुभव नहीं है। एक विभाग का एल. डी. सी. और यू. डी. सी. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट में सब–इन्स्पेक्टर बने और इन्स्पेक्टर नियुक्त हो जावे और उनसे हमारी सरकार यह उम्मीद करे कि टैक्सेशन की चोरी में वह निश्चित रूप से रोकथाम करेगा यह कैसे उचित हो सकता है और इस मांग के पीछे समझ में नहीं आता कि उनका क्या मतलब है और वह कैसे पूरा होगा। अगर इस प्रकार की सरकार की उन लोगों से आशा है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार केवल भ्रम है। आज एक विभाग का एक डिस्पेचर, रीमीन्ट क्लर्क, कॉन्फीडेन्शियल फाइल रखने वाला, राजस्थान ट्रान्सपोर्ट विभाग में अपने अपॉइन्टमेंट के लिये अर्जी देता है उस समय उस विभाग में कोई जगह खाली नहीं होती और जब उसकी अर्जी पहुंच जाती है, जगह खाली घोषित हो जाती है और जगह पर उसको नियुक्त कर लिया जाता है। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन का या उसके मेरिट्स का कोई दृष्टिकोण नहीं रहता और न इस बात का कोई ध्यान रखा जाता है कि जिस व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं वह उस पद पर काम कर सकेगा या नहीं। जो लोग उस विभाग में काम कर रहे थे उन लोगों को यह आशा थी कि जब वहां पर स्थान खाली होगा तो सीनियोरिटी लिहाज से उनको स्थान मिलेगा। सब-इन्स्पेक्टर यह सोच रहा है कि उनको भी मौका मिलेगा और वे सब-इन्स्पेक्टर से इन्स्पेक्टर हो जावेंगे और इन्स्पेक्टर यह आशा लगाये हुए थे कि ए. आर. टी. ओ. के लिये उनको चान्स मिलेगा। मैं समझता हूँ कि सरकार ने इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से यह नीति अपनाली है कि अपने जितने भी आदमी अपॉइन्ट हो सकते हैं उनकी अपन को नियुक्ति करनी चाहिये। वही आदमी नौकरी में आ सकता है जिसमें हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट या मंत्री महोदय इन्ट्रेस्टेड हो सकते हैं। उन लोगों की नियुक्ति आसानी से ट्रान्सपोर्ट विभाग में की जा सकती है। बाकी ऑर्डिनरी वे में अगर कोई सोचे कि वह इस डिपार्टमेंट में चला जाए, वह नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा सोचे कि पुलिस का आदमी ट्रान्सपोर्ट में चला जावे, नहीं जा सकता चाहे वह ट्रान्सपोर्ट विभाग में कितने ही बार कागज लेकर चक्कर लगाए, कितने ही तार दे दे, कितने ही कागजों को लेकर वहां बार बार जाए। उसका अपॉइन्टमेंट वहां पर नहीं हो सकता, चाहे उसके हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट ने उसके लिए सिफारिश कर दी हो। प्रश्न यह है कि किसको उसके अपॉइन्ट करने में दिलचस्पी है ? किसी को नहीं है।

गत वर्ष ए. आर. टी. ओ. की जगह

(श्री भैरोंसिंह)

खाली हुई। हमारी सरकार ने पांच आदमियों के बारे में विज्ञप्ति जारी की। पी.एस.सी. के थ्रू यह विज्ञप्ति निकली। पी. एस. सी.के थ्रू सिलेक्शन हो गया। पब्लिक सर्विस कमिशन ने अपने निर्णय की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचा दी। राज्य सरकार इस पर विचार करने लगी कि इन ५ आर. टी. ओ. के स्थानों पर पब्लिक सर्विस कमिशन ने जिनको रिकमन्ड करके भेजा है उनकी नियुक्ति की जाए या नहीं। उपाध्यक्ष, महोदय इस सदन को यह सुन कर अफसोस होता है-जब कि हमारी सरकार यह कहती है कि नियुक्तियों के मामलों में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता पब्लिक सर्विस कमिशन तो इस मामले में हमारे यहां सर्वोच्च सत्ता है--लेकिन अफ-सोस इस बात का है कि जिन ५ व्यक्तियों को पब्लिक सर्विस कमिशन ने सलेक्ट करके भेजा और जिस समय नियुक्ति करने का स्टेज आया उस समय यातायात मन्त्री महोदय एतराज करते हैं कि पांचों आदमियों की नियुक्ति नहीं हो सकती। उस समय उनके दिमाग में एक बात आई कि एक व्यक्ति जिसमें वे इन्ट्रेस्टेड थे और जो ए. आर. टी. ओ. में शामिल हुआ था मगर पब्लिक सर्विस कमिशन ने उसको एप्रूव नहीं किया, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार से लिया जाए....

श्री श्रीभानसिंह : वह व्यक्ति कौन था ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय यातायात मंत्री तो यहां पर हैं नहीं, किन को बताऊं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): I think, the Hon'ble Revenue Minister is deputising for the Transport Minister.

श्री भैरोंसिंह : इनसे मतलब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : It is desirable to reveal the name otherwise he goes undefended on the floor of the House.

श्री भैरोंसिंह : कौन डिफेन्ड करेगा। माननीय राजस्व मंत्री कैसे बतावेंगे कि उन आदमियों में कैसी रिश्तेदारी है।

श्री उपाध्यक्ष : We all know the Government is represented here.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : नाम मालूम करने से पता चलेगा। आपको बताना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं वह नाम आपको बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : वे नाम आपके पास है नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास हैं और सब जानते हैं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): आप सब का कहते हैं। कम से कम मैं अपनी कह सकता हूँ कि मैं तो नहीं जानता।

श्री भैरोंसिंह : उनका नाम आशाराम है। और का भी आप नाम पूछेंगे तो वह भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब उनका ए.आर.टी.ओ. में सलेक्शन नहीं हुआ तो........

श्री दामोदरलाल व्यास : There is one thing definite, Sir. As the

(श्री दामोदरलाल व्यास)

Hon'ble Member is discussing all the appointments made in the past in the department, it is not relevant to this demand at all. It is really very difficult for me to reply to all this. I will make only a request to the Hon'ble Member that this discussion should be confined to the demand only. Speakers' admission is of course subject to the admission of that word squad' there. I think that should not go beyond......

श्री चन्दनमल वैद : माननीय उपाध्यक्ष, ये डिमान्ड के संबन्ध में है। दूसरे अपॉइन्टमेंट्स में भी जो उस डिपार्टमेंट में हुए हों, कहा जा सकता है। इसके लिये माननीय मंत्री महोदय ने इर्रेलेवेन्ट की बात को लेकर आपत्ति की है। इसमें मुझे तो कोई आपत्ति की चीज नजर नहीं आती है।

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Bhairon Singh was not to defend himself against this objection but you will like to defend?

श्री चन्दनमल वैद : हाउस में कोई भी कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : I will request you please to confine your arguments to the cut motion.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कट मोशन के बाहर जाना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : And that too is for the squad......

श्री भैरोंसिंह : स्क्वेड के लिये कोई अलग रूल्स बनाते हैं--आर. टी. ओ., सब-इन्स्पेक्टर आदि में किसी का प्रमोशन नहीं होगा--अगर हुआ तो ठीक और और अगर नहीं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ट्रान्सफर होकर आ जावेंगे।

एक माननीय सदस्य : कोआॅपरेटिव डिपार्टमेंट से भी आते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी स्थिति में यह मुश्किल है। जहां पर क्वालिफिकेशन आदि कुछ भी कन्सीडर नहीं किये जाते और केवल अपनी इच्छा से ही नियुक्तियां होती हैं। कोई उसके लिये सेट पॉलिसी नहीं है--इस प्रकार की अब तक नियुक्तियें हुई हैं और अब भी होनेवाली हैं। मैं नये यातायात मंत्री को जानकारी देना चाहता हूँ कि आयन्दा जो नियुक्तियां हो उनमें लोगों के हक किसी भी प्रकार से न मारे जावें और उन्हीं आदमियों को नियुक्त किये जावे जो नियुक्तियों के हकदार हों।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जब ५ व्यक्तियों के लिये सलेक्शन होकर पब्लिक सर्विस कमिशन की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंची तो सरकार ने यह कहा कि पब्लिक सर्विस कमिशन ने पांच आदमियों को सलेक्ट करके भेजा है। मगर उनमें से केवल तीन आदमियों को ही नियुक्त किये जावेंगे और दो आदमियों को डिपार्टमेंट से प्रमोशन के जरिये से लिये जावेंगे। इसके लिये सेक्रेटेरियेट और माननीय मन्त्री महोदय के बीच अच्छा संघर्ष चला और मेरी जहां तक जानकारी है, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर ने भी इसमें हस्तक्षेप किया।

श्री उपाध्यक्ष : I would request the Hon'ble Member not to pleaserely on the hearsays. There must be some tangible proof of all that.

श्री भैरोंसिंह : My arguments are based on facts and I think no body can challenge my arguments. मैं जो निवेदन कर रहा हूँ वह दुरूस्त हैं और अगर वे चाहें तो फैक्ट्स भी मेरे पास हैं मगर उनको यहां पर रखना अच्छा नहीं लगेगा। मगर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि चीफ सेक्रेट्री ने एतराज किया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि चीफ सेक्रेट्री ने नोट लिखा कि ऐसा नहीं होना चाहिये और उसके बाद में यह डिसीजन लिया गया कि दो आदमियों को प्रोमोशन देना है इसके लिये रूल्स बनाये जावे और उसके बाद में फिर एतराज होता है कि पब्लिक सर्विस कमिशन की विशेज हैं और उनका पालन करना चाहिये, अन्यथा पब्लिक सर्विस कमिशन अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख करेगा और उसकी आलोचना सदन में की जावेगी। इससे बचने के लिये पब्लिक सर्विस कमिशन की जो रिकमन्डेशन हैं उसको स्वीकार करना चाहिये और रिपोर्ट आई है उस पर इम्पलीमेंट करना चाहिये। इसके बावजूद भी यह मामला केबिनेट में रखा गया। और ५ आदमियों की रिकमैन्डेशन के बावजूद भी तीन आदमियों की नियुक्ति की गई और दो आदमियों को बाई प्रोमोशन लिया गया और जो लोग सलेक्शन में पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा नहीं आ सके थे, जिनको पब्लिक सर्विस कमिशन ने डिस एप्रूव किया था उनको आर. टी. ओ. बनाया। उपाध्यक्ष महोदय, आज यह विभाग इसके लिये मशहूर हो गया है। बाकी के दूसरे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हैं लेकिन नियुक्तियों के मामले में यह सबसे ऊंचा नाम प्राप्त कर पाया है। जहां कहीं किसी की नियुक्ति होती है तो उसके लिये रिकमन्डेशन चाहिये। टेलिफोन या किसी प्रकार का इशारा होना चाहिये। इशारे के पीछे बगैर किसी प्रकार के क्वालिफिकेशन होते हुए भी नियुक्ति हो जाती है।

तो आगे सब-इन्स्पेक्टर्स या इन्स्पेक्टर्स की नियुक्तियां की जाने वाली हैं इस सम्बन्ध में मैं सरकार को आगाह करना चाहूंगा कि सरकार कोई इसके लिए नियम बनाये और नियम बनाये तो उनका पालन ठीक प्रकार से हो, इसकी व्यवस्था करे। जो सब-इन्स्पेक्टर इन्स्पेक्टर की जगह के लिए डिजर्व करता है उसको चान्स दिया जाय, उसको इन्स्पेक्टर बनाया जाय, जो इन्स्पेक्टर ए. आर. टी. ओ. के काबिल हैं उनको प्रमोशन दिया जाय, उनको चान्स न देकर, उनको सुपरसीड किसी हालत में नहीं कराया जाय दूसरे डिपार्टमेंट से इम्पोर्ट करके। उनके हक छीने जाकर वे ज्यों के त्यों उस डिपार्टमेंट में बैठे रहें और यह सोचते रहें कि भगवान कभी ऐसा मौका लायेगा कि हम भी सिफारिश करा सकेंगे। रूल्स की कम्पलायेन्स कहां तक होती है यह ही ध्यान दिलाने के लिए मैंने कट मोशन्स रखें है। इस कट मोशन के द्वारा मेरा निवेदन यह नहीं कि अमुक की नियुक्ति होनी चाहिये या नहीं लेकिन नियुक्तियों में जो जनरल प्रिन्सिपल्स का पालन नहीं होता है उसका एक दिग्दर्शन कराने के लिए और जो मेरे पास जानकारी थी उस ओर सदन का और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने कट मोशन रखे थे। मैंने

(श्री भैरोंसिंह)

जो सदन को इन्फोर्मेशन दी है यदि आप उसकी डिटेल्स जानना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि कितने कितने आदमियों को किस किस विभाग से इम्पोर्ट किया गया है, कितने विभागों के आदमियों के हक छीने गये हैं, जो इम्पोर्ट हुए हैं वे उस विभाग के काबिल भी हैं या नहीं। इतना ही नहीं इस विभाग के जो मैकेनिकल इन्स्पेक्टर्स हैं उनको इतना ही नहीं मालूम है कि मोटर मैकेनिक का क्या मतलब है ? वहां पर मजाक के रूप में मशहूर है कि एक मैकेनिकल इन्स्पेक्टर गाड़ी का इन्स्पेक्शन करने के लिए गये-पूछा कि कितने सलेन्डर होते हैं। उनको बताया गया कि ६ सलेन्डर होते हैं। कहा कि पूरे सलेन्डर नहीं हैं। गाड़ी के पास पहुंच कर कहा कि बताइये कहां हैं पूरे सलेन्डर। बताया गया कि चार गाड़ी में लगे हुए है और दो गाड़ी के अन्दर पड़े हैं। बस मैकेनिकल इन्स्पेक्टर साहब इन्स्पेक्शन करके चले गये।

(हंसी)

यदि राजस्थान में इस प्रकार के मैकेनिकल इन्स्पेक्टर्स हैं तो अन्दाज लगाइये इनवेस्टिगेशन का काम किस प्रकार चलता होगा। जितने इन्स्पेक्टर्स है उनमें से दो के सिवाय कोई क्वालिफाइड ही नहीं हैं। रिक्विजिट क्वालिफिकेशन्स का होना चाहिये। सर्टिफिकेट देना चाहिये फिटनेस का। सर्टिफिकेट देते हैं फिटननेस का। लिखना चाहिये फिटनेस का सर्टिफिकेट और लिखते हैं ननेस का सर्टिफिकेट। इस प्रकार के आपके विभाग के मैकेनिकल इन्स्पेक्टर्स हैं। भगवान् ही देखने वाला है। इस विभाग ने किसी प्रकार कोई बात नहीं छोड़ी है इसके काम को बिगाड़ने में। कोई कोर-कसर बिगाड़ने में नहीं छोड़ी गई है। जनरल प्रिन्सिपल एप्लाई नहीं होता है। उनको एप्लाई कराने के लिए यह सदन माननीय मंत्रीजी के ऊपर इस प्रकार का प्रेशर लाये कि भविष्य में नियुक्तियां की जायं उनमें रूल्स का वायोलेशन न हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १२--वाहनों पर कर में १) की कटौती की जावे (पड़ौसी राज्यों के वाहनों पर टैक्स वसूल करने वाले स्केव्ड्स की व्यवस्था पर वाद विवाद करने हेतु)

माननीय उपाध्यक्ष, ये जितने टैक्स हैं और टैक्ट वसूली के सम्बन्ध में जो वाहन विभाग हैं, जो अपनी चौकियों को स्थापित करना चाहता है या चौकियां जो मौजूद हैं उनकी व्यवस्था के लिए मैं सदन को कुछ कहना चाहता हूँ। धौलपुर, जहां से मैं आया हूँ, एक ऐसी जगह स्थिति है जहां कि तीन स्टेट की टेरेटरी मिलती है--राजस्थान, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश। जिस वक्त वह बोम्बे साइड में जाते हैं क्योंकि धौलपुर तृतीय राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा मिलता है ?

डॉ० बहादुरसिंह : ग्वालियर का मुरैना ।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो नक्शे का मामला रहा ।

डॉ० बहादुरसिंह : उनकी जोग्राफी कमजोर है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मध्य भारत....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

डॉ० बहादुरसिंह : अब मध्य प्रदेश हो गया ।

तो वे चौकियां हैं । उनमें टैक्स वसूली का इन्तजाम ऐसा है कि यदि कोई उत्तर प्रदेश का वाहन ग्वालियर जाय तो उससे उस एरिया का टैक्स लिया जाता है, धौलपुर में आता है तो उतने एरिया का लेते हैं । वहां पर स्मगिलंग ज्यादा होता है और इस दृष्टि से टैक्स का स्मगिलंग भी हो जाता है । यातायात मंत्रीजी इस समय नहीं हैं । जिस समय वे धौलपुर के दौरे पर गये थे वे बड़ी भारी बातें करके आये थे । आप जिस विभाग के मंत्री होते हैं तो आपको कम से कम सोचना चाहिये कि आप किस व्यक्ति से मिले हैं, आपने किस व्यक्ति के यहां दावत खाई थी और किस व्यक्ति से बात की । टैक्स वसूल करने के लिए क्या दिक्कत आती है उस सम्बन्ध में मैं यह बात रख रहा हूँ । बात यह थी कि आप बस ओनर के यहां दावत मंजूर करें तो उससे यह असर हुआ कि उस व्यक्ति के पास कई वाहन हैं । लेकिन आपका टैक्स इन्स्पेक्टर उसके वाहनों से टैक्स वसूल नहीं कर सकता । उसके कई वाहन चलते हैं, यह मैं आपको कह सकता हूँ । एस. डी. ओ. चालन करता है और टैक्स वसूल होना चाहिये लेकिन वसूल नहीं होता क्योंकि टैक्स वसूल करने वाला यह जानता है कि ये किस व्यक्ति के कृपापात्र हो चुके हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप पर्सनल रिलेशन्स के पॉइन्ट पर इतने क्यों सेन्सेटिव होते हैं ।

डा० बहादुरसिंह : मैं टैक्स वसूली के लिए क्या दिक्कतें हैं, यह अर्ज कर रहा हूँ । एक टैक्स वसूली के लिए बात यह है कि टैक्स चुकाने वाला, वाहन वाला रिश्वत दे देता है । जब बजट आयगा और टैक्स वसूल नहीं होता है तो आप और टैक्स बढ़ायेंगे । इससे सरकार की बदनामी भी होती है । एक तो जो टैक्स वसूल होना चाहिये वह वसूल नहीं होता है, जो बाकी है टैक्स वह भी वसूल नहीं होता है तो आखिर यह देखना चाहिये कि इसके पीछे क्या कारण हैं ? ये चीजें ऐसी हैं कि जिनसे आपको बड़ी भारी दिक्कत होती है ।

दूसरी चीज़, टैक्स वसूली में पड़ा रहता है । मध्य प्रदेश में जो चौकी है वे भी इस प्रकार की हरकतें करते हैं । उनके वाहन आते हैं, सामान उतरता है और नम्बर प्लेट फौरन दूसरा लगा लिया जाता है । इसलिए इसके लिए आपको विशेष तौर पर विशेष अधिकारी टैक्स के वसूल करने के लिए रखने चाहिये । जहां इस प्रकार की चौकियां हों, इस प्रकार से टेरिटरी मिलती हो तो वहां पर ऐसे योग्य अधिकारी होने चाहिये कि जो फौरन मौके पर जांच करें और सबोर्डिनेट्स

(डा० बहादुरसिंह)

को चैक करें। दूसरे डिपार्टमेन्ट के जैसे डी. वाइ. एस. पी. या किसी दूसरे व्यक्ति को आप इसके लिए अधिकार दीजिये जिससे कि वे लोग चैक कर सकें और टैक्स वसूली में दिक्कत न हो। आमदनी भी राज्य की इस प्रकार कम न हो। भारवाहन रात्रि में अधिकतर चलते हैं। मैं कल ही धौलपुर गया था। ११ बजे रात्रि को ६ ठेले खड़े हुए थे उनसे बात करने पर ऐसा निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उनमें से चार ने टैक्स नहीं दिया होगा। माल फौरन जाकर उतार आये होंगे। तो इस तरह से टैक्स वसूली की व्यवस्था को ठीक तरह से नहीं लावेंगे तो स्थितें सुधरने वाली नहीं है।

२ म० प०

अब बसेज के टैक्स के बारे में भी सब-इन्स्पेक्टर या इन्स्पेक्टर हैं उनको पर्टिक्यूलरली आप इन्स्ट्रक्ट करें और फिर अगर सब-डिविजनल ऑफिसर के मार्फत वसूली करना चाहते हों तो उनको ऑर्डर कम्प्लायेन्स का आर्डर दें। या फिर अगर आपका यह विभाग वसूल करने के अयोग्य अपने आपको साबित करना है तो इसको किसी दूसरे डिपार्टमेन्ट को ट्रान्सफर कर दें।

मैं इस सम्बन्ध में और निवेदन करना चाहता हूँ। जो टैक्स वसूली की व्यवस्था है या टैक्स हैं वे ऐसे होने चाहिये कि उनको या तो आप परमिट होल्डर से एडवांस ले लें या एडवांस न ले सकें तो कम से कम वाहनों को चैक पोस्टों पर देखने की व्यवस्था को मजबूत बनावें। तो माननीय मन्त्रीजी जो इस वक्त नहीं हैं फिर भी जो इसे पायलोट कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप उनकी उपस्थिति को मानकर क्यों नहीं चलते हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : यह मामला ऐसा है कि वह उनके समझ में नही आवेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बिलकुल समझ रहा हूँ और आपको सैटिस्फाई करूंगा अपने जवाब से।

डॉ० बहादुरसिंह : पर असन्तोष इस बात का है कि जिन लोगों पर, जिन बस ऑनर्स पर टैक्स बाकी है और फिर भी बसें बराबर वे रन कर रहे हैं उनके साथ आप वसूली के लिये कुछ भी सख्ती नहीं करते। आप विश्वास करके चलिये कि आपका आर. टी. ओ. उत्तर प्रदेश का आर. टी. ओ, जिसकी शिकायतें करता है, जिसकी शिकायतें मैं करता हूँ आर. टी. ओ आगरा ने जिसकी कम्पलेन्ट सरकार से की होगी क्योंकि राजस्थान की बसें उत्तर प्रदेश में जाती हैं उनसे टैक्स वसूली में और दूसरी बातों में दिक्कतें होती हैं उनके हल करने में वह आर. टी. ओ. कोई कुछ नही करता तो वहां के आर. टी. ओ. ने इस आर. टी. ओ. की कम्पलेन्ट की है सरकार के पास। तो इसे आपको ठीक करना चाहिये। फिर अगर इस विभाग की आलोचना करने बैठूं तो माननीय उपाध्यक्ष, आप यकीन मानिये कि आपका पूरा समय, सदन का पूरा समय इसमें चला जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : वह आगे मौका आ रहा है।

Page No.68

डॉ० बहादुरसिंह : तो उस वक्त ही बताऊंगा यह कहानी। हम अगर बदनाम हैं दूसरों के सामने और करप्शन फैला रहा है अगर कोई विभाग तो यह सबसे बड़ा विभाग है, यह मैं कह सकता हूँ। इसके पर्मिट देने में, टैक्स वसूली में, इसकी व्यवस्था में, इसके हर कदम पर चलिये; आप कह नहीं सकते कि यह कहीं वाकई टीक है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नई व्यवस्था सरकार इसकी बिठावे, सरकार सक्षम है; वह करे और कम से कम हमारा टैक्स जो इसके द्वारा वसूल होता है और जिससे राजस्थान का भावी विकास हमें करना है वह ठीक प्रकार से वसूल हो जावे। इसलिये यह कटौती प्रस्ताव मैंने रखा है।

श्री हरदेव जोशी (घाटोल) : आपकी जानकारी को दाद देनी होगी।

(हंसी)

डॉ० बहादुरसिंह : मैं पूरी जानकारी दे दूँ आपको एक एक की।

श्री मोगजीभाई (बांसवाडा) : मांग संख्या ४४ मुख्य शीर्षक १२ वाहनों पर १)रू० की कटौती की जावे पड़ोसी राज्यों के वाहनों पर कर की वसूली की अव्यवस्था पर वाद-विवाद करने के लिये, यह मेरा कटौती का प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो विभाग है इसकी कैसी व्यवस्था है इसे आज दिन तक हम समझ नहीं पाये हैं। इसमें जितने इन्स्पेक्टर होते हैं और जो मोटर चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं या बस चलाते हैं, उन पर जिस तरह वे निगरानी रखते हैं और किस तरह उनका आपस का नाता-रिश्ता है, वह आजतक समझ में नहीं आया।

बांसवाड़ा बम्बई प्रदेश की ओर मध्य-प्रदेश की सीमा से लगता है। वहां मोटर-वालों के साथ लिखा-पढ़ी होती है, ज्यादा सवारियां नहीं ले सकते, टैक्स चुकाएंगे पर इतनी सारी लिखा-पढ़ी होने पर भी पुलिस वाले और ये वाहन विभाग के इन्स्पेक्टर मिले होते हैं कि अनाज चोरी चला जा रहा है, लकड़ी कि चोरियां होती हैं और भी चीजें जाती हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं। उनसे टैक्स भी पूरा वसूल नहीं होता। विभाग को जानकारी होते हुए भी इस प्रकार की चोरी करने की उनको छूट देते हैं। या उनसे रिश्वतें खाकर पेट भरते हैं, यह धन्धा अपना रखा है, यह समझ में नहीं आया। सरकार को इस बारे में जानकारी भी दी गई है और सरकार को भी मालूम है कि इस प्रकार के धन्धे होते हैं पर फिर भी सरकार कुछ नहीं करती, यह समझ में नहीं आया।

इस विभाग के सम्बन्ध में यह बताना चाहूँगा कि हमारे वहां जो चोरी से अनाज ट्रकों में बाहर गया, टैक्स की चोरी की, पुलिस वालों ने उनको पकड़ा भी पर फिर भी उनको छोड़ दिया गया। चुराने वाले व्यक्ति का नाम और नम्बर भी मैं बताना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो होम मिनिस्टर साहब से बात कर लीजियेगा। हो जावेगा।

श्री मोगजी भाई : ट्रक नम्बर २०२१ (१९३१) आर.जे. बी है, नाम अशोककुमार।

(श्री भोगजी भाई)

उसने १०-११-५९ को सूरजपोल ऑक्ट्राय नाके के पास कटवाया और वह जो ट्रक है उसने कई प्रकार की कितनी ही टैक्सों की चोरी की है; इसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो ट्रक जहां से पास कटवाता है और इस प्रकार का गलत पता बताता है कि अशोककुमार, छोटी सरवड। बांसवाड़ा तहसील में छोटी सरवड गांव है पर वहां पेड़ के व्यापारी नहीं और इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं। पर इस तरह से फर्जी नाम से पास कटवा कर वह चोरियां करता रहा है, यह सारी जानकारी विभाग को होते हुए भी कुछ नहीं करता। यह विभाग, ये ट्रक-बस-वाले और पुलिस वाले तीनों मिले हुए हैं। इस कारण सैकड़ों रुपयों की टैक्स की चोरियां कीं, चोरी से नाज लकड़ी बाहर ले गये पर इसकी कोई सुनवाई नहीं।

इस सम्बन्ध में मैंने भी काफी लिखा-पढ़ी की। पर सरकार के तो कान पर जूं भी नहीं रेंगती। जैसे कहावत है कि जहां साला हो.... और बहनोई हो........। तो उस राज्य में कौन सुने। जिनमें एक रिश्तेदार हो, एक साला हो और दूसरा बहनोई तो फिर सिफारिश से सारा काम चलता हो तो वहां क्या टैक्स और क्या दूसरा। इसी प्रकार बसों की सवारियों का हाल है। इन्स्पेक्टर और पुलिस के लोग मुफ्त में बैठते हैं, टैक्स भी नहीं देते; किराया भी नहीं देते। इसलिये सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार इस विभाग में है और चोरियां चलती हैं, डाके डलवाते हैं और इसको करनेवालों की ही आप नियुक्तियां करने जा रहे हैं तो विभाग में सतर्कता बरतें और नियम ठीक से बनावें तभी ठीक है अन्यथा खराबी दिनों दिन बढ़ती जावेगी।

जहां सरकार नये नये ढंग से वसूल कर रही है और टैक्स वसूल करके उनके पेट पालने का ही सवाल है तो यह मतलब नहीं है कि सरकार के खजाने में ही जो पैसा आये और जिससे जनता की भलाई होने की है उसकी चोरी करें। जहां टैक्स का सवाल आये तो खुद अपनी जेबें भर लें, यह इस प्रकार की इस डिपार्टमेन्ट में व्यवस्था है। इस व्यवस्था की अगर सतर्क व्यवस्था नहीं की जायेगी तो यह डिपार्टमेन्ट इस तरह की चोरियां करता रहेगा और ट्रकों के बारे में........

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपने बहुत बार कह दिया। अब आप समाप्त करिये। श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १२, वाहनों पर कर में १ रु० की कटौती की जावे (पड़ौसी राज्यों के वाहनों के कर की वसूली में सुधार करने हेतु)। वाहनों पर कर वसूल करने के लिए एक ऐसे इन्सपेक्टर नियुक्त किये जाने हेतु मांग की है। उसके विषय में जो आज-कल हमारे विभाग का रवैया है उसको तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज वर्तमान में जो यह स्थिति है कि जो हमारा स्टाफ है वह इतना लापरवाही से चल रहा है कि वह अपनी ही गवर्नमेंट के कानूनों को भुलाकर अपने ही स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने इन्सपेक्टर हैं उनके नाम तो नहीं जानता लेकिन कई बार मैंने

(श्री हीराभाई)

उनको ट्रकों में बैट कर जाते देखा है और मैंने ट्रकवालों से भी पूछा कि कानून तो यह है कि ट्रक में कोई भी सवारी नहीं बैठ सकती लेकिन जो हमारे इन्सपेक्टर हैं या टैक्स वसूल करनेवाले हैं वे इन्हीं ट्रकों में बैठ कर इधर-उधर जाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आपका कटौती प्रस्ताव तो करों की व्यवस्था में सुधार करने का है, यह इन्सपेक्टर ट्रक में कहां से आ गया ?

(हंसी)

श्री हीराभाई : सुधार तो यही है कि टैक्ट वसूल करने वाले ही यह गलती करते हैं। उसी को सुधारने के लिए मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद तो कुछ नहीं है , या यही है ?

श्री हीराभाई : कुछ तो यह टैक्स में भी आ जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय , इसी तरह से मैंने ट्रकवाले लोगों से पूछा और इन लोगों ने कहा कि उस विभाग से हम दबे हुए हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : वहां आपकी क्या बातचीत हुई उसको न कहिये। यहां तो सदन की बात करिये कि कैसा तरीका होना चाहिये।

श्री हीराभाई : जो भी बातें हुई उसका उदाहरण भी तो हो जाना चाहिये नहीं तो कैसे मालूम कि क्या हुआ ? फिर उन लोगों ने कहा कि उनके पास टिकट वगैरह तो नहीं है लेकिन हमको दबाव से बैठाना पड़ता है क्योंकि हमारे उनसे हजार काम पड़ते हैं। इस तरह से हमारा कितना नुकसान आठ आने या बारह आने के टिकट के खातिर होता है। इन्सपेक्टर लोगों का कुछ सामान इधर से उधर और उधर से इधर भेजने से जो हमारा कर वसूल होना चाहिए था वह नहीं होता है और इस तरह से कर के द्वारा जो हमारे राज्य का धन इकट्ठा होने वाला था उसका नुकसान बहुत हो रहा है। दूसरे हमारे ऊपर उनका खर्चा बढ़ता है। इस तरह से करना मैं समझता हूँ कि बिलकुल ठीक नहीं है। ऐसी हालत में आपकी इजाजत हो तो बसों के लिये भी कह दूं....

श्री उपाध्यक्ष : जब आपने इजाजत मांग ली है तो ठीक है।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खैर इन्सपेक्टर लोगों की बात तो अलग रही पर मैं समझता हूं कि पुलिस के इन्सपेक्टर, एस० डी० ओ०, कलेक्टर और तहसीलदार वगैरह जितने बड़े बड़े आदमी हैं वह जो हमारे बस सर्विस चलती हैं उनमें फी सवारी के हिसाब से जो हमारी गवर्नमेंट ने और भारत सरकार ने टैक्स लगाया है उस टैक्स को नहीं मानते हुए बिना टिकट उन बसों में बैठ कर अपनी यात्रा करते हैं और जो पैसा देकर और टिकट लेकर बैठने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कत पहुंचती है....

श्री उपाध्यक्ष : वहां से बढ़कर रेल में भी बिना टिकट चले जाते हैं।

(हंसी)

श्री हीराभाई : यह तो बहुत लम्बी बात है। तो उपाध्यक्ष महोदय, अगर यही स्थिति

(श्री हीराभाई)

रही और उससे हमारे राजस्थान की सरकार के ऊपर इतना खर्चा बढ़े यहां पर २१ हजार खर्च होगा और ४० हजार की आय होगी तो इसमें वैसे घाटा होने वाला तो नही है उसमें १९ हजार की बचत है तो उनसे तो यह भी कर सकते हैं कि हमारी नगरपालिका या ग्राम पंचायत और पुलिस वाले हैं, खैर पुलिस वाले तो एकदम भ्रष्टाचारी हैं लेकिन नगरपालिका और ग्राम पंचायत उसकी चौकसी कर सकती हैं। नगरपालिका आवत-जावत टैक्स लगाती है उससे हो सकता है। उसके द्वारा टैक्स भी वसूल किया जा सकता है और जहां नगरपालिकाएँ नहीं हैं और ग्राम पंचायतें हैं उनके पंच हैं उनके द्वारा यह टैक्स वसूल हो सकता है। वहां पर सरपंच वगैरह इसकी चौकसी वगैरह भी कर सकते हैं। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह स्टाफ बढ़ाना इन्सपेक्टर, सब-इन्सपेक्टर, चपरासी वगैरह हमारी गवर्नमेन्ट के ऊपर कर्जा लादना है। यह तो दुनियां में एक मिसाल कायम करना है ; जैसे जंगलात में घाटा ही घाटा है लेकिन फिर भी हम स्टाफ बढ़ाते जाते हैं। तो इससे हमारा नाम और सुन्दरता देश में प्रसिद्ध हो जायेगी वर्ना हमारी आमदनी ज्यादा आने वाली नहीं है। जो हमारा राज्य का धन इकट्ठा होने वाला है वह नहीं होगा। ऐसी हालत में नगरपालिका और ग्राम पंचायत द्वारा अब चौकसी वगैरह के लिए उनके ऊपर जवाबदारी सौंपे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वर्ना यह स्टाफ काम करने वाला नहीं है और सिवाय पिछड़ने के कोई धंधा नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती का प्रस्ताव किया था और माननीय सदस्य ने भी दिया था वे आये नहीं और जो लिस्ट आई है उसमें गैप रह गया है तो मैं समझता हूं उसमें दोनों के ही कटमोशन्स होंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : आप समझिये कि वह एडमिट नहीं हुए।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): क्या माननीय मंत्री महोदय के पास सूचना है कि वह एडमिट नहीं हुए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, उसमें नहीं है इसलिए ऐसा ही कयास होता है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): वह कभी नहीं चाहते कि आपके कटमोशन्स नहीं आयें।

श्री दामोदरलाल व्यास : Shall I reply, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष : No Sir, I must inform the Hon'ble Member about the position. I think they have been rejected.

श्री चन्दनमल वैद : We have not been informed that they have been rejected.

श्री दामोदरलाल व्यास : That must be presumed.

श्री चन्दनमल वैद : No, that cannot be presumed.

Page No.72

श्री उपाध्यक्ष : They have been rejected, and the practice is not to send any information about the rejection of cut motions.

श्री श्रीभानसिंह : रिजेक्शन के कुछ ग्राउन्ड्स तो मालूम पड़ें। अगर किसी के चार्ज्ड एक्सपेन्डीचर बताया जा सकता है तो वह चार्ज्ड एक्सपेन्डीचर हाउस में डिस्कस हो सकता है। हम डिमान्ड में कुछ एड नहीं कर सकते, कुछ कट नहीं कर सकते लेकिन डिस्कस करने के लिए तो किसी मेम्बर को रोका नहीं जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : The only position is that they have been rejected, and you now have a right to speak on the cut motions moved by other Hon'ble Members.

श्री श्रीभानसिंह : मेरा तो स्पेसिफिक कटमोशन था।

श्री उपाध्यक्ष : That I have informed you that they have been rejected. (श्री श्रीभानसिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री दामोदरलाल व्यास : Why speak on a subject in which you are not interested ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रान्सपोर्ट डिमान्ड के ऊपर जो माननीय सदस्य ने डिमान्ड पेश की है अर्पोइन्टमेन्ट्स की उन री-अर्पोइन्टमेंट्स के प्रश्न को लेकर मैं इन एब्सेन्शिया ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर को कम से कम इस बात के लिए तो कम्प्लीमेंट करूं कि जहां तक अर्पोइन्टमेंट्स या किसी चीज के लिए ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट में कानून का प्रश्न है तो He has a Nelson's eye for law.

श्री उपाध्यक्ष : Whose eye ? Nelson's ? He had broad eyes ?

श्री श्रीभानसिंह : He did not look to law.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : He had only one eye.

श्री श्रीभानसिंह : He did not look to law.

आज अगर कानून की अवहेलना करके कानून को अगर फालो करते तो माना जा सकता था कि अर्पोइन्टमेंट जितने भी हैं कानून के मुताबिक किये गये हैं, क्योंकि मैंने एक प्रश्न यहां पर पूछा था कि इस डिपार्टमेंट के अन्दर कितने आदमियों को अर्पोइन्ट किया गया और क्यों अर्पोइन्ट किया गया, और उनकी क्या क्वालिफिकेशन्स थीं इम्पोर्ट करने के वक्त ? जो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अन्दर ट्रान्सलेटर थे उनको इस डिपार्टमेंट में लिया गया एज़ ट्रैफिक इन्स्पेक्टर। यह पूछा गया जब उनसे कि इनका अर्पोइन्टमेंट किया उस टाइम पर आपने जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन्स थी उनको देखा या नहीं देखा, तो प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि वह पी. एस. सी. से रिजेक्ट हो गये थे। डिपार्टमेंट की जहां जहां तक रेस्पोन्सिबिलिटी है वह न कोई क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब करता है न दूसरी

(श्री श्रीभानसिंह)

चीज़ को देखता करता है। कोई दूसरी चीज से गाइडेन्स होती है। क्या गाइडेन्स उनके डिपार्टमेंट की है वह मैं नहीं कह सकता। एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक यू. डी. सी. को मैकेनिक बनाया है उनकी यह हालत है कि फिटनेस की जगह फिटिंग सर्टिफिकेट दे देते हैं। मैकेनिक वह है नहीं। ऐसे ही एक यू. डी. सी. को लेकर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के अन्दर मैकेनिक को अपॉइन्ट कर दिया। तो इतना कहूँ कि इनका क्यों अपॉइन्टमेंट हुआ तो माननीय सदस्य का तो यह कहना है कि उनके रिश्तेदार हैं। हो सकता है। मगर एक ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के अन्दर यह अपॉइन्टमेंट्स इस तरह से हुआ करें तो मैं कम से कम उन अपॉइन्टमेंट्स को सीनियोरिटी के बेसिस पर नहीं मान सकता और न मेरिट के बेसिस पर ही मान सकता हूँ। और कोई अदर कन्सीडेशन्स के बेसिस पर अपॉइन्टमेंट हो तो अदर कन्सीडिरेशन कहां तक लॉ के अन्दर प्रोवाइडेड हैं, इस बात के लिए माननीय मंत्री महोदय उत्तर देते वक्त कहेंगे।

मगर जो प्रश्न मैं हाउस में रेज़ करना चाहता था वह यह है और वह कुछ डिमान्ड के बारे में है। I Seek the indulgence of the Chair. कि जो ऑफिशियेट कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय वे भी नहीं हैं। यह एपीलेट ऑथोरिटी के चेयरमैन के बारे में यहां राजस्थान के अन्दर इतना इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो गया है, कि अगर कहूँ कि आखिर एपीलेट ऑथोरिटी के जो चेयरमैन हैं वह जुडीशियल मैन या जुडीशियल एक्सपीरियन्स के हैं या नहीं जब कि सबोर्डिनेट ऑथोरिटी जो उनके अन्दर हैं वे जुडीशियल मैन ज्यादा हैं, जुडीशियल एक्सपीरियन्स और जुडीशियल क्वालिफिकेशन्स उनकी ज्यादा हों और जो एपीलेट ऑथोरिटी के चेयरमैन हों उनकी जुडीशियल क्वालिफिकेशन नहीं हुआ करे। इस प्रश्न को लेकर मैं जो संबंधित केस है उसमें कहां तक यह क्वेश्चन इन्वाल्व्ड था कहूँगा। अभी तक जो राजस्थान के अन्दर निरन्तर ट्रान्सपोर्ट के मामले में रिट्स हो रहे हैं, सूट्स फाइल हो रहे हैं वे इसी प्रश्न को लेकर हो रहे हैं कि जो ट्रान्सपोर्ट एपीलेट अथोरिटी के चेयरमैन हैं वे जुडीशियल आदमी हुआ करें। मैं सदन का ध्यान अभी रिसेन्टली जो हाईकोर्ट में रिट हुआ था और जयपुर में सिविल सूट जिसमें हुआ था उसकी ओर आकर्षित करूंगा। वह इसी प्रश्न को लेकर हुआ था, और उसमें जहां तक मेरी सूचना है कुछ व्यक्तिगत चार्जेज भी लगाये गये हैं, एपीलेट ऑथोरिटी पर डिफेमेटरी चार्जेज़ भी लगाये गये हैं। सुना यह जाता है कि उसके अन्दर गवर्नमेंट ने कम्प्रोमाइज़ कर लिया, और कम्प्रोमाइज करके भीलवाड़ा बस की जो डिमान्ड थी उन डिमान्ड्स को फुलफिल कर दिया। उन डिमान्ड्स के पीछे रिट हुआ। उन्होंने यहां पर सिविल सूट जयपुर के अन्दर किया और जब कि डिफेमेटरी एलीगेशन्स चेयरमैन के खिलाफ लगाये तो, मैं शायद करेक्ट वर्शन नहीं दे सकता, मगर चेयरमैन के लिए यह कहा कि "He is known to be corrupt." पैरा ७ (एन) के अन्दर यह स्पेसिफिक पैराग्राफ है जिसके अन्दर चार्जेज लगाये गये हैं तो इस तरह के चार्जेज एक चेअरमैन के ऊपर लगाये जायं और वे कन्टीन्यू करें एज़ ए चेयरमैन और उसी बस ट्रान्सपोर्ट फर्म या

Page No.74

(श्री श्रीभानसिंह)

ट्रान्सपोर्ट कम्पनी से गवर्नमेंट कम्प्रोमाइज़ करे तो यह कहां तक उचित है ? उस बस कम्पनी के खिलाफ मैं नहीं समझ सकता कि जिस नेचर के यह चार्जेज लगाये हैं चेयरमैन के ऊपर, गवर्नमेंट क्यों नहीं सूट फाइल करे ? मैं खुद इसके अन्दर एक स्टेटमेंट चाहूँगा कि आखिर इसको इन्डीकेट करने, इसको डिसओन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाये हैं या उठा रही है, जो चार्जेज चेयरमैन के ऊपर लगाये गये हैं उन चार्जेज के लिए डिफेमेटरी सूट उस कम्पनी के अगेन्स्ट में कर रही है या क्या, किन सरकम्स्टान्सेज में कम्प्रोमाइज़ किया ? अगर वे नहीं कर रहे हैं तो रिटन स्टेटमेंट जो फाइल किया है हाईकोर्ट के अन्दर और जयपुर के सिविल सूट के अन्दर उसमें उन डिफेमेटरी एलीगेशन्स जो उन्होंने पैरा ७ (एन) के अन्दर लगाये हैं उनको डिनाई करने के लिए गवर्नमेंट ने रिटन स्टेटमेंट के अन्दर क्या फाइल किया है ? क्योंकि कम से कम जो ट्रान्सपोर्ट एपीलेट ऑथोरिटी है वह above suspension होना चाहिए, और जो पब्लिक का कॉन्फीडेन्स ट्रान्सपोर्ट एपीलेट ऑथोरिटी के अन्दर है वह बदस्तूर रहना चाहिए। आज मैं बिल्कुल कॉन्फीडेन्स व फर्मनेस के साथ कह सकता हूं कि जो पब्लिक का कॉन्फीडेन्स एपीलेट ऑथोरिटी से होना चाहिए वह इन चार्जेज से बिल्कुल खत्म हो गया है। आज पब्लिक का ट्रान्सपोर्ट एपीलेट ऑथोरिटी के अन्दर कॉन्फीडेन्स नहीं है। जिस ऑथोरिटी में कॉन्फीडेन्स नहीं हो और वही होल्ड करे और उसकी अपील उसके पास जाय तो यह ठीक नहीं है तो ट्रान्सपोर्ट की एपीलेट ऑथोरिटी में पब्लिक कॉन्फीडेन्स रेस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट हाउस के सामने रखना चाहिए कि क्या सरकम्स्टान्सेज़ थे और जो चार्जेज थे उनको डिनाई या किस तरह से गवर्नमेंट अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहती है, यह मैं चाहूंगा.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Is the Hon'ble Member definite about the charge that has been levelled in the plaint.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Member never talks indefinitely like the Hon'ble Member from Jana Sangha.

मैं अन्त में यही निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय जो हैं पैरा ७ एन्ड एन में साफ कहा है, वे पढ़ क्यों नहीं लेते उनके पास कापी है उसको पढ़कर बतावें हाउस के सामने What steps the Government is taking to restore the confidence in the Transport Appellate Authority.

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस डिमान्ड के सिलसिले में मेरा भी एक कट मोशन था और शायद मैं समझता था कि जो हालत बयाना से आने वाले....

श्री उपाध्यक्ष : जो उत्तर माननीय सदस्य को दिया गया था वही आपके लिए भी है।

(हंसी)

श्री चन्दनमल वैद : जो फैसिलिटी उनको दी गई वह मुझ को भी प्राप्त है।

श्री उपाध्यक्ष : फैसीलिटी किसी को नहीं है। I am strictly within the Rules of Procedure and I think the Hon'ble Member will also be strictly within the rules. We are not going to relax the rules.

श्री चन्दनमल वैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस डिमांड के सिलसिले में मुझे भी कुछ कहना है। इस डिमान्ड में दो बातों के लिए मांग है। पहली तो यह है कि कुछ अपॉइन्टमेन्ट्स के लिए और दूसरी है एक मुकद्दमे के सिलसिले में ३०००) की डिग्री सरकार पर हुई है उन रुपयों को देने के सिलसिले में। मुझे पहली के बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो मुकद्दमे की बात हुई है उसके लिए ३०००) हमको देना है उस सिलसिले में मुझे कुछ कहना है। वैसे तो यह चार्ज्ड एक्सपेन्डीचर है और हम कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते हैं लेकिन कम से कम सदन में डिस्कस जरूर कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे गलत नहीं समझें The position before us is that your cut motions have been disallowed. There by it means that you can speak on the cut motions moved by other Hon'ble Members only.

श्री चन्दनमल वैद : Yes Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, you may continue.

श्री चन्दनमल वैद : माननीय उपाध्यक्ष, हम डिमान्ड पर जनरल डिस्कशन कर सकते हैं चाहे किसी को सपोर्ट करें या अपोज़ करें। कम से कम जो डिमान्ड है उस पर तो बोल सकते हैं। मैं डिमान्ड पर जनरली बोल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : But not specifically mentioning your cutmotion which has been rejected.

श्री चन्दनमल वैद : No, Sir. I am not mentioning.

श्री उपाध्यक्ष : I would like to be sure that you are not moving your cut motion by the back door.

श्री चन्दनमल वैद : I am speaking on the general demand, Sir.

श्री चन्दनमल वैद : ३ हजार रुपयों की जो डिग्री हुई है उस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : On a point of order Sir, according to rules यदि कोई माननीय सदस्य कट मोशन मूव नहीं करते हैं तो डिमान्ड एज ए होल के विरोध में या पक्ष में नहीं बोल सकते। यदि कट मोशन नहीं देते हैं तो डिमान्ड जिस रूप में आई है उसी रूप में वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि उनका विरोध करते हैं तो कट मोशन पर हो सकता है। यदि कट मोशन नहीं है तो डिमान्ड एज ए होल पर नहीं बोल सकते। दूसरे माननीय सदस्यों के कट मोशन्स के विरोध में या पक्ष में बोल सकते हैं लेकिन डिमान्ड एज ए होल पर नहीं बोल सकते।

श्री चन्दनमल वैद : मैं समझता हूं जो रिलेक्सेशन बोलने के लिये बयाना से आनेवाले माननीय सदस्य को दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : I once again submit to the Hon'ble Member that there was no relaxation of rules. According to me he was perfectly within the cut motions. Regarding other point raised by Hon'ble, Shri Bhairon Singh, I am looking to it. Can you refer to any rule, Mr. Bhairon Singh?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है उसके विषय में मैं अर्ज करना चाहता हूँ। हमारे नियमों का अर्थ निकालते समय जो बुनियादी नियम हैं उनका हारमोनियस इन्टरप्रिटेशन होना चाहिये। हमारी वैधानिक अवस्था ऐसी होनी चाहिये कि चार्ज्ड डिमान्ड पर बहस हो सके और कट मोशन भी हो सके। यदि आप यह बैन लगायेंगे कि बिना कट मोशन के बहस नहीं हो सकती तो इसका मतलब यह होगा कि चार्ज्ड डिमान्ड पर जनरल बहस नहीं होगी। इसलिये हमारा कॉन्स्टट्यूशनल इन्टरप्रिटेशन हारमोनियस होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इसके अनुसार तो यह हुआ कि हम डिमान्ड और कट मोशन दोनों पर बोल सकते हैं....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : चार्ज्ड डिमान्ड पर बहस हो सके ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है।

श्री चन्दनमल वैद : चार्ज्ड डिमान्ड पर मेरे कट मोशन डिसअलाउ हुए हैं इसलिये मुझे जनरल बोलने का मौका मिलना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं कुछ और अर्ज करना चाहता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : तब तक यह भाषण हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Just a minute please.

श्री चन्दनमल वैद : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि ३००० रु० जो सदन से इस बात के लिये मांगे हैं कि कोर्ट में सरकार के खिलाफ डिग्री हुई है उसके लिये स्वीकार किये जायं। इसके बारे में अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन मैं इससे पहले कि अपने विचार रखूं, एक गंभीर बात की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष, आज जब हम ट्रान्सपोर्ट के विभाग की मांग पर बहस करते हैं उस समय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब सदन से गायब हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि दूसरे मिनिस्टर महोदयों की सम्मिलित जिम्मेदारी है इसलिये उत्तर देंगे। लेकिन जो मंत्री महोदय एक विभाग को सम्भालते हैं, और जो उसके लिये उत्तरदायित्व से काम करते हैं वे उस दिन सदन से गैरहाजिर हो जायं जिस दिन उनके विभाग के बारे में बहस हो रही हो तो मैं समझता हूँ यह सदन की अवहेलना है। अभी हम राजस्थान टिनेन्सी एक्ट छठा

Page No.77

(श्री चन्दनमल वैद)

संशोधन पास कर रहे थे उस समय वे यहां पर मौजूद थे और उसमें वे संजीदगी से भाग ले रहे थे। उसके बाद मृत्यु भोज निवारण विधेयक आया उस समय भी वे यहां उपस्थित थे ...

श्री उपाध्यक्ष : His absence is not a point before us.

श्री चन्दनमल वैद : It is not a point, but I w nt to draw the attention of the House to this fact.

श्री उपाध्यक्ष : The attention has been enough drawn by various Hon'ble Members.

श्री चन्दनमल वैद : माननीय उपाध्यक्ष, लेकिन जब उनकी डिमान्ड हाउस में पेश हैं उस समय अपने आपको गैर हाजिर रखना जब कि इस डिमान्ड की सूचना एक हफ्ते पहले मिली थी। मैं समझता हूँ सदन में हाजिर होकर जो क्रिटिसिज्म सदन में होता है उसका जवाब दें। इससे अधिक महत्वपूर्ण काम दूसरा हो नहीं सकता। यह सरासर सदन की अवहेलना है। उपाध्यक्ष महोदय, यह पाबन्दी होनी चाहिये कि जिन मंत्री महोदय से सम्बन्धित कट मोशन्स या डिमान्ड्स हों और उनको हाउस डिसकस कर रहा हो तो उनको हाउस में हाजिर रह कर जो क्रिटिसिज्म और सुझाव हाउस पेश करता है उसको ध्यान से सुनें और उसमें सुधार करना हो तो....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को सूचित करना चाहता हूँ। कि यातायात मंत्रीजी के लिये प्रेसिंग नीड थी इसलिये उनको दिल्ली जाना पड़ा। वहां पर प्लानिंग कमीशन की मीटिंग है उसमें सारी स्टेट्स के प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स हैं उनको जाना पड़ा है। यह बात नहीं है कि उन्होंने सदन की अवहेलना करने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय को इसकी सूचना दी गई है। उनकी तरफ से मैं हर फैक्ट और रूल का जवाब देने के लिये तैयार हूँ, यदि वे बिल्कुल रिलेवेन्ट रहें। यदि रिलेवेन्सी न रख कर डिमान्ड के बाहर जायेंगे तो अफसोस के साथ कहूँगा कि जवाब देने की आवश्यकता नहीं होगी, हालांकि दे सकता हूं।

श्री श्रीभानसिंह : जब एक इश्यु हाउस में रेज हो गया है और जो एक इम्पोर्टेन्ट इश्यु है तो उसका आप उत्तर न दें तो जाहिर है। या तो इश्यु रेज नहीं होना चाहिए था....

श्री उपाध्यक्ष : Let us not anticipate it. We will take it at the time the reply is given.

श्री चन्दनमल वैद : माननीय उपाध्यक्ष, मैं मानता हूँ कि राजस्व मंत्रीजी हर विभाग को संभालने को तैयार हैं लेकिन वे संभाल नहीं रहे हैं। उनकी सम्मिलित रेस्पोन्सिबिलिटी है लेकिन वे सारी बातें जो इस विभाग से संबंधित हैं जिनको यहां उठायेंगे उनका जवाब शायद उनके पास नहीं हो...

श्री दामोदरलाल व्यास : फर्क इतना है कि सही सूचना मेरे पास है आपके पास खाली हीयर-से आती हैं।

श्री चन्दनमल वैद : Hearsays are sometimes more important than correct ones.

अब मैं उस मुकदमे की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसके सिलसिले में ३ हजार रुपये माँगे गये हैं। आज हम देख रहे हैं कि सरकार पर बहुत सी रिट पिटीशन्स और मुकदमे होते हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी या सरकार ऐसे बहुत से काम कर बैठती है। जो जानते हैं कि ऐसे काम करेंगे तो रिट्स होंगी। इसके बावजूद भी वे ऐसा करने से बाज नहीं आते हैं और ऐसे काम करते हैं जिनके कारण जनता को कोर्ट में जाना पड़ता है और मुकदमें और रिट्स करनी पड़ती हैं और फिर हमें खर्चा मंजूर करना पड़ता है। क्योंकि यह चार्ज्ड है इसलिये आप कह सकते हैं कि यहां पर हम डिस्कशन ही कर सकते हैं, उसे कम नहीं कर सकते। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा किस रूप में मुफ्त में बेजा कार्यवाही करने के कारण जो खर्चा होता है उसको किस तरह से रोका जा सकता है। बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने वाकिफ किया कि हाई कोर्ट में रिट हुई थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हुआ था और चार्ज लगाया गया था ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर पर विश्वास नहीं है इसलिये ट्रान्सफर किया जाय......

श्री श्रीभानसिंह : I think the Hon'ble Member will correct himself. I don't know whether the hon'ble Minister is Chairman of the Appellate Authority also. That was a charge against the Chairman of the Aapellate Authority.

श्री उपाध्यक्ष : Why should the Hon'ble Member repeat what has been stated by the Hon'ble Member now.

श्री श्रीभानसिंह : To give it more seriousness.

श्री उपाध्यक्ष : The House has accepted the seriousness. The Hon'ble Member will please confine to his own points.

श्री चन्दनमल वैद : माननीय उपाध्यक्ष, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अभी जो पोजीशन है वह यह है कि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर स्टेट एपीलेट ऑथोरिटी के चेयरमैन हैं। मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहना चाहूँगा कि हिन्दुस्तान की किसी भी स्टेट में अपीलेट ऑथोरिटी के चेयरमैन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नहीं हैं। फिर हाई कोर्ट का फैसला हुआ है कि क्योंकि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के नहीं हैं इसलिये वे इसके चेयरमैन नहीं हो सकते। उसके बाद में जो अपीलेट ट्रिब्युनल बना उसके भी चेयरमैन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बने। मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के किसी भी स्टेट में एपीलेट ट्रिब्युनल के चेयरमैन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नहीं हैं। पहले ये एस. टी. ए. के चेयरमैन थे और अब एपीलेट ट्रिब्युनल के चेयरमैन बन गये, यह पहली ही स्टेट है जहां

(श्री चन्दनमल वैद)

पर इस तरह की व्यवस्था है। एपीलेट ट्रिब्युनल के चेयरमैन के विषय में लोगों ने उन पर स्वीपिंग चार्जेज लगाये हैं कि उनकी इन्टेग्रिटी और ऑनेस्टी डाउटफुल है। इसलिये उनसे न्याय नहीं मिल सकता इसलिये हमारे मुकदमे की सुनवाई उनके द्वारा नहीं की जाय। यहां तक तो कोई बात नहीं थी क्योंकि कोई भी आदमी कोर्ट में किसी पर भी चार्ज लगा सकता है। लेकिन उसके बाद जो बात सुनी वह सनसनीखेज और गंभीर है। वह यह है कि उसके बाद जिस आदमी ने उनपर चार्जेजलगाये थे, उसके कुछ केसेज ट्रिब्युनल के सामने पेंडिंग थे; उन केसेज का फैसला हुआ बताते हैं ......

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member, I will request that imputations based upon hear'say evidence, as refered by him also, should not unnecessarily be placed before the House.

श्री श्रीभानसिंह : The imputations are contained in the plaint, Sir. They are not based on hearsay. The copies of the plaint can be procured.

श्री उपाध्यक्ष : I have not objected to it. The Hon'ble Member is placing other facts which are not on the record. So I would request him to refrain from such sort of observations.

श्री श्रीभानसिंह : If the case has not been compromised, and nothing has been done, then the Hon'ble Minister can refute it.

श्री चन्दनमल वैद : Yes, he can refute them.

श्री दामोदरलाल व्यास : I will inform the Hon'ble Members that it is quite wrong that any Minister, or Appellate authority or any other Government officer entered into a compromise with any party who was going to a civil court or to High Court.

श्री चन्दनमल वैद : I don't say that Government entered into a compromise. I said that a writ petition has been withdrawn and the case pending before the Tribunal has been decided in favour of the person who had filed the writ petition.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is also not correct.

श्री चन्दनमल वैद : If the Hon'ble Minister is correct......

श्री दामोदरलाल व्यास : No writ petition has been withdrawn on any consent of any Government authority. So far as the cases are concerned, I don't have the knowledge with which they were pending, but so far as compromise or withdrawal of writ petition is concerned, I will say that the Hon'ble Minister, the Transport Authority or any Member there of or any State Government officer has nothing to do with it.

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जज के सामने ट्रान्सपोर्ट कम्पनी भीलवाड़ा का एक केस पेश किया गया है। उसके कालम ७ में डेफीनेट एलीगेशन लगाये गये हैं : " The Chairman of the Appellate Authority is a man of ill-repute. His integrity has been challenged in the Rajasthan Legislative Assembly and the press." उसके बाद उसने उसको विथ्ड्रॉ किया है। मेरे ख्याल से माननीय सदस्य का कहना यह है कि इस प्रकार के डिफेमेटरी क्लॉज एपीलेट ऑथोरिटी के चेयरमैन के विरुद्ध आता है, उसके अन्दर गवर्नमेंट एक तरफ पैरवी करना चाहती है जिससे प्लेन्ट दायर करने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके। जिस समय प्लेन्ट दायर किया गया और उसके केसेज का फेवरेबल निर्णय करने के लालच में कह दिया और उसने प्लेन्ट विथ्ड्रॉ कर लिया। इसके बाद इसके और केसेज में फेवरेबल डिसीजन हो गया ....

श्री उपाध्यक्ष : मेरी मान्यता है कि जो कुछ कहा जा रहा है सदन के प्रांगण पर, उसको आधार नहीं माना जायगा। माननीय सदस्य ने कहा, ऐसा कहा जाता है; आपने कहा, ऐसा कहा जाता है। ऐसी स्थिति में इन वाकयात को सदन के प्रांगण पर कैसे आने दूँ।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो फेक्ट्स सदन के सामने हैं। एक सज्जन गवर्नमेंट के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जज के पास रिट करता है, कुछ चार्जेज लगाता है। एक फैक्ट यह है कि उनके कुछ केसेज एपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग थे। तीसरा फैक्ट यह जानकारी में आया है कि वे केसेज विथ्ड्रॉ होते हैं और इसके बाद उनके फेवर में वे केसेज डिसाइड होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : How can we entertain these two positions ?

श्री चन्दनमल वैद : तीन चीजों को जोड़ रहे हैं साथ में, तो ऐसा मालूम होता है there is something fishy in all these things हम माननीय मंत्रीजी से जानना चाहते हैं, वे एश्योर करें, हमें बतावें कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो नुक्स निकल रहे हैं, वे गलत हैं। वे बताते हैं कि गलत हैं तो बड़ी खुशी होगी और बाहर जाकर हम कह सकते हैं कि यह बात गलत है, झूठी है। हमारी सरकार एक और साफ है और माननीय मंत्रीजी ने बात नहीं की है। हम जानना चाहते हैं—We want to defend our Transport Minister outside the House in public.

श्री उपाध्यक्ष : The facts as narrated by the Hon'ble Members cannot in themselves raise any inference so far as corrupt practice itself is concerned. They don't indicate any corrupt practice, and they are not connected.

श्री चन्दनमल वैद : They are very much connected, Sir. डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जज के सामने केस होता है, उसमें डेफीनेट एलीगेशन्स लगाये जाते हैं। दूसरी तरफ, माननीय मंत्रीजी, जो ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं उनके सामने उसके केसेज

(चन्दनमल वैद)

पेंडिंग हैं, वे उसके फेवर में डिसाइड होते हैं और वह केस विथड्रॉ होता है There is definite connection.

श्री उपाध्यक्ष : This is not within the scope of our debate.

श्री चन्दनमल वैद : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ कि हम इस तरह गलत निर्णय करके, अवहेलना करके केसेज को अपने ऊपर ले लेते हैं और इस तरह सरकार बोझा डाल देती है और फिर पैसे की मांग करते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बचने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही जो फैक्ट्स मैंने पेश किये हैं, मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे सही पोजीशन बता दें, जिससे हम ऐसी पोजीशन में हो जायं कि बाहर लोगों को सेटिसफाई कर सकें। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रान्सपोर्ट की डिमान्ड के सम्बन्ध में श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और इस सदन के कई एक माननीय सदस्यों ने कुछ एक कटौती के प्रस्ताव रखे....

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव आपने भी रखा था, आप उपस्थित नहीं थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे आप इजाजत नहीं देंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि जिस समय नाम पुकारा था, मैं यहां नहीं था। तो जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और जिसके विषय में सदन में कुछ वाद-विवाद शनैः शनैः गरम होता जा रहा है। रूपवास से आनेवाले माननीय सदस्य ने और सरदार शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ......

श्री चन्दनमल वैद : बयाना से।

डॉ॰ बहादुरसिंह : रूपवास बयाना, मिक्सचर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएन्सी। उन्होंने जो बातें सदन के सामने रखीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूँ और मेरी ऐसी मान्यता है कि उनकी बात को हक से परे नहीं किया जा सकता। यह हो सकता है कि उनको उन तथ्यों के बारे में, उस प्लिन्ट की कापी उन माननीय सदस्य के पास न हो, यह हो सकता है कि किस तारीख को अपील मंजूर की गई है, परमिट दी गई है, उनके बारे में तथ्यों की जानकारी उनको नहीं हो, यह हो सकता है कि किन परिस्थितियों में मुकद्दमात को वापिस लिया गया, यह तथ्य भी उनकी जानकारी में पूर्णतः तारीख वाइज नहीं हो, लेकिन यह तथ्य सदन के सामने स्पष्ट है कि कोई एक पार्टी थी, जिस पार्टी को परमिट नहीं दिया गया, जिसने अपील की एस.टी.ए. के सामने, जिस पार्टी ने हाई कोर्ट में रिट की, उसको वापिस लिया, सिविल सूट फाइल किया और सिविल सूट के फाइल करने के बाद जो आरोप माननीय यातायात मन्त्री के विरुद्ध, जिन्हें गम्भीर आरोप में मैं कह सकता हूँ, यदि वे आरोप उस प्लिन्ट में लगाये हैं,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं माननीय राजस्व मंत्री और राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि वे माननीय सदस्यों की बात पर ध्यान दें या न दें, यदि इस प्रकार के आरोप किसी दावे में लगाये गये हैं, किसी प्लिन्ट में लगाये गये हैं, तो जैसा कि प्रेसीडेन्ट ऑफ इन्डिया ने प्राइममिनिस्टर को लिखा है : That the Government should appoint high-power Tribunals to enquire into the conduct of erring Ministers. मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय का वह संकेत, उनका वह इशारा, उनका वह पत्र राजस्थान सरकार के लिए पर्याप्त है कि जहां इस राजस्थान सरकार के मंत्री पर आरोप लगाये जायं अदालत के सामने, वे बदनाम हैं, इल रिप्यूट रखते हैं, राजस्थान विधान सभा में और राजस्थान के पत्रों में बदनाम हैं, उनसे न्याय की आशा नहीं है, करप्ट हैं, अगर इस प्रकार के आरोप लगाये जायं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि बजाय पार्टी को कम्पेल करके वह विथड्रा करायें, उसके ऊपर दावा दायर करना चाहिए डिफेमेशन का, नोटिस देना चाहिए और ५०० आइ. पी. सी. की कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि वह गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर को बदनाम करने की कोशिश करता है। हम उस इम्प्लीकेशन्स को मान जायेंगे तो वह बात एक्सेप्ट करते हैं हम अगर चुप रहते हैं साइलेंट रहते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : Order, order. I would again request the Hon'ble Member that this line of debate is not within the scope of our discussion.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मुझे इस सम्बन्ध में अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ मुझे कहना था मैंने निवेदन कर दिया है।

(हंसी)

मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने एक ऐसा भार अपने कंधों पर लिया है, उन्होंने साहस जरूर किया है, उसकी तो मैं तारीफ करूंगा ही पर यह तो वैसी ही बात हुई कि किसी ने सड़क पर पड़े हुए बच्चे को उठा लिया पर पुलिस कभी भी पकड़ कर कहती है कि यह इलिजिटिमेट चाइल्ड आपका है ...

(हंसी)

उनकी अदम मौजूदगी में आपने जवाब देने की....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य फिर उसी बात को कह रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति इतनी क्यों खटकती है, जिसके बारे में मैंने व्यवस्था दे दी है the Government is rightly represented here.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am not debating that, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Somehow or the other it is being debated.

श्री चन्दनमल बैद : मैं भी यही चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय यहां उपस्थित हों। उनकी अनुपस्थिति खटकती है, उनकी मांग पेश हो और वे यहां मौजूद हों और

Page No.83

फिर भी यहां पर आकर उपस्थित नहीं हों तो हम समझते हैं यह हमारी अवहेलना की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : I respect the sentiments of the House, but at the same time according to the procedure and according to the practice, the Government is rightly represented here, and we cannot say anything against it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो माननीय उपाध्यक्ष, वे कल आ जायें तो कल इस डिमान्ड पर विचार कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि शक्ल देख कर भी बातें उपजती हैं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : कभी कभी ऐसा होता है कि माननीय सदस्य, सदस्य होते हुए भी कुछ इतमीनान से बातें करते हैं....

श्री चन्दनमल वैद : प्रेम से....

श्री उपाध्यक्ष : हां, आपने ठीक कहा।

श्री चन्दनमल वैद : While speaking, we want to see the demeanour of the Hon'ble Minister also.

श्री उपाध्यक्ष : I hope Shri Satish Chandra has concluded.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : ऐसी भी क्या बात है, एक दिन के लिये पोस्टपोन हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am just concluding, Sir. तो माननीय उपाध्यक्ष, कुछ रेगुलर अपोइन्ट्स को लेकर मैंने कहा है। तो यातायात मंत्रीजी यहां होते और यह कटौती का प्रस्ताव श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है उस पर मन्त्री महोदय जरूर कहते कि "कौए की कांव कांव से ढोर नहीं मरते"।

(हंसी)

तो कभी कभी कहने में तथ्य और सदन के सामने आ जाते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इर्रेगुलर अपॉइन्टमेंट्स के बारे में श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उदाहरण देकर बताया, जिस हुकूमत में मिडिल पास इन्स्पेक्टर बन जाते हैं, जेबकतरे प्रोफेसर बनते हैं और करप्ट मिनिस्टर बनते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Order, please. I think the Hon'ble. Member is transgressing the limits of the debate. I would again request him to please speak to the question itself and not to transgress the limits.

श्री सूरजमल : जेब कतरने का मतलब कैंची है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूँ जो कुछ उदाहरण के रूप में कहता हूँ वह सही है, जेबकतरे को सरकार ने प्रोफेसर मुकर्रर किया है....

श्री उपाध्यक्ष : I will again request the Hon'ble Member to be withni

(श्री उपाध्यक्ष)

the limits. Let not the standard of the debate go down.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अगर कुछ कटु सत्यों के बारे में कहना डिबेट के स्तर को नीचे गिराना है तो मैं तो कम से कम ऐसा नहीं मानता। यहां इर्रेगुलर अपॉइन्टमेंट्स किये जाते हैं, मैकेनिक था उसको इन्सपेक्टर बना दिया जाता है, जिस पद के लिये जिस क्वालिफिकेशन की आवश्यकता थी, वह क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी उस पद पर अपॉइन्टमेंट कर दिया जाता है, इसी के बारे में तो यह कटौती प्रस्ताव है....

श्री उपाध्यक्ष : This is a very decent language now.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समझता हूँ माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रकार के इर्रेगुलर अपॉइन्टमेंट्स के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न खड़ा किया था और जिसके बारे में जैसा जवाब दिया, माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन अपॉइन्टमेंट्स के बारे में उनका ध्यान आकर्षित किया है, वे उनके सम्बन्ध में अपने विचार यहां रखेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग के सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इसमें ३००० की चार्ज डिमान्ड है, वह एक डिक्री के सिलसिले में है। हमें मालूम नहीं कि किस बारे में डिक्री हुई है। जो सप्लीमेंट्री बजट दिया तो सरकार को अंकित कर देना चाहिये था कि यह किस प्रकार की डिक्री का रुपया है। किस प्रकार की डिक्री थी, कम्प्रोमाइज डिक्री थी या कन्सेन्ट डिक्री थी, किस बात का दावा था इसका संकेत इसमें नहीं है। ऐसी सूरत में इसके सम्बन्ध में कुछ भी निवेदन नहीं कर सकता। मैं आशा करता हूँ कि राजस्व मंत्रीजी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि कैसी यह डिक्री है, कन्सेन्ट किया था या नहीं, अदालत ने यह डिक्री की थी, क्या यह डिक्री फाइनल हो गई है, इतनी बातों की ओर राजस्व मंत्रीजी संकेत करेंगे।

एक बात और निवेदन करूंगा। यह २१ हजार की राशि-जो अन-ऑथोराइज्ड मूवमेंट राजस्थान में होता है, सीमावर्ती जिले हैं, उनमें तो सीमावर्ती जिलों में इस प्रकार दूसरी स्टेट्स से अन्-ऑथोराइज्ड आवागमन होता है, दूसरे राज्यों की विहिकल्स अन्-ऑथोराइज्ड रूप में यहां आती हैं, उनको रोकने के लिये यह २१ हजार की धन राशि रखी गई है और संकेत किया गया है कि २१ हजार की धन राशि खर्चने के बाद राजस्थान में आने वाली विहिकल्स हैं, उनको चैक करने से राजस्थान सरकार को ४० हजार रुपयों की आमदनी होगी। माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूँगा कि यह बात सही है कि अन्य राज्यों के वाहन ट्रक्स आते हैं और माल ढो कर राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पटक जाते हैं, इसकी रोक होनी चाहिये। जो अन्-ऑथोराइज्ड मूवमेंट होता है उसकी राजस्थान सरकार निगरानी रखे पर सवाल यह खड़ा होता है कि हमारी पुलिस क्या करती है? पुलिस को चाहिये कि इनको चैक करे। पुलिस की चौकियां हमने कायम की हैं, वे क्या करती हैं, हर रोड पर, रास्तों पर पुलिस की चौकियां हैं वे क्या करती हैं? इस प्रकार की २१ हजार की डिमान्ड रखने का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मतलब यह है कि यातायात मंत्री ने पुलिस की व्यवस्था के सम्बन्ध में अविश्वास प्रकट किया है। हर रोड पर पुलिस की चौकियां मौजूद हैं, वे अन्-ऑथोराइज्ड मूवमेंट को रोक सकती हैं। जिनके पास राजस्थान में आने का लाइसेंस नहीं है, जो राजस्थान की बाउन्डरी में आने के लिये अधिकृत नहीं हैं तो वे कैसे आ जाती हैं, पुलिस को चाहिये कि इस प्रकार के आने जाने को रोके। यह पुलिस की डिमान्ड नहीं है पर इस पर डिपेन्डेन्ट है। जब कि पुलिस को व्यवस्था मौजूद है, तो इस प्रकार की और व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता है? या तो मानना पड़ेगा कि पुलिस की चौकियां इस कार्य को रोकने में पर्याप्त नहीं हैं, समर्थ नहीं हैं इसलिये सेपरेट और इन्डिपेन्डेन्ट स्क्वेड बनाने की आवश्यकता हो गई है। राजस्थान सरकार के दो विभागों में सहयोग नहीं होता मिल कर काम नहीं कर सकते तो दूसरी स्टेट्स के विहिकल्स के अन्-ऑथोराइज्ड आवागमन का चैकिंग एक इन्स्पेक्टर और कुछ पियोन्स से नहीं हो सकता। जब तक पुलिस उन लोगों से मिली रहेगी तो उन लोगों को दूसरे रास्तों से निकाल सकती है, तो ऐसी सूरत में एक इन्स्पेक्टर, दो चार चौकीदार इस अन्-ऑथोराइज्ड मूवमेंट को नहीं रोक सकते।

मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अनधिकृत आवागमन को यदि रोकना चाहते हैं टैक्सेज़ का इवेजन होता है उसको रोकना चाहते हैं, तो पुलिस और ट्रान्सपोर्ट इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की भावना निर्माण करें और बोर्डर पर जो मूवमेंट होता है उसको चैक करें तभी वह चैक हो सकता है। वर्ना २१ हजार से ज्यादा राशि भी रख लें तो चैक नहीं हो सकता।

इन्हीं शब्दों के साथ श्री माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि बीच में अर्ज किया था कि बहुत से कट मोशन्स पेश किये गये हैं और उन पर भाषण हुए हैं वे इन कट मोशन्स का सब्जेक्ट है उससे परे हैं। कुछ रिलेवेन्सी नहीं रखते हुए माननीय सदस्यों ने विचार बताये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपका यह मतलब है कि इर्रिलेवेन्ट स्पीचेज को माननीय उपाध्यक्ष ने अलाउ कर दिया?

३ म० प०

श्री दामोदरलाल व्यास : आप अपने विचारों में कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं, मैं आपके विचारों में दखल नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने विचार रख रहा हूँ।

मैं सबसे पहले डिमान्ड है उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। इससे न आर. टी. ओ. और न Appellate Authority nor any Minister का सम्बन्ध हैं। यह केवल इस बात के लिये है कि टैक्स को जो एवोइड करते हैं, चाहे वे बस ओनर हो चाहे ट्रक ओनर हों चाहे कोई पैसेन्जर हो, उनको डीटेक्ट करने के लिये सरप्राइज चैकिंग के लिये हम स्क्वेड मुकर्र करना चाहते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उनको भी चैक कर सकें, जो ट्रक और बसें रन करती हैं उनको भी चैक

(श्री दामोदरलाल व्यास)

किया जा सके। यह एक्स्ट्रा अर्डीनरी काम इसलिये किया जाता है कि जो लोग टैक्स को एवोइड करना चाहते हैं उनको हमें रोकना है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यह किया गया है और डिमान्ड रखी गई है। इसका सम्बन्ध इससे नहीं है कि कोई आर. टी. ओ. हो जावेगा या कोई टी. ओ. हो जावेगा या इधर उधर ट्रान्सफर हो जावेगा। इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय सदस्य इस बात को ठीक तरह से समझें। उन्होंने सुना है और चूंकि यातायात मंत्री यहां पर नहीं है, श्रीमाधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने सुनी हुई बातों को लेकर गौर वेजाबतगी बताने की कोशिश की है लेकिन जो प्रोसीजरल गलती थी उसको ठीक करने का इसके सिवास कोई दूसरा तरीका नहीं था। और यह कहना कि एक आदमी को फेवर करने के लिये यह किया गया, यह कोई उचित नहीं है। आप कहें आर. ए. एस. और तहसीलदार के लिये कई डिस्ट्रिक्ट में कोटा मुकर्र है और यहां पर कोई डिपार्टमेंट प्रमोशन के लिये कोटा मुकर्र नहीं था और चूंकि इनजस्टिस हो रही थी। उसको ठीक करने के लिये यातायात मंत्री ने रूल्स को अमेन्ड कराया कि इतना परसेन्ट कोटा डिपार्टमेंट प्रमोशन से होना चाहिये। दूसरा यह....

श्री भैरोंसिंह : मेरी शिकायत यह है कि जिस व्यक्ति को पब्लिक सर्विस कमिशन ने ए. आर. टी. ओ. के लिये डिस्क्वालीफाई किया उसको कैसे लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं तो सिद्धान्त पर कह रहा हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : This concerns particulars.

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, that I know. तो प्रश्न यह है कि अमेंडमेंट ऑफ रूल्स कराये गये। इनजस्टिस था या नहीं यह मैं नहीं कहता। मगर डिपार्टमेंट के लोगों को सर्विस में प्रमोशन के लिये कोटा नहीं रखा जाता तो यह इनजस्टिस होती जबकि हर एक डिपार्टमेंट में इस प्रकार के प्रमोशन के लिये कोटा रखा जाता है तो ट्रान्सपोर्ट विभाग में यह एलिमेंट करना उचित था। इसलिये यह जो कुछ किया गया वह किया जाना उचित था और करना चाहिये था। इस प्रकार अमेंडमेंट के बाद सलेक्शन का तरीका होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन किसी को न चुने। उनको डाइ ऑफिसर मिला सकते हैं लेकिन जहां पर हम निश्चित कर देते हैं कि डिपार्टमेंट का इतना कोटा होगा तो उस डिपार्टमेंटल सलेक्शन के लिये कमेटी होती है। जो उसको मुकर्रर करते हैं उसमें मिनिस्टर नहीं बैठते। जिन लोगों की बेस्ट सर्विस होती है या जिनका रेकॉर्ड अच्छा होता है उसको मेरिट पर लिया जाता है। आपने यह चार्ज लगाया कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिसको रिजेक्ट कर दिया था ....

श्री भैरोंसिंह : ये फैक्ट आया सही हैं या नहीं कि पब्लिक सर्विस कमीशन से उनको रिजेक्ट कर दिया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : पब्लिक सर्विस कमीशन में तो उसी तरह से कम्पीटीशन से लिया जाता है और यहां पर डिपार्टमेंट प्रमोशन के लिए जो कोटा मुकर्रर होता है उनमें सीनियोरिटी कम मैरिट पर जो

श्री दामोदरलाल व्यास)

अच्छा होगा लगा लिया जाता है। इसमें कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने किसी को रिजेक्ट कर दिया तो उसको ले सकते हैं जो सर्विस में है।

श्री भैरोंसिंह : रिजेक्ट पब्लिक सर्विस कमीशन ने कर दिया था या नहीं।

एक माननीय सदस्य : उनको रिजेक्ट कर दिया गया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not proper to interupt me now and then. आपकी इर्रेलेवेन्ट (Irrelevant) बातें थीं उनका इतना जवाब दे दिया उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिये ....

श्री भैरोंसिंह : I take strong objection to this Sir that I am saying irresponsble things. आपको इन शब्दों को विड्रॉ करना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : I should not withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : the word used was not 'irresponsible'. It was 'irrelevant'

श्री चन्दनमल बैद : जो आदमी प्रोमोट किया गया उसको पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजेक्ट किया ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूं कि किसी आदमी के लिये कोई पहले का संबन्ध नहीं रखता। कौन आदमी था। मैं तो सिद्धान्त की बात बताता हूं। आप किसी व्यक्ति के लिये मुझसे पूछते तो अलग प्रश्न में तो उसका जवाब देता मगर आप मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं सबके लिये तैयार होकर आऊं यह उचित नहीं है। दूसरा माननीय सदस्य ने ३ हजार रुपयों की डिक्री को लेकर कहा। ३ हजार की डिक्री इस बात की है कि स्टेट में स्टस की मोनोपोली थी। उनका कुछ अमाउन्ट स्टेट में जमा था। इसलिये उसने दावा करके डिक्री कराई इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको डिमान्ड की मोटी बातें बतादी। इस बात को देखते हुए माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि आर. टी. ओ. के बारे में कोई प्रश्न ....

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Point of order, Sir. I have not east any aspersions. The aspersions are embodied in the defamatory plaint aud you read out the plaint. The things are already threre.

श्री दामोदरलाल व्यास : I may say 'aspersions from the plaint'. Now are you satisfied ? From the so-called 'aspersions from the plaint' I would say.

श्री श्रीमानसिंह : Again correct yourself. 'Quotations from the plaint'.

श्री उपाध्यक्ष : 'Aspersions contained in the plaint' There is nothing wrong.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह कहना कि प्लेन्ट में कुछ एलीगेशन को सुधारा है उसका मतलब यह लगाते हैं कि उसने इसको विड्रॉ कर दिया। अगर कोई wild allegation

Page No.88

(श्री दामोदरलाल व्यास)

किसी के खिलाफ लगा हो उसको प्रिजम्प्शन लगाना कि....

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Member should see the plaint and then he would know whether the allegations are wild or anything.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have not seen the plaint. I have only heard now in the House. I don't know who has instituted that plaint. But there are many times wild allegations against public workers...

श्री श्रीभानसिंह : Chairman of Appellate Authority is not a public worker.

श्री दामोदरलाल व्यास : Against any judicial officer, quasi-judicial officer, or a Minister, there may be wild allegations. But so far as the question of withdrawal of the plaint is concerned, I have already said that the Government was not a party to it. They instituted the plaint on their own accord and withdrew it also on their on accord.

Regarding the points in the cut motions, I have already replied to them and I hope the Hon'ble Members will be satisfied and withdraw their cut motions.

श्री चन्दनमल बैद : इतना तो क्लीयर है कि रिट हुई थो वह विथड्रा कर ली है।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that I have heard about the plaint only here. I don't have any information whether the plaint has been withdrawn or not.

श्री चंदनमल बैद : हम यह मान कर चलते हैं कि राजस्व मंत्री को इस प्लेन्ट के बारे में जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अगर है तो वे देना नहीं चाहते। मैं थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : On What subject? I think there is no right of reply.

श्री भैरोंसिंह : जो कट मोशन विथड्रा करना चाहते हैं उनके लिये यह पाबन्दी है न कि उनके लिये जो विथड्रा नहीं करते। कट मोशन पर जवाब देने का....

श्री उपाध्यक्ष : We have made observations on this issue many a times.

श्री भैरोंसिंह : विथड्रा करना चाहते हैं, वे नहीं बोल सकते लेकिन जो प्रेस करना चाहते हैं वे तो बोल सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): The rules are that those who have to withdraw they d n t have a right of reply, but those who want to press their cut motions, they have a right of reply.

श्री उपाध्यक्ष : The Chair has made observations on both the phases.

(श्री उपाध्यक्ष)

In both the conditions there is no right of reply.

श्री भैरोंसिंह : पहले का रुलिंग केवल यह है कि जो विथड्रॉ करना चाहते हैं वे नहीं बोल सकते।

श्री उपाध्यक्ष : I assure the Hon'ble Member that the observation is there and I am confident about it. As a matter of right it does not exist.

श्री भैरोंसिंह : As a matter of right. मुझे पर्मिशन दी जाय एक्स्प्लेनेशन प्रस्तुत करने के नाते। मुझे केवल दो चार मिनट के लिये ही इजाजत दे दी जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : Then every Hon'ble Member will claim that right, Sir. It will not be establishing a good precedent.

श्री भैरोंसिंह : मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ कि यह precedent नहीं बनेगा।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : We can create precedent for leaders of groups that they will have a right of reply.

श्री पी० के० चौधरी : This concession will be applicable to other members also.

श्री श्रीभानसिंह : Only to the leaders of the groups.

श्री उपाध्यक्ष : If that is the position, then I will not relax the condition. It is only Shri Bhairon Singh who can have clarification.

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से इतनी जानकारी चाहूँगा कि जिस तरह से बताया गया कि यह पॉलिसी का सवाल था, डिपार्टमेंटल प्रमोशन का कोटा नहीं हो, सलेक्शन होता है तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स पर एक प्रकार का अन्याय है और कोटा निर्धारित होना चाहिये। मैं यह जानकारी चाहूँगा कि यदि इस सिद्धान्त को स्वीकार किया जाय और यह मैं स्वीकार करता हूँ कि डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को प्रमोशन मिलना चाहिये, उनके लिये कोटा निर्धारित होना चाहिये। जिस समय पांच व्यक्तियों के सलेक्शन की, प्रमोशन की आवश्यकता थी, पी० एस० सी० ने उसको एडवर्टाइज कर दिया डिपार्टमेंट के लिखने पर, फिर सलेक्शन कर दिया और ऑपइन्टमेंन्ट के क्वेश्चन पर मन्त्रीजी के सामने सवाल आया तो उससे पहले कोटा निर्धारित करने की बात इतने दिनों तक उनके दिमाग में क्यों नहीं आयी? या तो वे भूल गये, या उन्होंने कोई गलती की।

श्री उपाध्यक्ष : The question itself is complete now. Let it be clarified now.

श्री भैरोंसिंह : एक दूसरा और था।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो हो गया न।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already explained the circumstancs under which it was found necessary for the department to amend the rules

(श्री दामोदरलाल व्यास)

to make eligible the Department's own employees for promotion to higher posts, and that opportunity was also given to him. Now the question is of the time. I don't know what time it was-whether it was amended before or after that. The Hon'ble Member can put a separate question for it.

श्री उपाध्यक्ष : Shri Bhairon. Singh I presume not withdrawing.

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव मांग संख्या ४४ पर श्री भैरोंसिंह ने प्रस्तुत किया उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीन उपाध्यक्ष, जो कटौती प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव वापिस लेने के लिए आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

कटौटी प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मोगजी भाई ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री हीरा :

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री हीरा ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १२—वाहनों पर कर—के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २१,००० रुपया तक की धनराशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५५

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री-कृषि मंत्रीकी ओर से): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५५ मुख्य शीर्षक ४०—कृषि—के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६० को समाप्त होने

(श्री दामोदरलाल व्यास)

वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,०००) रु० तक की धनराशि और प्रदान की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

1. That the demand No. LV, Major Head 40- Agriculture be reduced by Re. 1/-(to discuss the favouritism done in matters of appointments relating to items (1) and (2) of the demand.)

2. That the demand No. LV, Major Head 40-Agriculture pertaining to item (4) be reduced by Rs. 1/- (to discuss the failure of the department to arouse public consciousness in the Chambal Project area, with regard to the agricultural schemes proposed to be implemented.)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये जो दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनमें से दूसरे कटौती प्रस्ताव पर पहले में अपने विचार सदन में प्रस्तुत करना चाहूँगा ।

राजस्थान में जब कभी भी इस बात का जिक्र किया जाता है कि चम्बल प्रोजेक्ट का एरिया किस प्रकार से डवलप होगा, उसका क्या लाभ होगा, किस प्रकार से खेती होगी, कौन सी खेती को वहां पर विशेष रूप से विशेष महत्व दिया जावेगा तब एक ही उत्तर मिलता हैं कि इस विषय को लेकर हमारा एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट बहुत ही सजग है और इतना कहने के बाद किसी को भी यह सन्देह करने की आवश्यकता नहीं रहती कि राजस्थान का कृषि विभाग जहां सजग है वहां पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह सकती । मुझे कुछ ऐसा लगता हैं कि हमारा यह विभाग अपनी उन स्कीम्स के लिए सजग नहीं है जिन स्कीम्स को हमें चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में एम्प्लीमेंट करना है । लेकिन इस बात के लिए सजग अवश्य हैं कि इस विभाग में किन किनकी नियुक्तियां करनी हैं, किस किस व्यक्ति को प्रमोशन देना है और प्रमोशन्स में किस प्रकार रूल्स का वायोलेशन हो सकता है उसका इन्तजाम करना । मैंने अभी यातायात विभाग के कुछ उदाहरण सदन के सामने प्रस्तुत किये थे और यह विभाग भी कोई यातायात विभाग से कम डिफाल्टर हो, प्रमोशन्स और अपॉइन्टमेन्ट्स के मामले में, ऐसा मैं नहीं मानता । अब या तो यह है कि यह विभाग भी उन्हीं मंत्री महोदय का है जिनके पास यातायात विभाग था तो कुछ ऐसा ही समझना चाहिये कि उनके अन्तर्गत जितने विभाग होंगे उनमें यह एक कोमन डिजीज है और उस कोमन डिजीज का इलाज सदन में कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने से ही नहीं होगा बल्कि उसके लिए अलग से कोई नुस्खा तैयार करना पड़ेगा जिससे कि इस बीमारी से हमारी सरकार को और जनता को मुक्त किया जा सके ।

जहां तक चम्बल प्रोजेक्ट का सवाल आता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन को यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे देश के जितने भी आंकड़े तैयार होते है, चाहे वे सिंचाई के आंकड़े तैयार हों, चाहे वे अन्य

Page No.92

(श्री भैरोंसिंह)

के आंकड़े तैयार हों, चाहे लोगों को काम-धन्धा कितना मिलेगा इसके आंकड़े हों, वे सब हमारी स्कीम्स के ऊपर आधारित होते हैं ।

चम्बल की योजना से सन् ५९ की सितम्बर में पानी आवेगा । इस प्रकार की घोषणा कुछ दिनों पहले सदन में की गई थी । इसके साथ साथ यह भी बताया गया था कि जिस समय पानी दिया जावेगा तब चम्बल का इतना क्षेत्र पानी से सिंचित होगा और सारा इलाका हराभरा नजर आवेगा । कोटा में जितने भी बेकार लोग हैं उनको वहां पर धन्धा मिल जावेगा । कितनी ही शुगर फैक्टरियां चालू कर दी जावेंगी और इस प्रकार का इलाका डवेलप हो जावेगा जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । कई बार मुझे कोटा क्षेत्र में जाने का अवसर मिला चम्बल की नहर और इसके डिस्ट्रिब्यूटरीज तक भी मुझे पहुंचने का अवसर मिला । नहर में पानी जावेगा यह बात सही है । पानी खेतों में पहुंचेगा यह बात भी सही है । और खेतों में पैदावार भी होगी यह बात भी सही है । लेकिन प्रश्न एक सामने आता है कि जिस लगन से हमने बांध बनवाये और बांध बंधवा कर नहरों में पानी लाये उसी लगन से एग्रीकल्चर विभाग ने, वहां के लोगों में, वहां की जनता में इस प्रकार को जागृति पैदा की है या नहीं कि ज्यों ही पानी आवेगा उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है ।

कोटा के अन्दर ज्वार की खेती होती है । कई स्थानों पर मक्का भी बोई जाती है । कई स्थानों पर कपास और गन्ने की खेती भी होती है । कई स्थानों पर और भी बाकी दालें वगैरह की खेती की जाती है । अब आज कोई यह विचार करके चले कि चम्बल की नहर में जो पानी आवेगा उस ज्वार की खेती में वह जावेगा या उससे मकई की खेती की जावेगी या वे पल्सेज हैं उनमें पानी जावेगा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारा यह एग्रीकल्चर विभाग या हमारी सरकार एक भयंकर भूल कर रही है । कोटा की चम्बल से जितना हम पानी देने वाले हैं उसे सबसे पहले हमें अपनी क्राप पैटर्न डिसाइड करनी पड़ेगी । इसकी सोइल का कैमिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा । सोइल के डिस्ट्रीब्यूशन में एरियाज डिस्ट्रिब्यूट करने पड़ेंगे । असेसमेंट सर्किल आपको पहले बनाने पड़ेंगे । किस सर्किल में कौनसी क्राप को स्पेशियेलाइज करना है और वह स्पेशल क्राप किस प्रकार बोई जावेगी, उसके लिए कौन सा मैन्योर काम में आवेगा, उसके लिए कौन से इम्प्लीमेन्ट्स काम में आवेंगे, खेतों में कितनी बार बुवाई जुताई गुडाई की आवश्यकता होगी और वह क्राप बन गई तो इसके बाद में मार्केट में ले जाने के लिये किस प्रकार की फैसीलिटीज सरकार किसानों को प्रोवाइड करेगी । मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर विभाग का कोई भी अधिकारी इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य चम्बल क्षेत्र में जावे और लोगों से पूछे कि तुम्हारे यहां पानी आने वाला है, तुम क्या करोगे ? तो मैं समझता हूँ कि वे आपको कुछ नहीं बता सकेंगे । वे बिलकुल अन्धकार में बैठे हैं । उनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं । पानी आवेगा तो कौन सी फसल के लिए उसका उपयोग किया जावेगा । और उधर हमारी सरकार ने आंकड़े

(श्री भैरोंसिंह)

बना कर तैयार कर रखे है और इस आशा में बैठी है कि ज्यों ही चम्बल का पानी खेतों में गया कि खेत लहलहाने लगेंगे। खेत हरियाली से लहलहा उठेंगे। कहां से लहलहा उठेंगे ? अगर ज्वार से या मकई से लहलहा उठेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की खेती से हमारी भूख की और अन्न की समस्या हल होने वाली नहीं है।

आज हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कम से कम इस क्षेत्र में जागृति पैदा करता कि हर किसान जिसका खेत सिंचित होगा उस पानी से वह इस बात से महसूस करने लग जाता कि मेरे खेतों में पानी आता है तो मुझे इस प्रकार की जुताई करनी पड़ेगी। इस प्रकार का मुझे खेत बनाना पड़ेगा, इसके लिए अमुक प्रकार का फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, इस प्रकार के इम्प्लीमेन्ट्स की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। आज न उसके पास इम्प्लीमेंट्स हैं, न फर्टिलाइजर की, न स्पेशियेलाइज्ड क्राप की बात है, न स्पेशियेलाइज्ड-सीड की, न असेसमेंट सर्किल है, न क्राप पैटर्न है, न मार्केट फेसीलिटी है, न उस माल को सही तरीके से बेचने की व्यवस्था है, न जो भी प्रोड्यूस होगा उसका किसी प्रकार से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसकी कोई प्रकार की सरकार की व्यवस्था है ?

एग्रीकल्चर विभाग कह सकेगा कि हमने नया बजट मन्जूर कर रखा है। कागजों में स्कीम बना रखी है। अमाउन्ट सेंक्शन करते आ रहे हैं। हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को लेकर कभी कलेक्टर और कभी कमिश्नर के आफिस में और कभी सेक्रेटेरियट में घूमता रहता है। इससे हमारा कोई तात्पर्य नहीं है। हमारा तो तात्पर्य उससे है कि जो क्षेत्र में हैं, जो जनता है किसान है उस क्षेत्र की उनमें इस बारे में कोई जागृति आपने की या नहीं।

पंजाब में जब वाटर लॉगिंग का क्वेश्चन पैदा होता है तो कोटा में भी लोगों में इस बारे में जबर्दस्त भ्रान्ति है। जितना जितना पानी जाता है वाटर लॉगिंग का क्वेश्चन भयंकर रूप में आता है तो कोटा का किसान भी चर्चा करने लग गया है कि इस तरह की मुसीबत हमारे यहां भी न आ जावे जैसी पंजाब में आ गई है कोटा के लोग भी कहने लग गये हैं कि हमारी जमीन की फर्टिलिटी जो आज है, वह यदि इस पानी से पंजाब की तरह वैटी क्लाइमेट रही तो बहुत मुमकिन है वह कम हो जायगी और प्रोडक्शन में कमी आ जावेगी। इसलिए वे निराश होकर आज बैठे हैं। कोटा में पानी आया इसका किस प्रकार उपयोग किया जावेगा। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर यदि कोटा में रहता है तो चम्बल के सारे क्षेत्र के लोग उसके पास जाकर यह जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की व्यवस्था हमें करनी होगी। मैं इतना कह सकता हूँ कि चम्बल की नहर आ गई, उसका पानी चला जावे पर काश्तकार एग्रीकल्चर विभाग की भूल के कारण जो हमारे टार्गेट थे वे जिनको पानी मिलता है पूरे कर सकते थे और निकट समय में पूरे कर सकते थे वे एग्रीकल्चर विभाग की सुस्ती के कारण से-तो यह विश्वास के साथ कहता हूं कि वे इन टार्गेट्स को-अब पांच वर्षों में भी पूरे नहीं कर सकेंगे। पानी आने वाला है, जल्दी मिलने वाला है, पर उस पानी का सही उपयोग करके टार्गेट्स को

(श्री भैरोंसिंह)

पूरा करने की तैयारी किसानों की आज नहीं है। आज इस तरह की तैयारी करने की जानकारी इस एग्रीकल्चर विभाग ने नहीं कराई, वह सुस्त बैठा रहा, जो उसको करना था वह नहीं किया। आज यदि यह कहा जावे कि अमुक क्षेत्र में गन्ने की खेती करनी है तो उसकी तैयारी नहीं है और वह जल्दी में हो भी नहीं सकती। अगर अलग अलग पेटर्न में, अलग अलग सोइल में क्राप पेटर्न तैयार करो तो वे समय पर नहीं किये। अपनी मर्जी से जो पानी इस क्षेत्र में मिलेगा वह वे लोग उपयोग करें यह आज की स्थिति है। तो इससे काम चलने वाला नहीं है। चाहिये तो यह था कि अलग अलग असेसमेंट सर्किल बनाते, क्राप पैटर्न तै करते, उनको जानकारी देते, जमीन की फर्टिलेटी के आधार पर क्राप पैटर्न बनाकर उस पानी का सही उपयोग करने की जानकारी कराते। उनको उस क्राप पैटर्न के हिसाब से सलाह देते। आज सरकारी रूप से कोई सलाह नहीं है कि इस क्षेत्र में अमुक प्रकार की खेती करने से लाभ होगा और न इस सम्बन्ध के बाकी साधन ही सरकार मुहैया करने की स्थिति में है। वे तो पानी मिलने के बाद भी अपनी मर्जी से उसका उपयोग करने वाले हैं। और उनकी मर्जी क्या है यह हम सब जानते हैं। वे जानकारी के अभाव में वही ज्वार और मकई के खेतों में पानी का उपयोग करेंगे और जो लाभ मिलने वाला था वह नहीं मिल पावेगा। हमारे टार्गेट्स पूरे होने वाले नहीं हैं। ये सारी जानकारी की बातें पानी देने के समय के काफी पहले से विभाग को करना था और अब तक तो वह जानकारी सभी को हो जानी थी, सारी तैयारी हो जानी चाहिये थी, एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियेलिटी का भी हल हो जाना चाहिये था पर इस विभाग की अयोग्यता के कारण या सुस्ती के कारण वे यह नहीं कर पाये।

जिस समय भाखरा और चम्बल का जिक्र आता है, भूखे लोगों की पिपासा शान्त करने की कोशिश करती है सरकार। पर हम अगर यह पूछें कि इसका डिमान्स्ट्रेशन द्वारा जनता को ज्ञान कराया है आपके इस एग्रीकल्चर विभाग ने जो कि इसका काम था, तो मैं कह सकता हूँ कि अब एक दो दिनों में डिमान्स्ट्रेशन देने वहां चले गये हों तो बात दूसरी है। नहीं तो मैं तीन महीने पहले उस क्षेत्र में जाकर आया हूँ। किसी भी प्रकार का कोई डिमान्स्ट्रेशन इस मतलब का काश्तकारों को इकट्ठा करके क्राप पैटर्न के बारे में, जमीन की फर्टिलिटी के बारे में पानी मिलने पर उसका उपयोग किस प्रकार करना होगा, कौनसा स्पेशलाइज्ड सीड्स दिया जावेगा, कौन सा फर्टीलाइजर किस तरह उपयोग करना होगा, किस क्षेत्र में क्या क्राप बोनी होगी इसकी जानकारी देने का कोई डिमान्स्ट्रेशन नहीं दिया गया। इसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। ऑफिस में आपने चार्ट वार्ट टांग रक्खे होंगे, सेमिनार किये होंगे, पर उन सेमिनारों में भी असली किसान नहीं आये होंगे, किसान भी आये होंगे तो ऐसे आये होंगे जिन्होंने वास्तव में खेती नहीं की होगी कभी। शानदार सेमिनार किये होंगे, बड़े लम्बे चौड़े लेक्चर दिये होंगे और कोटा में जागृति पैदा कर दी होगी। पर इससे प्रभावित इलाके में जागृति पैदा नहीं की गई। वे पानी के उपयोग के महत्व को नहीं जानते उन तक जागृति नहीं फैलती है तब तक निश्चित रूप से मेरा यह आपको चैलेन्ज है

(श्री भैरोंसिंह)

कि इस सब खर्चे से और शोरगुल से विशेष लाभ नहीं होगा। हमारी भूख नहीं मिटेगी, देश में प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला है। एग्रीकल्चर विभाग राजस्थान का डिपार्टमेंट है, भारत सरकार का डिपार्टमेंट है। पर दूसरे देशों में जिस तरह पिछले दिनों सुना था—रूस के प्रधान मन्त्री मेलेन्कोव को प्रधान मन्त्री के पद से उठा कर एक पॉवर हाउस का इन्जीनियर बना दिया—यह केवल किया गया इसलिये कि फूड प्रोडक्शन के टार्गेट्स अचीव नहीं किये जा सके और उसके बारे में पूरी सावधानी नहीं बरती गई। वे बातें हमारे यहां नहीं हो सकती पर इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि डिपार्टमेंट हैड की अयोग्यता के कारण, उसको अयोग्य मैं ही नहीं बता रहा हूँ, सरकारी रिपोर्टों में एक बार नहीं कई बार और हर बार उसे अयोग्य बताया गया है। टैक्निकल नॉलेज उसे नहीं है। हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज हो। मैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज के बारे में कुछ नहीं कहता लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट का आदमी एक नॉन-टैक्निकल हो और आप राजस्थान के एग्रीकल्चर को डवेलप करना चाहें और उसके अन्दर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स का आदमी हो और उससे आप यह उम्मीद करें कि जौ, बाजरा, गेहूं वगैरह किस तरह से निकलता है, उसके लिए कैसी जमीन होनी चाहिए, कितना पानी चाहिए और कैसी खाद डाली जाती है, यह बता सके यह सम्भव नहीं है। जिस प्रकार सदन में कई बार कहा जाता है कि उनके नीचे के जितने भी सबोर्डिनेट्स हैं वे टैक्निकली क्वालिफाइड हैं और वे व्यवस्था कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी डिपार्टमेन्ट का हैड उसके लिए क्वालिफाई नहीं है और जिसके सबोर्डिनेट क्वालिफाइड हों तो वह उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्ट्रोल कर सकता है लेकिन टैक्निकल नॉलेज के अभाव से वह उनके ऊपर आश्रित रहता है और अपनी सलाह नहीं दे सकता और यही कारण है कि जब डाइरेक्टोरेट के अन्दर टैक्निकल बेसिस के ऊपर जमीन के प्रोडक्शन के बढ़ाने के बेसिस पर उनकी तरफ से कोई इनीशियेटिव नहीं लिया गया तो उसी का कारण है कि......

३.३१ म० प०

(श्री मुरलीधर व्यास, सभापति, पदासीन)

विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर भी मौन होकर बैठे हैं। यदि कोई आदमी नॉन-टैक्निकल है और उसको जाकर कोई कहे कि इस जमीन को इस प्रकार से स्पेशलाइज़ करना है और इस सीड को इस प्रकार से स्पेशलाइज़ करना है और इस प्रकार की व्यवस्था करनी है तो नॉन-टैक्निकल आदमी के सामने जाकर कोई प्रपोज़ल डिप्टी डाइरेक्टर रखता है तो नहीं समझने के कारण टर्न डाउन कर दिया जाता है। उस स्थिति में, सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि राज्य सरकार अगर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स अच्छा है तो उनको इससे भी अच्छे पद पर लगा दे, मुझे आपत्ति नहीं है, उनको तरक्की दे दें और किसी भी स्थान पर उनको रख दें लेकिन राजस्थान का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कि आज दिन इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेन्ट बन गया है कि उस डिपार्टमेन्ट का हैड किसी नॉन-टैक्निकल को बना देना किसी तरह से भी अच्छा नहीं

(श्री भैरोंसिंह)
होगा। उसके ऊपर तो टैक्निकल हैड नियुक्त किया जाना चाहिए।

कोटा के लिए एक ही नहीं बल्कि दो, तीन डिप्टी डाइरेक्टर के अलग अलग जोन बनाकर उस क्षेत्र में पब्लिक को ट्रेनिंग देने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू, जमाने के लिए और जानकारी देने के लिए कोई व्यवस्था की जाये तो वह सारी की सारी व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं इस मांग का विरोध नहीं करता। यह बिलकुल उचित मांग है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि यह मांग दो तीन वर्ष पहले आनी चाहिए थी। आज जो काम अपने हाथ में लेना चाहेंगे कि जो पानी हमारा आने वाला है, आज जो जागृति पैदा करेंगे, वह काफी है। आज डिमांड करा लेंगे और उसके पेम्फलेट बंटवा देंगे और लोगों को जाकर कह देंगे कि इस क्षेत्र में ज्वार, बाजरा बोई जायेगा। लेकिन किस बेसिस पर बोया जायेगा और इस पर कैसे डिसीज़न लिया है उसको आधारित करने के लिए कोई सामग्री नहीं होगी और केवल अपनी इच्छा से जाकर कह देंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था करनी है। एग्रीकल्चर क्लासेज के अन्दर विषय को लेकर पब्लिक ओपीनियन अराउज नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल सकेगा। मैं समझता हूँ कि इस बात के लिए हमारा डिपार्टमेन्ट दोषी है और मैं समझता हूँ कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट जो कि नॉन-टैक्निकल है और जिनकी योजनाओं के बारे में एग्रीकल्चर कान्फ्रेंस के अन्दर, जिसके अन्दर बड़े बड़े आदमी शामिल हुए हैं, उसके अन्दर भी यह डिसीजन लिया गया था कि नॉन-टैक्नीकल हैड को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हैड नहीं बनाया जाये। उस व्यू को भी अगर हम ध्यान में लायें तो इस पद पर टैक्निकल हैड ही होना चाहिए और उसके साथ ही साथ कोटा के अन्दर यदि ज्यादा से ज्यादा स्टाफ रखकर जो काम रह गया है उसको पूरा करने के लिए ज्यादा नियुक्तियां भी करने की आवश्यकता पड़े तो टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर उन्हें नियुक्त करके पब्लिक ओपीनियन अराउज करनी चाहिए और इसके लिए सबसे पहला कदम यह होगा कि जो वर्तमान हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट हैं उनको हटाकर दूसरा डिपार्टमेन्ट दे दिया जाये। मैं बाकी शिकायत नहीं करता। यह टैक्निकल हैड नहीं हैं इसलिए मजबूर होकर बात कहनी पड़ती है।

दूसरा प्रश्न नियुक्तियों का है। सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले कहा था कि नियुक्तियों का मामला इन माननीय मंत्रीजी के पोर्टफोलियो के हर विभाग में है। मैं नहीं समझता कि जब वे यहां नहीं हैं और उनकी तरफ से उत्तर देने वाले भी गोलमोल उत्तर देंगे और केवल यह कह करके निकल जायेंगे कि मैं किसी पर्टिक्यूलर क्वेश्चन का यों जवाब नहीं दे सकता। मुझे तत्काल वह जानकारी नहीं दे सकते और यदि कोई जानकारी करनी है तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन या दूसरी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं यह उचित नहीं समझता कि ऐसे अवसर पर जब कि मेरे क्वेश्चन का कोई उत्तर प्राप्त करना सम्भव नहीं है, कोई सही जानकारी नहीं मिल सकती है उस स्थिति में वे उदाहरण इस सदन के सामने प्रस्तुत करूं और उन्हें प्रस्तुत करके सदन का समय लूं। मैं यही उचित समझूंगा कि इस डिपार्टमेन्ट की जितनी भी नियुक्तियां हैं-अगली बार जब बजट अधिवेशन आयेगा तो

Page No.97

(श्री भैरोंसिंह)

उन सारी नियुक्तियों के प्रमाण–चिट्ठे कि किस प्रकार से नियुक्तियां की जाती हैं और किस प्रकार से जातिवाद को पनपाया जाता है और इस विभाग में पद प्राप्त करने के लिए जातिवाद भी एक फैक्टर बन गया है, डाइरेक्टर महोदय की जाति का कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं रहती है वह केवल एप्लीकेशन दे और नियुक्त हो जाता है। इस बात को कोई भी मंत्री महोदय या सदस्य चैलेन्ज करें तो मैं उनके सामने वह पूरी लिस्ट दे सकता हूँ कि जिसमें यह है कि उनकी जाति के कितने आदमियों को नियुक्तियां मिली हैं और उन नियुक्तियों के अन्दर जनरल प्रिन्सिपल्स को किस तरह से वाइलेट किया गया है, किस तरह से वहां सलेक्शन हुए हैं, किस तरह से प्रमोशन्स हुए हैं, यह इस प्रकार की गाथा है कि यदि उपयुक्त ढंग से उसका उत्तर दिया जाये तो उसी ढंग से कहना अच्छा होगा और उसको यों ही चलाकर यह प्रार्थना करूंगा कि कोटा के क्षेत्र के बारे में अगर पब्लिक ओपीनियन अराउज नहीं कर सकेंगे तो उस मांग को इस सेन्स में स्वीकार करें कि सरकार के ऊपर यह प्रभाव लाया जा सके जिसके कारण इस डिपार्टमेंट के हैड नॉन–टैक्निकल आदमी हैं उनको हटाया जाकर तुरन्त टैक्निकल हैंड को उसके लिए लगाया जाये और कोटा में जिस प्रकार के टैक्निकल हैन्ड्स की आवश्यकता हो–जो लोगों में उत्तेजना पैदा कर सकें–उनको तुरन्त भेजा जाये ताकि राज्य सरकार को जो इससे हानि हो सकती है उससे वह बचे।

श्री सभापति : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सभापति जी, मेरा इस पर कटौती का प्रस्ताव है वह इस प्रकार है कि:

मांग संख्या ५५, मुख्य शीर्षक ४०-कृषि में १) रु० की कटौती की जावे–धौलपुर पंचायत समिति को दिनांक २ अक्टूबर, १९५९ को कृषि विभाग का चार्ज न देने पर वादविवाद करने हेतु कि इस डिमाण्ड को जब देखा कि "१,००० रु० की प्रतीक मांग जो कि लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण की योजना के अधीन पंचायत समितियों के जरिये कार्यान्वित की जाने के लिए निम्नलिखित योजनायें जिनके लिये दिनांक २ अक्टूम्बर, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० की अवधि के लिए १४,२७ लाख रुपये का व्यय सन्निहित है–के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में अपेक्षित है।" यह मैंने देखा तो मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब यह था कि पंचायत समिति को जिस सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए राजस्थान सरकार ने लाखों रुपया खर्चा किया और सारा प्रयत्न किया उसको हमारे विभाग ने फेल करने की योजना बना रखी है विशेषकर वह विभाग जिसके ऊपर यह सारा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण हम बेस्ड करना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारा कृषि विभाग जो कि जनता के असहयोग के कारण अधिक उत्पादन में असफल है, जो कि अपने गड़बड़-घोटाले के कारण सारे राजस्थान को भूखों मारने की योजना बनाता है वह किस प्रकार से पंचायत समिति को चार्ज देने में गड़बड़ी करता है। २ अक्टूबर, १९५९ को राज्य सरकार का इस प्रकार का आदेश था कि सारे कृषि विभाग को अपनी अपनी स्थानीय पंचायत

(डॉ० बहादुरसिंह)

समिति को चार्ज देना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि धौलपुर पंचायत समिति को चार्ज बजाय २ अक्टूबर के २ नवम्बर को दिया जाता है और चार्ज की लिस्ट पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है वह २ अक्टूबर की डेट लगा कर हस्ताक्षर करता है कि मैंने चार्ज दिया। यह कहां तक उचित है? मैं इसके सम्बन्ध में यह और निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विभाग में सीड स्टोर्स हैं उनके अन्दर जांच की जाय तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि जो लोगों को गेहूँ दिया जाता है उसमें कोयले की राख मिली हुई होती है। आप ताज्जुब करेंगे कि चार्ज नहीं देने का क्या कारण था? उसके अन्दर ३, ४ बोरियों की शॉर्टेज थी। वे चाहते थे कि यदि जल्दी से चार्ज दे देंगे तो पंचायत समिति के अधिकारी जांच करेंगे। इसलिए उन्होंने चार्ज नहीं देकर स्वयं पंचायत समिति के आदेशों के अनुसार डिस्ट्रिब्यूट किया। डिस्ट्रिब्यूट किया पंचायत समिति के आदेशों के अनुसार लेकिन रखा अपने चार्ज में। कोयले की राख मिलाई तो किसान लोगों को बहुत अधिक नुकसान होगा। मेरे पास उस गेहूँ का नमूना है, वह मैं नहीं ला सका। जिस प्रकार से वहां पर सीड डिस्ट्रिब्यूट किया उससे हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि यह विभाग राजस्थान के अन्दर कृषि की उन्नति करना चाहता है।

मुझे दूसरा इसके सम्बन्ध में यह कहना है कि वह अधिकारी वहां पर नहीं है, दूसरी जगह गया हुआ है २ अक्टूबर को तब उसने किस प्रकार से पंचायत समिति को चार्ज दे दिया, और तारीख लगा दी २ अक्टूबर जब कि उस तारीख को वह वहां पर नहीं था? मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि वे उसके प्रोग्राम को देखें कि वह २ अक्टूबर को उसने चार्ज दे दिया पंचायत समिति को और था कहीं दूसरी जगह। वह धौलपुर के अन्दर था नहीं २ अक्टूबर को तो कैसे वेरीफिकेशन कर दिया और सारा चार्ज पंचायत समिति को दे दिया और हस्ताक्षर करके उस पर २ अक्टूबर की डेट लगा दी? इस प्रकार की स्थिति है। इस विभाग का ट्रेडिशन है इन बातों का। पिछली दफा भी मैंने कहा था कि मुझे मालूम है अच्छी तरह से कि इस विभाग में कितनी गड़बड़ होती है। उनमें से एक गड़-बड़ इस प्रकार की है कि वहां पर दो स्टोर होते हैं, एक सीड स्टोर और दूसरा फर्टि-लाइजर स्टोर। तो सीड स्टोर का चार्ज दिया एक महिने के बाद में और फर्टिलाइजर स्टोर का चार्ज अभी तक नहीं दिया है। उसमें एक क्वार्टर बना रखा है। पी. पी. एम. का कोई मुकद्दम होता है उसका क्वार्टर बना रखा है। आप ही बताइये कि जो फर्टि-लाइजर स्टोर है उसमें पंचायत समिति फर्टि-लाइजर स्टोर करेगी या उस स्टोर में पी. पी. एम. को स्टोर किया है।

तो इस प्रकार से इस विभाग का एक ट्रेडिशन है। कृषि विभाग से मेरा तो कम से कम बहुत ही कटु अनुभव है। मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से अधिकारी धौलपुर में जाकर गड़बड़ियां करते हैं और किस प्रकार से गंदे-जिनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ इस प्रकार के जो-तरीके हैं उनसे किस प्रकार से कृषि को फेल किया जाय, यह राष्ट्र विरोधी कार्य है वह बराबर जारी रहता है। उसी तरीके से पंचायत समिति को चार्ज नहीं देकर

(डॉ० बहादुरसिंह)

सीड के अन्दर कोयला मिलाया और किसानों को दिया। उससे होगा यह कि किसानों को जो बीज दिया गया है उससे अधिक बीज लौटाना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इस कट मोशन के द्वारा कि वे इस बात की जांच करें कि वह चार्ज २ अक्टूबर को क्यों नहीं दिया गया। उसके बाद सीड में कोयला मिलाया गया। उसका नमूना मेरे पास है वे चाहें तो दे सकता हूँ, उसके अन्दर कोयला अब भी मौजूद है। इस तरह की शिकायतें हैं उन पर इस कट-मोशन के द्वारा मैंने ध्यान आकर्षित किया है, उसकी जांच करेंगे और इस विभाग के अन्दर जो घोटाले, गड़बड़ियां और इस प्रकार की हरकतें चल रही हैं उनको दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, जो कट मोशन इस डिमान्ड पर....

श्री सभापति : श्री नाथूलाल।

श्री दामोदरलाल व्यास : आये हैं उनमें सबसे पहले श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने टीका-टिप्पणी की है डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के मुतालिक और यह बताने की कोशिश की है कि चूंकि वे टैक्निकल हैण्ड नहीं हैं और केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं इसलिए डिपार्टमेंट का काम ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं बड़े अदब के साथ बताना चाहता हूँ कि इस डिपार्टमेंट का काम ठीक नहीं चल रहा है यह उनकी जानकारी सही नहीं है। पिछले ४ वर्षों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि जो भी काम हुए हैं और जिन अफसर के लिए वे कहते हैं कि टैक्निकल हैंड नहीं हैं यह मैं खुद मानता हूँ कि वे टैक्नीकल हैण्ड नहीं और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, लेकिन जब से वे मुकर्रर हुए हैं उस डिपार्टमेंट के अन्दर बहुत कुछ काम हुआ है और उन्होंने उस डिपार्टमेंट को बहुत कुछ योग्यता से सम्हाला है और संचालन किया है और उस डिपार्टमेंट के अन्दर हर क्षेत्र के अन्दर, क्रॉप प्रोडेक्शन के अन्दर आप देखेंगे तो हमारे जो टार्गेट्स थे उनसे ज्यादा हमने हासिल किया है, और यह सारा श्रेय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को है। उनके जो डिप्टी डाइरेक्टर्स और असिस्टेन्ट डाइरेक्टर्स हैं व सारा टैक्निकल स्टाफ है और यह समझना कि चूंकि वे टेक्निकल हैण्ड नहीं हैं इसलिए उनके जो नीचे का स्टाफ है उनको हिम्मत नहीं होती है राय देने की, यह बात गलत है। मैं खुद कह सकता हूँ कि उनके डिप्टी डाइरेक्टर्स का उनमें पूरा सहयोग है। उनमें किसी प्रकार की खिलाफ राय नहीं है। जब कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हालत ठीक नहीं थी और एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करना उचित समझा गया था उसके बाद में जो कुछ काम इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किया है उससे मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही संतोष का काम उन्होंने किया है।

अब रहा सवाल यह कि चम्बल में कुछ नहीं किया। वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो मैं आपकी जानकारी के लिए अर्ज कर दूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ६ एग्रीकल्चर असिस्टेन्ट्स और ३० फील्डमैन ऑलरेडी चम्बल एरिया में एक्सटेन्सिव वर्क के लिए अपॉइन्ट कर दिये गये हैं। प्रोपे-

Page No.100

(श्री दामोदरलाल व्यास)

गेएडा के लिए एक असिस्टेन्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की भी पोस्ट सेन्कशन हो गई है जो कि लीफलेट्स तैयार करवा कर चम्बल एरिया में तकसीम करायेगा । इसके साथ साथ प्रोग्रेसिव कल्टीवेटर्स के सेमीनार की व्यवस्था की गई है, और भी कई सेमीनार्स का वहां पर इन्तजाम किया जा रहा है जिससे प्रोग्रेसिव कल्टीवेटर्स को नये जो तरीके हैं खेती के कि जिससे चम्बल के पानी को किस तरह से युटीलाइज कर सकते हैं और उस जमीन में किस किस तरह की कब कब और किस किस तरीके से काश्त करनी चाहिये वह बताने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने प्रयत्न किया है । गुजिश्ता खरीफ की फसल में बहुत से टुकड़ों में हरएक किस्म के बीज वगैरह की काश्त करके वहां वह डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की गई है । वह इससे जान सकेंगे कि उस जमीन पर आबपाशी यानि नहरी पानी आ जाने के बाद में कौन कौन सी जमीन पर किस किस तरीके से कौन कौन सी काश्त करनी चाहिये । रबी के अन्दर भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं । ये सारी बातें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज की जा रही है ।

इनके अलावा एक मैकेनाइज्ड फार्म भी चम्बल एरिया के अन्दर खोलने के लिए तैयारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है । चार फार्म १००,१०० एकड़ के उसी एरिया में १९६० और १९६१ के अन्दर खोले जायेंगे ताकि लोगों को मालूम हो सके कि चम्बल के पानी के आने पर किस किस प्रकार की क्रॉप्स किस किस तरह की जमीन पर काश्त करनी चाहिये जिससे एक्स्टेन्सिव प्रोडेक्शन हो और काश्तकारों को कुछ सिखा सकते हैं । यह सारी स्टेप चम्बल एरिया में ली गई है । यह कहना कि वहां कोई स्टेप नहीं लिया गया, वाटर युटीलाइज नहीं हो रहा है, काश्तकारों को फायदा नहीं होगा, काश्तकार समझ नहीं पाये हैं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है । जहां तक वाटर चेनल्स का सवाल है, केनाल का सवाल है वह काम भी अपने फेज प्रोग्राम के अनुसार चल रहा है । उसमें किसी बात की कमी नहीं है । उसका इर्रिगेशन डिपार्टमेंट से संबंध है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है । जहां तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का संबंध है कि वहां पर कौन कौन सी जमीन में कौन कौन सा बीज ठीक होगा इसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपने इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और उसके लिए ही आपके सामने यह डिमान्ड पेश की जा रही है ।

जहां तक सरकारी सेनाओं का सवाल है, तो सरकारी सेवाओं के लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए जितने स्ट्रिक्ट रुल्स बने हुए हैं उन रूल्स के अन्दर हर एक सर्विस को एप्रूव करवाना पड़ता है पी. एस. सी. से, इसलिए यह जो कहा गया है जातिवाद के ऊपर इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ । कोई शिकायत माननीय सदस्य को होती तो वह किसी स्पेसिफिक इन्स्टान्स को लेकर मिनिस्टर इन्चार्ज को एप्रोच कर सकते थे कि आपके विभाग में इस प्रकार का अपॉइन्टमेंट हुआ है । इस प्रकार से वेग कहते हैं कि किसी जाति के आदमी को फौरन नौकरी मिल जाति है और औरों को नहीं मिलती है वह एक हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट के प्रति न्याय नहीं है कि इस प्रकार से एलीगेशन्स लगायें जब तक कि स्पेसिफिक एलीगेशन लगा कर उसको

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सबस्टेन्शियेट नहीं कर दें। जो कुछ तकररि होती हैं वे नियमों के आधार पर होती हैं। आजकल बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। उनमें किसी प्रकार का डिस्क्रिशन नहीं है मामूली से मामूली अपॉइन्टमेंट के अन्दर भी। एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेन्ज के मार्फत नाम आते हैं और सारे रूल्स प्रेस्क्राइब्ड हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि किस तरह के रूल्स बने हुए हैं, रूल्स में कितना रेस्ट्रिक्शन है। उनमें किसी को पार्शियेलिटी करने का या किसी जाति विशेष को प्रिफरेन्स देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद में जो कटमोशन्स पेश किये गये हैं उनको वे वापिस ले लेंगे।

धौलपुर का जहां तक पंचायत समिति का प्रश्न है उसमें इस बात का एतराज किया है कि चार्ज नहीं दिया गया है, यह ठीक है कि जिस तारीख को यानि २ अक्टूबर, ५६ को हरएक पंचायत समिति के लिए आदेश जारी किये थे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जितना चार्ज ट्रान्सफर करना है वह किया जाय। लेकिन उस तारीख को जो बीज और खाद वहां पर था वह नहीं दिया जा सका क्योंकि उसका इन्चार्ज छुट्टी पर था। इसलिए नीचे का जो फील्ड इन्चार्ज था उसको हिदायत कर दी गई थी कि चार्ज दे दिया जाय। मेरी सूचना के अनुसार रबी और खरीफ के बीज और खाद बांटो जाने वाला थी, जितना था वह पंचायत समिति को दे दिया गया। अब रहा सवाल यह कि बीज खराब था, अच्छा नहीं था, यदि इसकी शिकायत करनी है तो पंचायत समिति के पास करनी चाहिये ताकि वह एक्शन ले सके फुल्ली और शिकायत डिपार्टमेंट कंसर्न्ड को कर सके। चार्ज नहीं देने का कारण यह था कि अमुक तारीख को वह छुट्टी पर गया था ...

डॉ० **बहादुर सिंह** (धौलपुर) : यदि उस दिन छुट्टी पर था तो २ अक्टूबर के दस्तखत करने की क्या जरूरत थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह इतना पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए बाद में दस्तखत कर दिये होंगे....

डॉ० **बहादुरसिंह** : फिर ऑफिसर कैसे है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फील्ड मैन के नाम एग्रीकल्चर ऑफिसर का हुक्म था कि वह चार्ज दे दे। फील्ड मैन ने जो चार्ज दिया उसको सर्टिफाई उसने किया। २ तारीख में दस्तखत करने के सर्कम्स्टान्सेज क्या हैं, यह देखना होगा, यह ग्रेव बात भी हो सकती है, सीरियस चार्ज भी हो सकता है, It may amount to forgery. लेकिन यदि वह इतना सीरियस चार्ज है तो माननीय सदस्य उसका पूरा नोटिस देते तो उसके बारे में पूरा तैयार होकर आता। यदि वे पर्टिकुलर फैक्ट को मेन्शन करते तो उनको ज्यादा सूचना मिल सकती थी और यदि किसी ने गड़बड़ी भी की है तो उसको सजा दिलाने में ज्यादा सहायता मिलती। यदि आप चाहते हैं कि किसी सरकारी ऑफिसर ने गलती की है उसे ठीक किया जाय तो चार्ज को स्पेसिफिकली मेन्शन करके मिनिस्टर–इन्चार्ज के पास

(श्री दामोदरलाल व्यास)

एडवान्स में भेजें तो अच्छी तरह से जवाब दिया जा सकता है और एक्शन लेना हो तो लिया जा सकता है।

डॉ० बहादुरसिंह : सभापति महोदय, मुझे अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५५, मुख्य शीर्षक ४०-कृषि को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अमुदान की मांग संख्या ५५, मुख्य शीर्षक ४० कृषि स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५०,

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५०, मुख्य शीर्षक २९-पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जाने-वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की धन राशि और प्रदान की जावे।

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५०, मुख्य शीर्षक २९–पुलिस स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५०, मुख्य शीर्षक २९–पुलिस स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६२, विविध।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप-मंत्री, वित्त) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ५७–विविध, के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्य-पाल महोदय को ८३, १६,०००) रु० तक की धनराशि और प्रदान की जावे।

Page No.103

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह : I move that the demand No. LXII, major head 57-Miscellaneous (item 9) be reduce by Rs. 1/ (to discuss the inadequate financial help proposed to be given to Panchayat Samitis). सभापति महोदय, मैंने इस मांग के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ......

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, हाउस में कोरम नहीं है ।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : The quorum bell should ring in the lobbies also. I did not hear the bell in the lobbies.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके अन्दर पंचायत समितियों के बनने के बाद जिस प्रकार का अनुभव हमें प्रतीत हुआ है, इसके ऊपर उसका अधिकार है, पंचायत समितियों का जब कानून बना था उस समय सदन में इस बात की मांग की गई थी कि पंचायत समितियों को जो सहायता देने का प्रावधान इस कानून में रखा जा रहा है वह काफी अपर्याप्त है। जिस समय यह कानून नहीं बना था उसके कुछ दिन पहले सदन के बाहर हमारे प्रान्त के नेताओं ने इस प्रकार की घोषणा की थी कि पंचायत समितियों को लैंड रेवेन्यू का एक चौथाई हिस्सा दिया जायगा। जनता ऐसा महसूस कर रही थी कि पंचायत समितियों के बनने के बाद हम अपने फाइनेन्सेज का खुद इन्तजाम करेंगे और इस इन्कम के अन्दर लैंड रेवेन्यू की भी इन्कम शामिल होगी, लेकिन जिस समय यह कानून बना उस समय हमारी सरकार ने विचार किया कि यदि हमने चौथाई हिस्सा लैंड रेवेन्यू का पंचायत समितियों को दे दिया तो उसका मतलब यह होगा कि ६ करोड़ की लैंड रेवेन्यू होती है उसमें से १॥ करोड़ रुपये पंचायत समितियों को देना है। हमारी सरकार की ओर से यदि १॥ करोड़ रुपये की सहायता पंचायतों को दे दी गई तो पंचायत समितियां उस सहायता के आधार पर आत्मनिर्भर हो सकती हैं और उनको एडीशनल टैक्स नहीं लगाने पड़ेंगे। इसलिये सरकार ने अपनी घोषित नीति के विपरीत, जब यह कानून बना तो उसमें यह प्रोविजन कर दिया कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार आने दिये जायेंगे।

४ म० प०

इसका मतलब है कि जहां राजस्थान में १ करोड़ ६० लाख की आबादी है, वहां पर ४० लाख रुपये की सहायता इन पंचायत समितियों को इस कानून के जरिये दिलाये जाने का प्रावधान रखा है। नीति यह थी की डेढ़ करोड़ रुपये की सहायता दी जाय और कानून यह बना दिया कि केवल ४० लाख रुपये की सहायता दी जाय। इसका

(श्री भैरोंसिंह)

मतलब यह कि १ करोड़ १० लाख रुपये की जो पंचायत समितियों को सहायता मिलनी चाहिए थी, वह कानून के द्वारा नहीं मिल सकेगी। मैंने जो अपना कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसके द्वारा भी आज कोई सरकार उनको ज्यादा फाइनेन्शियल एड दे सकेगी, यह सम्भव नहीं है लेकिन सरकार यदि इस बात को स्वीकार कर ले तो उस कानन के अन्दर हमें अमुक प्रकार का संशोधन लाना पड़ेगा, जिस संशोधन के द्वारा लैंड रेवेन्यू का चौथाई हिस्सा मिल जाय। सभापति महोदय, पंचायत समितियों का कार्य जब चालू हुआ तो कार्य चालू होने के बाद कार्यकर्ताओं को कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि सरकार ने हमारे हाथ में सत्ता अवश्य दी है, थोड़ी दी है या अधिक दी है, यह एक अलग से विवाद का प्रश्न है लेकिन हमारे हाथ में सत्ता आई है, अब इस सत्ता का उपयोग किस प्रकार से हो सकेगा यह उन चुने हुए लोगों के ऊपर छोड़ दिया है, जिनके हाथ में सत्ता आई है। अब सत्ता का सम्बन्ध अर्थ से आता है, हमने उनके हाथ में स्कूल्स दिये हमने उनके हाथ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, के विलेज लेवल पर काम करने वाले हैं, उस प्रकार के व्यक्ति दिये, जितने भी छोटे कर्मचारी, उस विलेज लेवल पर काम करने वाले हैं, वे उनके हाथ में दिये, सरकारी काम और सरकारी संस्थायें हमने पंचायत समिति के अधिकार में दे दीं और पंचायत समिति के अधिकार में देने के साथ साथ यह निर्णय ले लिया कि इन सब की लाइबिलिटी भी पंचायत समिति पर होगी। अब मैं यह समझ नहीं पाया हूँ कि जो हमने सत्ता दी है और उस सत्ता के साथ साथ जो लाइबिलिटीज ट्रान्सफर की हैं, उन लाइबिलिटीज के प्रपोर्शन के अन्दर जो उनको फिक्स देना चाहते हैं वह पर्याप्त है या नहीं। राजस्थान की किसी भी पंचायत समिति के फाइनेन्शियल रिसोर्सेज को केलकुलेट करके देख लीजिये, उसके साथ ही जो लाइबिलिटीज को ट्रान्सफर किया गया है, उनके ऊपर जो रेकरिंग एक्सपेन्डीचर होगा, उसको कैलकुलेट करके देख लीजिये, फिर देखा जाय कि पंचायत समिति माइनस में रहती हैं या सरप्लस में। मैं कह सकता हूँ माइनस या सरप्लस का क्वेश्चन नहीं होगा, वे इतनी माइनस में रहती हैं कि इस अमाउन्ट को डबल कर दिया जाय तो उनके ऊपर जो फाइनेन्शियल लाइबिलिटी आने वाली हैं, वे उसको मीट-आउट नहीं कर सकते। अब इसके कारण से एक अजीब प्रकार की भ्रांति गांवों में बनी है, जो पंच, सरपंच चुनकर काम करने की आदत बना रहे हैं, उनके सामने एक कल्पना एक भविष्य का डर, भ्रांति के रूप में खड़ा है। वे ऐसा समझने लग गये हैं कि सरकार की इनएडीकेट हैल्प फाइनेन्शियल लाइबिलिटीज हैं, उनको पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। इसका मतलब है कि हमें कुछ टैक्सेज लगाने पड़ेंगे। सरकार ने एक मोटा सिद्धान्त हमारे सामने रख दिया कि अपने गांवों का विकास करना है तो गांव के लोगों के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा और उससे जो पूंजी इकट्ठी होती है, उसके अन्दर सरकारी सहायता मिला कर, अगर सरकार से मिल जाय, उससे काम को पूरा करना होगा। बात बिल्कुल सही है और देखने में सुन्दर भी लगती है लेकिन प्रत्यक्ष में जब उसको कार्य रूप दिया जायेगा तब पता लगेगा कि आज के डवेलपमेंट रिसोर्सेज और डवलपमेंट के

(श्री भैरोंसिंह)

काम के लिए जो पैसा मिलता है, उस पैसे का कितना हिस्सा हमको किस रूप के अन्दर पंचायत समिति के अन्दर मिलेगा। गांव के विकास का काम गांव के लोगों के ऊपर छोड़ने का मतलब यह है कि गांव वाले टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा करें, उसके कारण से ऐसी धारणा बनती जा रही है कि हमने जो सत्ता लोगों को दी है, वह वास्तव में सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं है बल्कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में जो फाइनेन्शियल लाइबिलिटीज गवर्नमेंट के ऊपर आने वाली हैं, उन लाइबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सत्ता को माध्यम बना कर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। जनता आज टैक्स के नाम से घबराती है, जनता ऐसा महसूस करने लग गई है कि उनकी जो फाइनेन्शियल पोजीशन है, जितनी उनकी इन्कम है, उसके अनुपात के अन्दर लोगों के ऊपर जितना टैक्स आयद होना चाहिए, उससे ज्यादा टैक्स इम्पोज करते जा रहे हैं। हर साल राजस्थान के बजट में, भारत सरकार के बजट में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर लादा जा रहा है। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने आ रही है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमें काफी धन की आवश्यकता पड़ेगी, वह धन आयेगा कहां से? कौन देगा वह धन? अब धन यदि जनता से एकत्रित किया जाता है तो जनता निश्चित रूप से कहेगी कि अमुक प्रकार का टैक्स नहीं दे सकते, टैक्स देने की सामर्थ्य नहीं है, हमारी इन्कम के सोर्सेज लिमिटेड हैं और इसके अन्दर से हम अपने जीवन यापन के लिए जो कुछ बचा सकते हैं, उसके बावजूद भी किसी प्रकार के टैक्स के लिए सरप्लस मनी नहीं रख सकते, इसलिए टैक्स अदा नहीं कर सकते। उस स्थिति में योजना के नाम पर, पैसा इकट्ठा किया जाय, चाहे विकास के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जाय, इस बात की सम्भावना हमारे सामने हो सकती है कि जनता इन टैक्स का विरोध करके कहीं ऐसी स्थिति न लाये कि योजना के अन्दर आज जिस प्रकार की धारणा है, वह चली जाय। इसलिए सरकार ने देखा कि सत्ता को माध्यम बनाया जाय, इसके माध्यम से लोगों पर फाइनेन्शियल लाइबिलिटीज लादी जायं फाइव ईअर प्लान के टार्गेट, गाँव के विकास निर्धारित होने की इस प्रकार की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ सकती है, सरकार पिलोसैज के ऊपर रेस्पोन्सिबिलिटी आयद की जा सकती है, वह सारी सत्ता के विकेन्द्रीकरण के नाम पर गांव वालों पर छोड़ दी और यह कह दिया कि जो टीचर हैं, जो वैद्य हैं इनकी नियुक्ति का अधिकार दे दिया, इनके ट्रान्सफर का अधिकार दे दिया, कॉन्फीडेन्शियल रोल लिखने का अधिकार दे दिया, बी. डी. ओ. को निकालना चाहें, तो बहुमत से निकालने का अधिकार दे दिया, इस प्रकार की स्थिति में लाकर पटक दिया कि इसके साथ साथ लाइबिलिटी भी स्वीकार करें। इसके साथ अब जैसा कुछ दिनों में देखेंगे कि जब पंचायत समितियों के पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा रेकरिंग एक्सपेन्डीचर में खत्म हो जायगा, लोगों की तनख्वाह देने में खत्म हो जायगा, तब वे कहेंगी कि विकास के कार्य के लिए पैसा नहीं है, सरकार से जो विकास के लिए पैसा आता है, वह इतना लिमिटेड है कि उससे सारे क्षेत्र का विकास काम हो नहीं सकता। फिर एक ही तरीका रहेगा लोगों पर टैक्स लगाये। अब मैं सभापति महोदय, गांवों में यदि टैक्स लगाने

(श्री भैरोंसिंह)

की स्थिति आती है, गांवों में टैक्सेज लगाये जाते हैं, जिस प्रकार सरकार ने कानून बनाया, उसके अन्दर मैं समझता हूँ कि २६, २७ तरह के टैक्सेज लगाने की व्यवस्था कर दी, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचता हैं, जिसके अन्दर टैक्स आयद नहीं किया जा सके। पंचायत समिति, जो टैक्स चाहे, वह टैक्स आयद कर सकती है। इस स्थिति के अन्दर आज पंचायत समिति, जिनके लिए कहना चाहिए कि उनका बचपन है, इसके अन्दर इस डिसेन्ट्रलाइज्ड व्यवस्था के प्रति हम लोगों के अन्दर अच्छी प्रकार की धारणायें निर्माण करनी है, हमें इस डिसेन्ट्रलाइजेशन के सारे इश्यू को सक्सेसफुल बनाना है, लोगों में जो इस इश्यू को लेकर भ्रांति पैदा हो सकती है, उनको दूर करना है, तो वे भ्रांति जब ही दूर हो सकती हैं, जब लोगों को पंचायत समिति के पीछे कोई फाइनेन्शियल डेंजर नजर नहीं आता हो और यह उस समय नजर नहीं आ सकता, जब उनकी जानकारी में पंचायत समिति की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो कि उन पर विशेष कर भार न आये हुए सारी स्थिति की व्यवस्था पंचायत कर सकती है। लेकिन आज लोगों में विपरीत धारणा बनती जा रही है कि सारा पैसा रख लिया अपने पास और सत्ता दे दी जनता के हाथ में और उसके साथ टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया। तो सत्ता का उपयोग करने के लिए पंचायत समितियों को लाजमी तौर पर टैक्स लगाने पड़ेंगे। सरकार एक तरफ कहती है हम भी स्वीकार करते हैं, सरकार के कई पत्र, भारत में निकलने वाले, इकोनॉमिक रिव्यू जैसे पत्र से पता लगता है कि लोगों का इकोनॉमिक स्टेन्डर्ड कितना ऊंचा है, कितना टैक्स लोगों ने दिया है, कितना टैक्स देने की स्थिति है, इसके बारे में आंकड़े तैयार किये जाते हैं, उन आंकड़ों के सामने भारत सरकार झुकती है, राजस्थान सरकार भी झुकती है और दबी जबान में स्वीकार करती है कि और टैक्स लगाने की सामर्थ्य नहीं रखी है। तो कहने को यह कह दिया जाता है कि भाखरा से इतनी पैदावार हो जायगी, चम्बल से इतनी पैदावार हो जायगी, विकास कार्य चालू कर दिये हैं, इतना एरिया उससे सिंचित हो जायगा, इतना अनाज पैदा हो जायगा लेकिन वास्तव में होता नहीं है। जो टार्गेट्स राजस्थान सरकार पूरा करना चाहती है, वे नहीं होते हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए जनता पर टैक्स इम्पोज करती है अभी वह स्थिति नहीं है, पर इस प्रकार की स्थिति आने वाली है। पंचायत समितियों के कार्यकर्ता, प्रधान महसूस करने लग गये हैं कि आज हम चाहे जीपों में बैठ कर गुलछर्रे उड़ायें, विकास कार्यों के लिये पैसा मंजूर करें पर जिस समय पैसा खत्म हो जायगा फिर आयेगा कहां से। यह समस्या आज हर एक पंचायत समिति के सामने आ रही है। तो जो सत्ता हम जनता को देना चाहते हैं, उस सत्ता का ये चुने हुए पंच, सरपंच प्रधान दुरुपयोग नहीं करेंगे, पर सरकार उन्हें मजबूर कर रही है कि वे जनता पर टैक्स लागू करें और इन अधिकारों का दुरुपयोग करें। आज जनता पहले से ही टैक्स के भार से दबी हुई है: आज वह इस स्थिति में नहीं है कि टैक्स दे, जनता टैक्स देने के लायक नहीं है। पर अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिये टैक्स लगाते रहे तो इससे मतभेद पैदा होगा और जिस डीसेंट्रलाइजेशन की सरकार व्यवस्था लाना चाहती है वह व्यवस्था नहीं आ सकेगी।

(श्री भैरोंसिंह)

टैक्सेज के कारण लोगों में घोर असंतोष पैदा होगा और जगह जगह आन्दोलन फैलेंगे ।

मैं टैक्स इम्पोज करने का विरोध नहीं करता पर अगर फाइनेन्शियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करने के लिये टैक्सेज का ही तरीका रखा तो आज नहीं तो अगले साल आप देखेंगे कि गांवों की जनता इस बात का विरोध करेगी और आन्दोलन करेगी । आज जनता को अनेक प्रकार के टैक्सेज चुकाने पड़ते हैं; उसको लैंड रेवेन्यू का टैक्स चुकाना पड़ता है, कृषि आय कर, भारत सरकार के इन्डायरेक्ट टैक्सेज और राजस्थान सरकार के कई टैक्सेज चुकाने पड़ते हैं, और कई प्रकार की विपत्तियां हैं उनमें उनका पैसा खर्च हो जाता है । इसके बाद जो कुछ बचता है उसको लेने के लिये पंचायत समितियां, सरपंच, पंच प्रस्ताव ला कर टैक्स वसूल करने की कोशिश करते हैं तो लोगों में घोर असंतोष पैदा होगा और जनता सब जगह आन्दोलन करेगी ।

आज हमें देखने को मिलता है कि म्युनिसिपैलिटी कोई टैक्स इम्पोज करती है तो उनका जनता विरोध करती है पर आखिर में उन टैक्सेज को स्वीकार भी कर लेती है । पर पंचायतों में जो टैक्सेज पंचायतें इम्पोज करती हैं उन टैक्सेज का वहां के लोग घोर विरोध करते हैं, इनके विरोध में कई जगह जहां भी इस प्रकार के टैक्सेज लगाये गये जनता ने आन्दोलन किये हैं और इस प्रकार के आन्दोलन सफल हुए हैं । इसका कारण यह है कि गांवों में एग्रीकल्चरिस्ट्स होते हैं, पंच, सरपंच इन्हीं लोगों के चुने हुए हैं, वहां के लोग विरोध करते है तो वे पंच, सरपंच उन्हीं लोगों के बीच में रहने वाले उन्हीं लोगों के चुने हुए होते हैं इसलिये उन्हें इस प्रकार के टैक्सेज को वापिस लेना पड़ा है । इस सबका नतीजा हमें यह देखने को मिलता है कि आज कई जगह पंचायतों के ताले लगे हुए हैं, वहां किसी प्रकार की फ़ाइल मेन्टेन नहीं की जाती और न किसी प्रकार की कार्यवाही की जाती है । वे लोग कहते हैं कि हमारे यहां तो रामराज्य है, न मुकदमें बनते हैं और न किसी प्रकार के टैक्सेज ही लगाते हैं । हम किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाते ।

यदि इस प्रकार की स्थिति पंचायत समितियों में पैदा करना चाहते हैं तो फाइनेन्शियल रिसोर्सेज के लिये इस प्रकार के टैक्स लगा सकते हैं । यदि आप यह चाहते हैं कि पंचायतें, पंचायत समितियां इस प्रकार की सत्ता का इस तरह से उपयोग करें कि जनता के लिये और सरकार के लिये, दोनों के लिये लाभप्रद हो तो सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा । फाइनेन्शियल रिसोर्सेज जो पंचायत समितियों में बांटे हैं, इनके लिये मैं यह नहीं कहता कि नहीं बांटने चाहिये पर सरकार इस बात को स्वीकार कर ले कि लैंड रेवेन्यू की जितनी भी इन्कम आती है—मैं तो वन फोर्थ के लिये नहीं कहता—जितनी लैंड रेवेन्यू की इन्कम है वह पूरी की पूरी इन्कम सरकार पंचायत समितियों के अधिकार में दे दे, उसको खर्च करने की जिम्मेदारी, उस इन्कम के ऊपर मालिकाना अधिकार पंचायत समिति का होना चाहिये । और तभी समझना चाहिये कि डीसेंट्रलाइ-

(श्री भैरोंसिंह)
जेशन का जन-मानस उपयोग कर सकेगा और जनता पंचायत समितियों के द्वारा सरकार के कामों में भाग लेगी। और जिस व्यवस्था को सरकार लाना चाहती है, अमली रूप में, सही रूप में ला सकेगी।

इसलिये आज तक के जो प्रावधान थे वे अपर्याप्त थे। मन्त्री महोदय यह कह कर निकल गये कि एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान था। बिल में, एक्ट में चाहे इस प्रकार का प्रावधान रखा हो, पर यदि वास्तव में पंचायत समितियों को फाइनेन्शियल हैल्प देने की सरकार की मंशा है तो इस प्रकार का संशोधन एक्ट में लाया जा सकता है कि लैंड रेवेन्यू की सारी इन्कम पंचायत समितियों को दी जाय। ताकि प्रारम्भिक काल में पंचायत समितियां एस्टेब्लिश हो जायं और महसूस करने लगें कि हमें हमारे काम में किसी तरह से कामयाबी हासिल करना है। यह सारी स्थिति उसी समय बन सकती है जब कि उनको लैंड रेवेन्यू का सारा पैसा दिया जाय और उस पैसे का वे उपयोग कर सकें।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल। आपके ३ कटौती प्रस्ताव हैं तीनों साथ पेश कर दें।

श्री भैरोंसिंह : एक मेरा और है साहब।

श्री सभापति : बोल दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : [That the Demand No. LXII, Major Head 57 Miscellaneous (item 6) be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Public Relations Department to prepare timely and correct accounts of the expenditure incurred on Exhibitions]

सभापति महोदय, आज सुबह सुबह जब ये डिमान्ड्स मैंने देखीं, डिमान्ड्स के प्रोपोजल्स देखे तो उनके साथ साथ एक दैनिक समाचारपत्र भी पढ़ने को मिला।

श्री चन्दमल वैद (सरदारशहर) : उन डिमान्ड्स के साथ सर्कुलेट हुआ था ?

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : नहीं एक ही आदमी लाया था, ऐसी बात नहीं है। एक ने कट-मोशन्स दिये और दूसरे ने समाचार पत्र दिया। उस समाचार पत्र में लिखा था कि एग्जीबिशन की कैशबुक पकड़ी गई तो, मुझे ऐसा लगा कि एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट की हिम्मत कैसे हुई ? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की कैशबुक पकड़ ली जाय, यह राजस्थान की एक अनहोनी घटना है। यदि इस डिपार्टमेंट की कैश बुक गिरफ्तार करना चाहिये था और जब्त करना आवश्यक था तो यह आज की बात नहीं किसी भी एग्जीबिशन के समय इसे गिरफ्तार किया जा सकता था और जो लोग जिम्मेदार थे उनका प्रोसीक्युशन किया जा सकता था। तो मैंने समझा कि वास्तव में अब कुछ परिवर्तन हुआ है। किसी सेंस में परिवर्तन हुआ है, यह मैं नहीं कह सकता पर ऐसा अनुमान लगता है कि हमारी सरकार ने स्ट्रंग एक्शन लेने की नीयत बनाई है। और यह नीयत इसलिये बनाई है कि एक एग्जीबिशन का हिसाब साफ नहीं हुआ उससे पहले दूसरी एग्जीबिशन, दूसरी एग्जीबिशन का हिसाब साफ नहीं हुआ उसके पहले तीसरी एग्जीबिशन की तैयारी, तीसरी एग्जीबिशन का हिसाब साफ नहीं हुआ उससे पहले चौथी एग्जीबिशन की मंजूरी....

श्री चन्दनमल वैद : और फिर पांचवीं एग्जीबिशन हिसाब की हो जायेगी।

(हंसी)

(श्री भैरोंसिंह)

और हैड आफ दी डिपार्टमेंट ने १०,००० की मंजूरी दी है तो ३०,००० खर्च कर दिया जाये। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट इस बात की साक्षी है। पर एग्जीबिशन्स के साथ रियायत बरती जाती है–एक इस तरह का विभाग है जिसकी आलोचना करना ठीक नहीं। आलोचना नहीं की जाय तो भी ठीक नहीं पब्लिक से इसका संपर्क है और इसका नाम जन संपर्क कार्यालय है। यह जनता से संपर्क करने वाला किस स्थिति में होगा। यदि इस प्रकार का पब्लिक से यह विभाग संपर्क करेगा तो मैं यह कहूँगा कि पब्लिक का क्या हित होगा और क्या हाल होगा। अगर १९५९ में एग्जीबिशन हो और उसका अकाउन्ट १९५९ में तैयार किया जावे-१९५८ में एग्जीबिशन में १० हजार की धनराशि की स्वीकृति मिले और उसके एवज़ में ३० हजार वह खर्च करता है; यदि यह विभाग इस प्रकार से जनता के साथ संपर्क करेगा तो मैं यह निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि यह हम सब के लिए घातक होगा। इसलिये ऐसी स्थिति में इसको जन संपर्क कार्यालय न कह कर इनको इस प्रकार से जन संपर्क विच्छेद का ही नाम देना चाहिये। जन संपर्क का अर्थ यह है कि सरकार की विशेज को पब्लिक के सामने लाए और लोगों को समझाए मगर यहां एक बिल्कुल अजीब वातावरण हम पाते हैं।

सभापति महोदय, मैं कहूँ कि इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने इसमें हुए घोटालों के मामलों में फैक्ट स रखे हैं और प्रमाण प्रस्तुत किये हैं और मांग की और सरकार उन प्रमाणों की आवश्यकता समझे तो वे फैक्ट प्रमाणों द्वारा साबित किये जा सकते हैं और सरकार की तरफ से उसका उत्तर आता है और वह ऐसा उत्तर आता है जिससे सदन में जिस व्यक्ति ने फैक्ट रखे हैं वह उस उत्तर को सुन कर महसूस करता है कि शिकायत किससे की जाती है ? शिकायत को सुननेवाला तो कोई है या नहीं और जब कोई सुनने वाला नहीं तो उसका जिक्र करने से फायदा क्या। आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज आप विधान सभा की रिपोर्ट और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को उठा कर देखें तो जितनी अनियमितताओं के लिये इस विभाग की आलोचना की गई शायद उतनी किसी और विभाग की नहीं। जितनी खामियां इस विभाग की बतलाई गई है किसी की आपको नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ कि माननीय गृह मंत्री ने हाउस में इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे फाइनेन्स अकाउन्ट्स के रूल्स हैं उसके against if anybody commits an irregularity तो उनके खिलाफ इन्क्वायरी शुरू कर दी जाती है। लेकिन अगर इस मामले में माननीय गृह मंत्रीजी से पूछा जावे कि इस प्रकार का एक्सेप्शन इनके लिये क्यों किया जाता है - कानून तो सब के लिये एक सा है फिर इस डिपार्टमेंट के ऊपर अकोउन्ट्स के मामले में इर्रेगुलेरिटी की जाती है तो इनकी शिकायत क्यों नहीं सुनी जाती। अगर कोई इसके खिलाफ शिकायत करता है तो उस शिकायत की कोई वकत नहीं है न कोई उनके खिलाफ स्ट्रोंग ऑर्डर दिया जाता है न कोई शिकायत की सुनवाई होती है। तो फिर यह शिकायत क्या ? इसके लिये मैं समझता हूँ कि दो ही आदमी जिम्मेदार हो सकते हैं, या तो माननीय गृह मंत्री या संचालक। मैं समझता हूँ कि संचालक तो सबोर्डिनेट हैं। मैं समझता हूँ कि

(श्री भैरोंसिंह)

डाइरेक्टर की जिम्मेदारी गड़बड़ियों की जाने पर डाली जाती है क्योंकि गलतियें उन्होंने की हैं लेकिन इन गलती को छुपाने की गलती हमारे प्रान्त के गृह मंत्री ने की है। अगर गृह मंत्री इन बुराइयों को रोकने का प्रयत्न करते तो रुक सकती थी। कौन सा ऐसा एग्जीबीशन का अकोउन्ट है जिनके लिये यह कर सकते हैं कि यह रूल्स के अनुसार मेन्टेन किया गया। जिस प्रकार अकोउन्ट्स मेंटेन होना चाहिये मेन्टेन नहो हुआ है। यहां तोइस प्रकार की हालत हो गई कि गृह सचिव जब लिख कर भेजते हैं कि अकोउन्ट्स भेजो तो कहा जाता है कि बराबर भेज रहे हैं मगर अकोउन्ट नहीं भेजते। जब स्पेशल ऑफिसर को मुकर्रर किया जाता है और भेजते हैं तो कहा जाता है फाइल्स देख लें। फाइल्स नहीं मिलती। डाइरेक्टर कहता है कि फाइल्स नहीं मिलती। डाइरेक्टर कहता है कि फाइल्स नहीं मिलती कई दूसरे कागजों में शामिल गई है, दूसरे कागजों में मिल गई है। मैं समझता हूँ कि यदि इस विभाग की यही स्थिति रही और इसके साथ इस प्रकार का फेवरिटिज्म माननीय मंत्री गृह मंत्री महोदय की तरफ से होता रहा तो भलेही वे इसको अच्छा समझें मगर सदन इसको अच्छा नहीं समझेगा और दिनों दिन उनकी प्रतिष्ठा में कमी आवेगी। इसको दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि वे इस चिन्ता को छोड़ें कि अगर वे उसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो डाइरेक्टर उनसे नाराज हो जावेगा और उनके भाषण, उद्घाटन और उनके फोटो किसी समय के नहीं छापेगा और पत्रों में नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि पत्रों में उद्घाटन, भाषाणों और फोटोज का आना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि इस प्रकार की अकाउन्ट्स में होने वाली सभी गड़बड़ियों को रोका जाना।

अभी अभी जो एग्जिबिशन चल रही है, मैं गया देखने। मैं इस समय उसका कोई जिक्र नहीं करता हूं लेकिन लोगों ने उस स्थान पर मुझे जानकारी दी कि किस प्रकार से अकोउन्ट्स मेन्टेन किये जाते हैं। किस प्रकार स्टाल लोगों को बताये गये हैं। अगर आप उनके सारे प्रोसीजर को देखें तो, टेन्डर इन्वाइट हुए उनको देखें तो आपको चैक करने पर पता लगेगा कि वे सारी बातें जो पिछली बार हुई और जो वर्षों से होती आ रही हैं वे आज प्रत्यक्ष रूप में आपको मिलेगी। मैं नहीं कहता कि कौन कौन सी चीजें कैश बुक को जब्त करने से मिलेगी। आज तक जितने एग्जिबिशन्स हुए हैं उन सबकी इन्क्वायरी करके जो दोषी व्यक्ति हो उसको दण्ड दिया जाना चाहिये। मगर ऐसा नहीं होता। यहां तो एक के बाद दूसरी एग्जिबिशन और दूसरे के बाद तीसरी एग्जिबिशन फिर यहां पर यह डिमान्ड किस बात की है। चार एग्जिबिशन्स हुए हैं :

(१) राजस्थान प्रदर्शनी।

(२) कृषि मेला।

(३) नागौर प्रदर्शनी।

(४) बंगाल प्रदर्शनी।

(५) कलकत्ता प्रदर्शनी और अन्य।

इन सब के खर्चे का विवरण हमारी सरकार इस सदन में पहले पेश कर दे और उसके बाद सरकार को कुछ खर्चा अधिक हुआ उसके बारे में स्वीकृति प्राप्त करनी

Page No.111

(श्री भैरोंसिंह)

चाहिये । सबसे पहले सरकार यह बतावे कि कितना खर्चा स्वीकृत था और उससे अधिक खर्चा किया गया तो किसकी जिम्मेदारी पर किया गया । आज मैं मान सकता हूँ कि होम मिनिस्टर ने उसको करने की स्वीकृति दी हो और टेलीफोन द्वारा या टेलीग्राम द्वारा यह स्वीकृति प्राप्त की गई हो मगर इसका भी तो रेकार्ड मेन्टेन किया जाता है जिससे यह पता चले कि इतना खर्चा स्वीकृत था और इससे ज्यादा खर्चा करते तो फलां दिन टेलीग्राम से या टेलीफोन से सरकार से स्वीकृति प्राप्त की । मैं माननीय गृह मंत्री से इस सारी मांग के बारे में तीन प्रश्न पूछना चाहूँगा ।एक कि जितनी भी प्रदर्शनियां हुई हैं उनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा कितनी धन राशि प्रारम्भ में एस्टीमेट की गई और वास्तव में कितना खर्चा हुआ और उसके अकॉउन्ट्स जिस प्रकार से मेन्टेन किये जाने चाहिये किये गये या नहीं और जिस जिस समय में पेश करने चाहिये पेश किये गये या नहीं ? यदि यह सारी चीज नहीं होती है तो हम इसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं । यदि कोई समय पर अपना हिसाब पेश नहीं करे और गलत वाउचरों को तस्दीक करा कर पेश कर दे और फिर उस खर्चे पर विधान सभा की मोहर लगा दी जावे तो मैं यह कहूँगा कि यह गलत है । माननीय गृह मंत्री को चाहिये कि वे एक्सप्लेन करते कि किसकी गलती हुई है । जब हम सप्लीमेंटरी ग्रान्ट की मांग करते हैं तो हमारी सरकार को जितने भी फेक्टस हैं हमारे सामने रखे जाने चाहिये—रखने चाहिये और फैक्ट को छुपाते नहीं हैं ।

मगर डाइरेक्टर आज भी सरकार को किसी भी प्रकार की रिकमन्डेशन करता है तो वह हमारे माननीय गृह मंत्री के लिये वाजिब है । यदि वह यह लिखे कि फलां एडवर्टाइजमेन्ट पत्र की १७००० प्रतियां राजस्थान से निकलती हैं । ८ हजार का कोई पत्र क्लेम करे तो लिखते हैं कि इनको एडवर्टाइजमेंट मिलना चाहिये । सभापति महोदय , नवयुग के पत्र को इस प्रकार ८ हजार का एडवर्टाइजमेंट दे दिया जाता है और दूसरे पत्रों को नहीं दिया जाता ।

भले ही दूसरे अच्छे पत्र संख्या में ज्यादा निकलते हों मगर उनको छोड़ दिया जा सकता हैं । यह कहा जा सकता है कि एक पत्र तो सरकारी राजपत्र निकलता है और गवर्नमेंट गजट है और दूसरा पत्र सरकारी नवयुग है। इसमे कोई फर्क नहीं । मगर नवयुग को लिखते हैं-हिन्दी डेली पेपर प्राइवेट-मगर है गजट दो । जिसको हैल्प—डाइरेक्टर कोई भी गड़बड़ी करता रहे—देने का कोई अधिकार नहीं मगर दी जाती है । उसकी चिन्ता नहीं । वह अपने अधिकारों से भी आगे बढ़ जावे उसकी कोई चिन्ता नहीं । मैंने सुना है कि उन्होंने कई बार इस प्रकार की सिफारिश की है कि इस पत्र की, व्यवस्थापक के नाम पर सिफारिश की है कि इतना सर्कुलेशन है, इनका इतना कागज खर्च होता है इसलिये इतना कागज का इम्पोर्ट लाइसेन्स दिया जावे । मगर जितने कागज का लाइसेन्स दिया जाता है उतना कागज राजस्थान में पहुंचता नहीं। नवयुग को वैसे ही ८५% न्यूजपर्सेन्ट प्रिन्ट उसको मिलता है । मगर बम्बई से राजस्थान में पहुंचता है या नहीं । जितना क्लेम करते हैं , ८० पर्सेन्ट या ८५ पर्सेन्ट न्यूज प्रन्ट मिलता है ।

(श्री भैरोंसिंह)

और बाकी के पत्रों को नेपा का लाइसेन्स मिलता है। राजस्थान में ही यदि कोई देखना चाहे तो वह नवयुग की फाइल बना ले, एक वर्ष में इम्पोर्टेन्ट न्यूज प्रिन्ट का एक कागज भी देखने को नहीं मिलेगा। सरकार को और डाइरेक्टर को, जिसने कि इसकी सिफारिश की है, देखना चाहिये कि जिस इम्पोर्टेड कागज़ के लिए सिफारिश की गई वह राजस्थान में पहुंचना चाहिये था वह पहुंचा या नहीं। या यों ही सिफारिश कर दी जाती है। डाइरेक्टर नहीं देखता है तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये था। लेकिन सभापति महोदय, डाइरेक्टर साहब हमारी सरकार के कृपा पात्र हैं और उन पर इसके लिए कोई लान्छन नहीं आ सकता है। दुनिया कहती है कि सिफारिश की जाती है डाइरेक्टर के द्वारा, कागज का इम्पोर्ट किया या नहीं...

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री): How is it relevant to this demand ?

श्री भैरोंसिंह : रिलेवेन्ट यूं है....

श्री रामकिशोर व्यास : मैं तो चैक नहीं करना चाहता था।

श्री भैरोंसिंह : यह बात सही है कि मांग की जो सीमा है यदि उसको वास्तव में कड़ाई के साथ देखा जाय तो शायद यह उसकी स्पिरिट से बाहर हो जाय लेकिन टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर सम्बन्धित पत्र माननीय गृहमंत्रीजी के समक्ष प्रस्तुत किया जाय....

श्री रामकिशोर व्यास : ना मैंने नहीं किया है। खयाल दिलाया था।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस बात की खुशी है कि खयाल दिलाया मेरा, तो मैं ऐसा समझूं कि उनको इस सम्बन्ध में और भी इन्फोर्मेशन चाहिये....

श्री रामकिशोर व्यास : You can give it

श्री भैरोंसिंह : मैंने यह इसलिए आपके खयाल में लाया कि इनसे प्रान्त की बदनामी हो सकती है। यह सरकार का मुख्य पत्र है, इसको इम्पोर्ट लाइसेन्स न्यूज प्रिन्ट का दिया गया है, डाइरेक्टर साहब की सिफारिश है इसमें, कागज इम्पोर्ट होकर जयपुर में आना चाहिये था। लेकिन जयपुर में कागज़ पहुंचता नहीं है, लोग चर्चा करते हैं कि यह कागज बम्बई में ब्लेक मार्केट में बिकता है। डाइरेक्टर के सामने यह बात आ जाय तो वे कोई एक्शन न लें, सरकार भी इस पर कोई एक्शन न ले तो इस बात की फिर लोगों में चर्चा हुए बिना नहीं रह सकती है कि डाइरेक्टर की देख रेख में यह बात है, उसके द्वारा सिफारिश की गई है और चूंकि डाइरेक्टर के ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती इसलिए कि वे माननीय गृह मंत्रीजी के कृपापात्र हैं। सरकार की डाइरेक्टर पर कृपा है। ये दो बातें मैंने आपको बतायीं कि किस तरह एडजस्टमेंट होता है, न्यूज प्रिन्ट का सारा मामला किस प्रकार चलता है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो केटेगोरिकल बातें मैंने माननीय गृह मंत्रीजी के समक्ष प्रस्तुत की हैं वे उनका उत्तर देंगे और साथ-साथ यह भी बतायेंगे कि इस सदन ने प्रश्नों के द्वारा भी

(श्री भैरोंसिंह)

माननीय गृहमंत्रीजी से यह जानकारी चाही थी कि हमारे इस विभाग के डाइरेक्टर ने अनधिकृत रूप से कैश बुक में बिना एन्ट्री किये कुछ रकम निकाल ली है–१५ हजार रुपये को रकम निकाल ली–कुछ कमी बेशी इस अंक में हो सकती है, उनका क्या हुआ? १६५७ की एग्जीबिशन जो यहां जयपुर में हुई थी उसके अकाउन्ट्स देर से पेश हुए और जिनके बारे में सदन में माननीय गृह मंत्रीजी ने यह एश्योरेन्स दिलाया था कि सरकार की ओर से इसकी जांच की जा रही है और इस विषय में सरकार कड़ा कदम उठायगी। वह सरकार का कड़ा कदम अभी तक कड़ा ही है या कोई इस विषय में कार्यवाही भी की गई है? एग्जीबिशन के जितने अकाउन्ट्स हैं उनमें अनधिकृत रूप से खर्चा हुआ है, समय समय पर वाउचर्स नहीं मिले और वे किस प्रकार से बनाये गये और उनका किस प्रकार से वेरीफिकेशन हुआ। हिसाब जितने पेश किये गये वे डाइरेक्टर ने पेश किये या किसी दूसरे अधिकारी ने भी उनकी जांच की? यदि इस सम्बन्ध में जांच करने के बाद उनको संतोष हो जाय, चाहे संतोष उनको हो सकता है, लेकिन सदन को संतोष दिला दें कि जिन प्रदर्शिनियों के बारे में मांग की जा रही है उनका हिसाब ठीक था, हिसाब ठीक प्रकार से रखे गये और नियमों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और उससे सरकार को संतोष होकर यह मांग पेश की है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि इस इश्यू पर मंजूर करने का विचार करें। लेकिन वही स्थिति अब भी चली आ रही है। डाइरेक्टर के कार्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और सरकार की ओर से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां उनका पक्ष लेने का प्रश्न नहीं है क्योंकि यह जनता का पैसा है। आप यह कह सकते हैं कि जनता के पैसे की आपको ही अधिक चिन्ता क्यों है? हमको भी जनता के पैसे की चिन्ता है और हमारी भी जिम्मेदारी उसके लिए है तो मैं समझता हूं कि आपको उसकी चिन्ता हो सकती है। लेकिन वह उनके पक्ष की चिन्ता न होकर जनता के पक्ष की चिन्ता होना अधिक श्रेयकर हो सकता है जिसके लिए हमको भी चिन्ता है और यह जो पांच वर्ष से निरन्तर रोग चलता आ रहा है और यह इस प्रकार से चलता रहा है, माननीय गृहमंत्रीजी मुझे माफ करें इस रोग को चालू रखने की जिम्मेदारी डाइरेक्टर की नहीं है, इसको बनाये रखने की उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है। वर्ना मैं नहीं मान सकता कि यदि माननीय गृहमंत्रीजी इसके लिए दृढ हो जायं तो इस विभाग को ठीक करना, इस विभाग की कमियों को दूर करना, उनको दुरुस्त करना कोई मुश्किल बात नहीं है। उनका सिर्फ एक हुक्म हो जाय–हुक्म का मतलब है कि वे जरा सख्ती बरतें–इसका यह मतलब है कि जो अनियमिततायें होती हैं, इस प्रकार की जो कार्यवाही होती है, नियमों के अनुसार ठीक प्रकार की कार्यवाही नहीं होती है उसके लिए वे अपना वर्चस्व कायम करें और नीचे के अधिकारियों को बता दें जिससे वे ठीक तरह से काम करें। इतना ही नहीं पी. ए. सी. की रिपोर्ट में भी इसकी चर्चा होती है और इसको दूसरे विभागों के लोग भी समझते हैं। इससे उनके दिमाग में भी यह बात आ रही है कि डाइरेक्टर हिसाब पेश करे या न करें उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। यह

(श्री भैरोंसिंह)

कॉन्टेजियस डिजीज है। आज एक डाइरेक्टर का एप्रोच इस हद तक हो सकता है, कल दूसरे उसकी नकल करते जावेंगे और यह बीमारी बढ़ती ही जावेगी और आपने जो इस बीमारी को रोकने का तरीका बना रखा है वह तरीका वही बना रहा तो हर विभाग में यह बीमारी फैल जावेगी। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस विभाग की अनियमितताओं को सख्ती से दूर करें और इसको एक एग्जाम्पल के रूप में बनायें जिससे दूसरे विभागों को भी नसीहत मिल सके और जितनी बीमारी अभी है वह दूर हो सके। इतना कहते हुए-मैंने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं, माननीय गृह मंत्रीजी उनकी जानकारी देंगे। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल। तीन कटौती प्रस्ताव हैं। वे उनको प्रस्तुत करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरीबाजार, जयपुर): सभापति महोदय, इस मांग संख्या ४२ के सम्बन्ध में मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। [That the Demand No. LXII-57-Miscellaneous be reduced by Rs. 100/- (to discuss the expenditure incurred on the inauguration of the scheme of Democratic Decentralization at Nagaur.]

That the Demand No. LXII-57-Micellaneous be reduced by Rs. 100/- (to Discuss the failure of tne Rehabilitation Department to provide Doles to out-door T. B. patients.

That the Demand No. LXII-57 Miscellaneous be reduced by Rs. 100/- (to discuss the expenditure incurred on organising Exhibition by the Public Relations Department.]

एक प्रस्ताव इस प्रकार की जो एग्जीबिशन्स होती हैं-इन एग्जीबिशन्स के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है या किया गया उसके सम्बन्ध में है। इन एग्जीबिशन्स की व्यवस्था हमारे राजस्थान सरकार के पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट की तरफ से होती है जिसके सम्बन्ध में अभी श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के सामने कुछ तथ्य रखे हैं। सभापति महोदय, जो यहां बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था और जो विवरण दिया गया है उस पर दृष्टिपात करें तो यह प्रतीत होता है कि इन सब एग्जीबिशन्स पर लगभग १०॥ लाख रुपये की राशि का प्रावधान है। इसमें से ६॥ लाख रुपये हमने अभी रखे हैं और चार लाख रुपये का प्रावधान पहले से ही था। इसमें से २ लाख, १० हजार रुपये राजस्थान प्रदर्शनी जो जयपुर में लग रही है उसका है, ६ लाख रुपया दिल्ली में कृषि प्रदर्शनी और बाकी का अन्यान्य खर्चा है उसके लिए है। मैं सदन का समय ज्यादा इस सम्बन्ध में न लेते हुए पब्लिक रिलेशन्स विभाग के द्वारा इस सब खर्चे के हिसाब-किताब में कितनी अनियमितताएं हुई हैं यह सब न कहते हुए-क्योंकि इस पर मैं समझता हूँ श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने काफी प्रकाश डाल दिया है उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है-मैं गृह मन्त्रीजी से केवल एक निवेदन करना चाहूँगा कि आज की इन परिस्थितियों में जब कि देश भयानक वित्तीय संकट की अवस्थाओं से गुजर रहा है, और इससे प्रेरित होकर अखिल भारतीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जब हम बचत का नारा लगाते

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं और लोग कहते हैं, लोग ही नहीं स्वयं सरकारें कहती हैं, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार कहती है कि हमें अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिये तो मैं यह समझता हूं और मेरी ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन इस पैमाने पर करना बन्द कर दिया जाय। कई एक परिस्थितियों में प्रदर्शनियां करना ज़रूरी हो सकता है, मैं इसको मान सकता हूँ पर इस पैमाने पर इतना खर्चा करना मेरी समझ में नहीं आता। आशा है माननीय गृह मन्त्रीजी इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

दो लाख, दस हजार रूपया राजस्थान प्रदर्शनी पर खर्च किया। यह हो सकता है इससे कुछ लोगों का मनोरंजन हो। यह भी आवश्यक है, होना चाहिये, पर सभापति महोदय, यह मनोरंजन की बात, एन्टरटेनमेन्ट की बात, सार्वजनिक प्रदर्शन की बात ये कोई ऐसे अवसरों के लिये होते हैं जब हमारी स्थिति पैसे की दृष्टि से मजबूत हो, सरप्लस हो और जीवन की सारी अनिवार्य आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर चुके हों। विश्व कृषि मेला की दृष्टि से इसका कुछ महत्व माना जा सकता है, दुनियां के सारे देशों ने स्टॉल लगाये हैं और मैं समझता हूं कि राजस्थान का भी लगना चाहिये था। ठीक है। आप लगावें आपत्ति नहीं। पर क्या आवश्यकता है कि उस पर ६ लाख की धनराशि खर्च करें? आज हमारा राज्य इस हालत में नहीं कि हम ६ लाख इस पर खर्च कर सकें। मैं नहीं मानता कि हमें अमेरिका या रूस की नकल करनी चाहिये या चीन की नकल करनी चाहिये। अमेरिका एक करोड़ भी खर्च कर सकता है। अमेरिका की और इन देशों की हालत देखते हुए राजस्थान का एक लाख पर्याप्त होना चाहिये। ६ लाख की आवश्यकता नहीं थी। हमें जरूरत नहीं कि हम भी अमेरिका की तरह टीम-टाम करें, उसकी नकल करें। इतनी सजावट और सारी चीजें उसकी देखादेखी करें। हम हमारी हालत देख कर चलेंगे। अपनी जरूरतों को देख कर चलेंगे। माननीय गृह मन्त्रीजी उस देश के रहने वाले हैं यह उनको याद रखना चाहिये जिसमें महात्मा गांधी सरीखे व्यक्ति पैदा हुए हैं। जिन्होंने राउन्ड टेबल कॉन्फ्रेन्स में जिसमें इंगलैंड के और बाहर के बड़े बड़े लोग हजारों, लाखों रुपयों की कीमत के कपड़े पहन कर बैठने वाले थे वहां बैठने के लिये गांधीजी ने कहा कि मैं तो लंगोटी लगाकर आऊंगा क्योंकि मेरे देश में ऐसी अवस्था है कि मैं अधिक खर्चा नहीं कर सकता कपड़ों पर। मेरे यहां लाखों करोड़ों का जो पहनावा है उसी में मैं आऊंगा। आज मैं तो नहीं कहता कि लंगोटी लगाकर गृह मन्त्रीजी आवें या सभी लंगोटी लगा लें। पर उनके आदर्श अपने जीवन में उतारें और सरकार की रीतियां-नीतियां जो भी हों वे उस आदर्श के अनुसार हों। कहने का तात्पर्य इतना है कि हमारे देश की शोचनीय वित्तीय अवस्था को ध्यान में रखते हुए हमें इन सारे फिजूल खर्चों पर विचार करना चाहिये और जो खर्चा करना हो वह अनिवार्य हो तभी किया जाय और कम से कम किया जाय। दिखावे के लिये खर्चा बिल्कुल न किया जाय। टीम-टाम से बचा जाय। इसलिये इस कटौती के प्रस्ताव द्वारा मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस प्रकार की प्रदर्शनियों पर दस, दस लाख खर्चा करना वांछनीय नहीं है। इसमें कटौती करनी चाहिये और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

काफी मात्रा में करनी चाहिये। मेरी जोरदार शब्दों में यह मांग है। बावजूद उन सवालों के कि हिसाब में कितना, क्या घोटाला चल रहा है, सिद्धान्त रूप से बेसिक रूप से इन खर्चों में कटौती करनी चाहिये। हमें कम से कम रुपया इन चीजों में खर्च करना चाहिये।

आज के युग में, जिस युग में हम रह रहे हैं, हमें भयानक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उसमें इतना भारी खर्चा करना और ऐसी चीजों पर करना किसी तरह वांछनीय नहीं कहा जा सकता।

सभापति महोदय, दूसरा जो मेरा प्रस्ताव है वह भी इन्हीं भावनाओं से सम्बन्धित है। अभी दो अक्टूबर को नागोर में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण कानून का उद्घाटन समारोह हुआ। उसमें १॥ लाख की धनराशि खर्च की गई। वह राशि इस डिमान्ड के रूप में हमारे सामने है। इस सम्बन्ध में सदन में एक, दो प्रश्न भी सामने आये थे और राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। आज एक बड़ी जबर्दस्त बीमारी हमारे में फैलती जा रही है कि जो चीज जितनी कीमती नहीं होती उससे ज्यादा खर्चा हम उसके उद्घाटनों में कर देते हैं। मैं तो समझता हूँ कि आज की इन विकट आर्थिक संकट की परिस्थितियों में सरकार को गम्भीरता से इस सवाल पर विचार करना चाहिये। आज देश पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं उनकी ओर इस तरह निर्दय उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इसका प्रभाव देश की आर्थिक अवस्था पर बड़ा बुरा पड़ता है। इससे हमारा राज्य भी अप्रभावित नहीं रह सकता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन खर्चों के मुद्दों पर विचार करना चाहिये।

अंग्रेजी शासनकाल में हम टीका-टिप्पणी किया करते थे सामन्तवाद की। जब कि हजारों लाखों रुपया राजा-महाराजा अपने शौक पर खर्च कर दिया करते थे। जशन और ऐश पर लाखों खर्च कर दिया करते थे। हम उन खर्चों की टीका करते थे। तो आज उस लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के कानून में कौन सी ऐसी बाधा आ रही थी, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इस प्रकार की खर्चे की योजना नहीं करते तो? कौन सी ऐसी बात थी? पर नहीं, कानून राजस्थान के अन्दर राजस्थान की सरकार ने बनाया है, ऐसा अगर खर्चा नहीं करेंगे तो राजस्थान से बाहर के लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा, हिन्दुस्तान के लोगों और पड़ौसी राज्यों को कैसे मालूम पड़ेगा कि इस प्रकार का प्रगतिशील कानून राजस्थान ने बनाया है और कैसे इस प्रकार की बात प्रधान मंत्रीजी को मुख से निकलती कि यह कानून पहले राजस्थान की सरकार ने बनाया है? जब तक इसके बारे में प्रचार इस तरह नहीं होगा, दुनियां भर में प्रकाशन नहीं होगा तब तक हमारा यह कानून और योजना कैसी पूरी हो सकती थी? अगर यह भावना थी आपकी इसके पीछे तो बलिहारी है। फिर तो उन सारे कार्यक्रमों के साथ, उन सारे कानूनों के साथ किसी न किसी बड़े व्यक्ति विशेष का नाम आपको जोड़ना चाहिये। इसलिये आपने यह योजना बनाई कि नागोर में प्रधान मंत्री श्री जवाहरलालजी नेहरू इसका उद्घाटन करेंगे। तो मैं नहीं समझता इस तरह के कार्यक्रमों पर डेढ़ लाख खर्च कर देना कहां तक वाजिब हो सकता है। वे इसके बिना भी इस योजना को लागू कर सकते थे। अगर इसके बिना कोई योजना और कानून बनाना बेकार है तो फिर जो भी योजना और कानून यहां बनें

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सब का उद्घाटन आप करवाइये । यह सीलिंग का कानून बना । इसका भी उद्घाटन करवाइये फिर चूंकि सीलिंग का कानून राजस्थान में लागू हो रहा है अतः राजस्थान के सम्पूर्ण किसानों को इकट्ठा करके उसका उद्घाटन कराएं । मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है जब हमें इसके बारे में, इस तरह की तमाम बातों के बारे में एक निश्चित नीति तय करनी होगी ।

आज यह युग की मांग है, भूखी और गरीब जनता की मांग है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा टैक्सों के रूप में आप लेते हैं साथ साथ आर्थिक संकट के बादल हमारे सिर पर मंडरा रहे हैं इन सबको ध्यान में रखते हुए जो खर्चा कर दिया वह तो कर दिया वह तो आपने कन्टीन्जेसी फण्ड से प्रोवाइड कर दिया इसलिये देना होगा पर सवाल आगे के लिये है । इस बारे में इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सरकार निश्चित आश्वासन दे और मैं तो निवेदन करूंगा कि भविष्य की दृष्टि से सरकार अपनी एक नीति का निर्धारण करे कि आज जिन संकट की घड़ियों से हम गुजर रहे हैं उनमें आगे आने वाले पांच वर्षों तक कम से कम इस तरह के कोई उद्घाटन नहीं होंगे । आज देश को इन उद्घाटनों की और भाषणों की आवश्यकता नहीं है । हो सकता है दस, बारह साल पहले आवश्यकता रही हो जब कि हमारे सामने देश के नव निर्माण की योजनाएं नहीं थी, हमारे सिर पर कोई उत्तरदायित्व नहीं था । आपके पास योजनाओं के लिये आज समय नहीं पर सिनेमाओं के उद्घाटनों के लिये सरकार के पास समय है । अभी जयपुर, उदयपुर में दो सिनेमाओं के उद्घाटन हुए और हो रहे हैं । उद्घाटन का कार्यक्रम रहा है । इन सिनेमाओं का उद्घाटन ही आज हमारी जिन्दगी बन गई है । इसके बिना तो मानो हमारी जिन्दगी नहीं रही । इनके बिना शासन नहीं चल सकता, सरकार नहीं चलाई जा सकती ऐसा अनिवार्य सा लगता है । इसके बिना लोकप्रिय नहीं हो सकते । जीवन के हर क्षेत्र में आज यह रोग घुस गया है । कोई सर्कस आया तो उसके भी उद्घाटन पर चल दिये, और कोई ऐसी चीज आई तो उद्घाटन करना फर्ज मान लिया, खेल-तमाशे हुए तो उद्घाटन की बात याद आ गई । आज कल तो नटों का ड्रामा होने लगा तो उसके भी उद्घाटन के लिये दौड़ पड़े । आज कल तो यह होने लगा है और कोई काम इनके पास मानो रह ही नहीं गया है । तो इन परिस्थितियों में मैं जोरदार शब्दों के साथ यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार को इस बारे में अपनी एक नीति निर्धारित करनी चाहिये । आज की इन भारी परिस्थितियों में आगे आने वाले पांच साल में हम प्रतिबन्ध लगा दें—कानून बनाकर नहीं-बल्कि गृह मंत्रीजी यह आश्वासन दें कि सरकार की तरफ से राजस्थान के अन्दर आगे कोई उद्घाटन नहीं होंगे और अगर होंगे तो उद्घाटनों के ऊपर सरकार की ओर से कोई खर्चा नहीं किया जावेगा........

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : जो दो सिनेमाओं का उद्घाटन हुआ और जिनके बारे आपने अभी जिक्र किया उस पर सरकार का खर्चा नहीं हुआ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो आमदनी कह सकते हैं ।

तो मैं निवेदन कर रहा था माननीय सभापति महोदय, कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में हमें विचार करना होगा। मैं नागौर के उस उद्घाटन के अवसर पर जो कुछ गड़बड़-घोटाले हुए उस पर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। वहां पर एक हजार तम्बू लगाये गये और एक एक टैन्ट का किराया ८० रुपया दिया इस प्रकार से ८०,००० रुपया तो टैन्टों का किराया ही दे दिया। टैन्ट तो वहां पर एक हजार लगाये गये पर उनमें रहने के लिए ४० के अन्दर भी नहीं थे। वहां पर खर्चा अन्ट शन्ट किया गया जिसके हिसाब-किताब का पता नहीं है। जिन जिन मदों पर आपने खर्चा किया उनका विवरण इस बजट के साथ में प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए मैं समझता हूँ कि जो नीति के संबंध में मैंने एक बात का गृह मंत्रीजी से निवेदन किया है वे मेरी इन भावनाओं से सहमत होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

इसके साथ ही सभापति महोदय, एक कटौती का प्रस्ताव छोटा सा और है उसके संबंध में केवल इतना कहना चाहूँगा कि टी० बी० के पेशन्ट्स के लिए जो डोल्स की व्यवस्था की है वह अपर्याप्त है और पर्याप्त मात्रा में जैसे मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह उसके संबंध में पर्याप्त तरीके से व्यवस्था करे। इतना ही कह कर मैं अपने तीनों ही कटौती के प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूँ।

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी।

कुछ माननीय सदस्य : केवल ५ मिनट ही रह गये हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय सभापति महोदय मेरे ३ कटमोशन्स हैं। एक तो कटमोशन नम्बर २२ है That the demand No. LXII-Major Head-57 Miscellaneous be reduced by Rs. 100/-(to discuss non-maintenance of proper vouchers for expenditure incurred on feeding, clothing etc. of the displaced persons item no. 37.

दूसरा है To discuss the non-maintenance of proper accounts of the expenditure incurred on exhibitions by Pubic Relations Department.

तीसरा है To discuss the establishment of a permanent State level exhibition ground at Jaipur.

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले यह जो २ लाख, ६० हजार की डिमाण्ड है for expenditure incurred on-feeding, clothing etc. of the displaced persons. सभापति महोदय, यह जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स का फीडिंग और क्लोथिंग पर खर्च हुआ जो शरणार्थी लोग कैम्पों में ठहरे थे उसका सारा सारा का खर्चा गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को देना है और यह जो एक्सपेन्डीचर इन्कर किया गया था वह आज नहीं किया गया बल्कि आज से ६-७ साल पहले ही जब रिफ्यूजीज यहां आये थे सन् १९४८ के आसपास उस समय का यह सारा का सारा एक्सपेन्डीचर है। उस एक्सपेन्डीचर का सवाल पब्लिक अकॉउन्ट्स कमेटी के सामने भी आया था। आज उसका करीब ५० लाख रुपया गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने री-इम्बर्स करने के लिए इन्कार कर दिया। इन्कार इस बिना पर किया कि यह जो खर्चा इन्कार किया गया उसका प्रोपर अकॉउन्ट गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को नहीं दिया गया। तो जब प्रोपर अकॉउन्ट नहीं किया गया तो गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने उस खर्चे को री-इम्बर्स करने के लए इन्कार कर दिया है। जो २ लाख, ६०

(श्री पी० के० चौधरी)

हजार का आइटम आता है वह उसी सिलसिले में आता है। यह इस ढंग से आता है कि सिविल सप्लाईज डिपार्टमेन्ट को पेमेन्ट करना चाहते हैं For feeding and clothing etc. सभापति महोदय, इस रिलीफ एण्ड री-हेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट में इतना पैसा इधर उधर हुआ है कि जिसका हिसाब ही नहीं मिलता है। जो लोन्स में गड़बड़ हुई है उसका जिक्र तो मैं नहीं करना चाहता हूँ लेकिन इन केम्पों में फीडिंग और क्लोथिंग के ऊपर और उनके मेन्टीनेन्स के ऊपर खर्चा हुआ उसके वाउचर नहीं हैं। जब गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने पेमेन्ट करने से इन्कार कर दिया था तो कलेक्टर्स को कहा गया कि वह वाउचर्स सर्टिफाई करके दे दें जो वाउचर नहीं मिल रहे हैं। पर कुछ कलेक्टर्स ने ऐसे सर्टिफिकेट्स देने से इन्कार कर दिया क्योंकि एक्सपेन्डीचर जिन लोगों ने किया था they are not at that post now. बहुत से लोग तो रिटायर हो गए हैं और बहुत से लोग प्रमोशन्स पर इधर उधर हो गये हैं इसलिए अकाउन्टस नहीं मिल रहे हैं। इसलिए यह जो आइटम्स यहां पर आये हैं सिविल सप्लाईज़ डिपार्टमेन्ट को पेमेन्ट करने का उसका पेमेन्ट ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अकाउन्टस में जो गड़बड़ी है उसको रेगुलेराइज करने का एक तरीका है और मैं यह मानता हूं कि इस सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट पर लगभग २ लाख, ६० हजार का आया है और उसके बाद दुबारा किस ग्रान्ट में आयेगा वह सारा का सारा जो ४०, ५० लाख रुपया जिनका री-इम्बर्समेन्ट नहीं मिल रहा है, प्रोपर अकाउन्ट नहीं मिलने की वजह से उसको रफ्ता रफ्ता वाइप-आउट करने का तरीका है। उसमें मेरा ऑब्जेक्शन है वह इस बात का है कि यह जो एक्सपेन्डीचर है इस साल इन्कर नहीं किया आज से पहले किया है उसका आपने आज तक क्यों नहीं पेमेन्ट किया ?

एक माननीय सदस्य : समय हो गया

श्री पी० के० चौधरी : I will continue, Sir.

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ५-०० बजे, दिनांक १५ दिसम्बर, ५९ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त–विवरण

(सोमवार, दिनांक १४ दिसम्बर, १९५९)

स्तम्भ स्तम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

विक्रीकर के प्रयोजनार्थ रजिस्टर की गई निर्माणकारी संस्थायें

भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों तथा सैनिक सेवाओं के लिये अनुमोदित सिविलियन अधिकारियों को सेवाओं में लिये जाने निमित्त आयु-रोध में ढिलाई (Relaxation.)

जागीरदारों को स्पेशल लोन देने की योजना

राजस्थान शिक्षा विभागीय संस्कृत परीक्षाएं

श्री सूरजमल शहना (दीगोद) के साथ एस. डी. ओ. द्वारा ज्यादतियां

राजस्थान विश्वविद्यालय में संस्कृत परीक्षाओं के लिए फैकल्टी खोलने की पुनः मांग

श्री ओमप्रकाश, ऑफिस कानूनगो, कोलोनाईजेशन (अन्ता) की शिकायतों के विरुद्ध हुई जांच के परिणाम

विदेशों में भेजे गये सरकारी व गैर सरकारी व्यक्ति

नाथद्वारा जांच आयोग की रिपोर्ट

सुखसागर (सोजत) के डेरे की बारानी जमीन को चाही दर्ज करके बीघोड़ी वसूल किया जाना

जयपुर नगर में अधिक वर्षा से हुई जन-धन की क्षति एवं उस हेतु दी गई सहायता

तहसील चाकसू के एल. डी. सीज. का फिक्सेशन

श्री रघुवीरसिंह भू-निरीक्षक (चांदीकुई) के खिलाफ भ्रष्टाचार की हुई जांच का परिणाम

साम्यवादी कार्यकर्त्ता श्री मदनलाल की शिक्षा विभाग में नियुक्ति

जयपुर के स्वर्गीय श्री झूटालाल की सम्पत्ति पर कब्जा दिया जाना

श्री देवेन्द्रकुमार शाह, शिक्षक महाराजा मल्टीपर्पज हाई स्कूल, जयपुर की मुअत्तिली का केस

बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में खरीफ व रबी की फसलों का लगान एक साथ वसूल करना

मिडिल एवं प्राथमिक स्कूलों के फण्डों की विभागीय समिति द्वारा जांच की व्यवस्था

अछूत व पिछड़ी हुई जातियों के शेक्षित व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में सुरक्षित स्थान

शिक्षा सदन वास घासीराम (झुंझुनू) का छात्रावास

भूमि वितरण कमेटी, तहसील छीपा बड़ौद द्वारा भूमि का असमान वितरण।

सामाजिक शिक्षा केन्द्र।

बैलों की तकावी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही, जिला कोटा।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९५९-६० (प्रथम खंड) के विवरण की प्रस्तुति

श्री रिखबचन्द धारीवाल, उप-वित्त मंत्री ने अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९५९-६० (प्रथम-खण्ड), के विवरण को प्रस्तुत किया।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग सं० ४२-मुख्य शीर्षक ८ राजकीय आबकारी कर।

उपरोक्त मांग श्री संपतराम, उप-मंत्री, आबकारी तथा कर विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई।

इस मांग पर ७ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। उप-मंत्री के उत्तर के पश्चात् १ कटौती प्रस्ताव वापस ले लिया गया तथा शेष प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

(२) मांग सं० ४४-मुख्य शीर्षक १२-वाहनों पर कर

उपरोक्त मांग श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई।

इस मांग पर ४ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् १ कटौती प्रस्ताव वापस ले लिया गया तथा शेष प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

(३) मांग संख्या ५५-मुख्य शीर्षक ४०-कृषि

उपरोक्त मांग श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गई।

इस मांग पर ३ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् १ कटौती प्रस्ताव वापस ले लिया गया तथा शेष प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

(४) मांग सं० ५०-मुख्य शीर्षक २६-पुलिस

उपरोक्त मांग श्री रामकिशोर व्यास, गृहमंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई, जो सदन द्वारा स्वीकार की गई।

(५) मांग सं० ६२-मुख्य शीर्षक ५७-विविध

उपरोक्त मांग श्री रिखबचन्द धारीवाल, उप-मंत्री, वित्त विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई।

इस मांग पर ८ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

श्री पी. के. चौधरी अपने कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे मंगलवार, दिनांक १५ दिसम्बर, १६५६ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

मंगलवार दिनांक १५ दिसम्बर, ५६ की कार्य-सूची

(१) अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १६५६-६० पर मतदान।

(२) राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, ५६।

(विचार विमर्श एवं पारण)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३१७ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING PARTICULARS OF CYCLES, SEWING MACHINES NETTING NUTS ETC. MANUFACTURING CONCERNS RAJASTHAN.

S. No.	Name of District.	Name of Industry	Article Produced	Assessment year	Amount assessed	Amount deposited	REMARKS.
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. JAIPUR DIVISION.						
1.	Bharatpur	Laxmi Cycle Industries	Cycles	—	—	749.90 N. P.	No assessment has so far finalised. Rs. 749.90 N. been paid as tax so fa
2.	Ajmer City Circle	M/s Ganpati Sewing Machine Co., Station Road, Ajmer.	Manufacturing Assembles parts from out side & makes machines	1956-57 1957-58 1958-59	1,960.37 nP. 519.33 nP. — —	1,960.37N. P. 519.33 N. P. 2,060.00 N. P. 1,338.00 N. P.	ASSESSMENT MADE —do— Assessment pending —do—
		M/s National Industrial Works, Diggi Bazar, Ajmer.	Manufacturing Agricultural Implements & Cycle parts.	1958-59	—	473.00	—do—
3.	Jaipur City Circle 'A'.	M/s R. S. Bros., Bakshi-ji-Ka-Chowk, Jaipur.	Cycle & its parts.	1957-58 1958-59	110.50 nP. —	110.50 N. P. —	Assessment made pending.
4.	Jaipur City Circle 'B'	Rajasthan Cycle Industries Behind Atish.	Cycle & its parts.	1957-58	3,240.00	1092.28	Assessment made
		M/s Rajasthan Cycle & Parts Industries, Gangoli Building.	—do—	—do—	4,788.34	291.61	—do—
		M/s Jaipur Cycle Parts Industries Shri-Ji-Ki-Mori.	Cycle & its parts	1957-58	1,976.99	Nil	Assessment made
		M/s National Cycle Works, Brahmpuri	—do—	1958-59	—	—	No assessment has so far b finalised.
		M/s B. N. Corporation Industries, Jaipur South.	Wire Nails Netting Bolts.	—do—	—	—	—do—
	2. JODHPUR DIVISION.						
5.	Jodhpur City	M/s Elite Engineering Cycle dealers, Jaswant Building, Jodhpur.	Cycle & its parts.	1955-56 1956-57	347-12-6 1,314-10-9	547-12-6 1,314-10-9	Assessment for the subsec years has not so far been
	3. BIKANER DIVISION.	—	—	—	—	—	There is one concern M/s Mohan & Co., Manufactur sewing parts started in 195 matter of issuing Registra certificates is under enquiry
	4. UDAIPUR DIVISION.						
6.	Udaipur City	M/s Vikas Iron Industries, Mandi-Ki-Nal, Udaipur branch of Ms Poonam Chand Roshanlal Chokhanlal Udaipur.	Manufacturing cycle stands and Carriers.	—	—	—	Registered in the year 195 neither assesed nor any t realised.
	5. KOTA DIVISION.	Nil.	Nil.	Nil.	Nil.	Nil.	
					14,457.88	10,457.43	

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२४ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE PERSONNEL WENT FOR TRAINING ABI

S. No.	Name of person	Official Designation.	Period of Training	Purpose of Training	Place	Expenditure borne by	Expenditure incurred.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Shri Motilal Kakar	Zonal Dev. Officer Dev. Department.	6 months	Dev. & Extension under T. C. M. Prog.	U. S. A.	T. C. M.	Figure not availabl
2.	,, B. L. Sukhwal	Technical Astt. Industries Deptt.	5 months	Cottage Industries Engineering under Colombo Plan.	Japan	Colombo Plan	Not available
3.	,, K. N. Nag. Lecr.	Raj. Col. of Agriculture Udaipur.	1 year	Further training in Agricultural Engng. Farm Machinery.	U. S. A.	T. C. A.	Not available
4.	,, Shrimati Kushama Rathore Prof.	,, ,, ,,	6 months	Working of Extension Service.	U. S. A.	T. C. A.	Not available
*5.	,, C. P. Trivedi, Lecr.	,, ,, ,,	1 year	Breeding & Production of Maize.	U. S. A.	T. C. A.	Not available
*6.	,, P. B. Lal, Lecr.	,, ,, ,,	1 year	Technique reg. causes of formation & reclamation of saline Soils	U. S. A.	T. C. A.	Not available
*7.	,, S. S. Chaddha	Asstt. Plant protection Officer, Agri. Deptt.	6 months	Pl nt protection measures.	England.	T. C. M.	Not available
8.	,, N. K. Joshi	Asstt. Lab. Commr.	4 months	Labour Admn. under Colombo Plan	U. K.	Colombo Plan	Rs. 65/—
9.	,, C. D. Isar	Labour Commr.				Govt. of India	Rs. 4752/- for Govt. of India
10.	Shrimati C. K. Dandia Headmistress	Kamla Nehru Higher Secondary School, Jpr.	To attend Indian Labour organisation as Delegate		Geneva	United Educational foundaton in India.	Not available
			Information could not be collected.	Information could not be collected	U. S. A.		
11.	Miss Siphi Malani	Councellor, Vocational Bureau guidance, Bikaner.		—do—	U. S. A.		
12.	Shri Ramakant Sharma	Asstt. Engineer.	1 year	Training under Indo German Industrial Cooperation Scheme	West Germany	Self	Not available
13	,, S. D. Mathur	S. E. (B&R)	1 year	Under T. C. M. Prog.	U. S. A.	T. C. M.	7200 @
14.	,, P. K. Loria	Asstt. Engineer.	2 year	Under British Industries Scholarship.	U. K.	Self	Not available
15.	,, M. K. Doshi	Dy. Dir. Animal Husbandry	1 year	Trg. in Piggary & Shine Husbandry.	U. S. A.	T. C. M.	Not available
16.	,, S. K. Sharma	Sheep & Wool Extention Officer	6 months			Colombo Plan	Not available
17.	,, Mahendra Singh	,, ,, ,,	6 months	Felloship in Sheep & Wool	Astralia	—do—	Not available
18.	Dr. Satya Prakash Shrivastawa	Dir. of Archaeology & Museum, Jaipur.	6 months	Felloship in Sheep & Wool	,,	50% of study loan borne by State & the balance by Govt. of India.	Not available
19.	Dr. L. K. Sarin	Lecr.	6 months 8 days 3 years.	Training in Museum Technique Higher study in pht Phan. cology	U. S. A. Boston	Self	Rs. 15000 has study loan by
20.	Shri J. N. Mahrshi	Lecr.	,,	Higher study in Physical Chemistry.	U. S. A.	—do—	—do
21.	,, S. N. Purohit	Lecr.	—do—	Higher Study in Necular Physics	U. S. A.	—do—	—d
22.	,, C. C. Garg	Lecr.	—do—	Higher Study in Technilogy	London	—do—	Rs. 10,000 h to him as stu
23.	,, Indernath Bhargawa.	Lecr.	—do—	Higher Study in Metellurjical Engineering.	U. S. A	—do—	Rs. 15,000 h as study loa
24.	Miss Pushpa Khanna	Lecr.	2 years	Higher study	U. S. A.	—do—	Rs. 2000 wil for fees etc.

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ३३६ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN-DEPARTMENT OF EDUCATION

Dated 13th Feb. 58.

Shri Devendra Shah,
Assistant Teacher (under suspension)
Maharaja's Multipurpose Higher Secondary School, Jaipur.

You are hereby charged as follows :—

(i) That while serving in the Education Department, you took part "in politics in contravention of article 21 of Rajasthan Government Servants and [illegible]oners Conduct Rules"

[illegible] The[illegible] you have not discharged your duties efficiently. A statement of [illegible]tions against you is enclosed. You should submit your explanation [illegible] days of the receipt of this charge sheet and show cause why you [illegible] not be removed from service. In case no explanation from you is recei[illegible] [illegible]thin the time specified above, it will be presumed that you have none and suitable orders will be issued against you.

sd/—
Dy. Director of Education,
Jaipur.

Copy of letter dated 19-2-1958 from Shri Devendra Kumar Shah. Asstt. Teacher (under suspension) Maharajas Multi-purpose Higher Secondary School, Jaipur to the Dy. Director of Education, Jaipur.

Ref:—Your letter No. DDE/E.1/F.1/58 1357 dated 13th February, 1958.

Sir,

Most respectfully I beg to submit as follows :—

1. I am in receipt of the charge-sheet and the statement of allegations delivered to me six months and 11 days after my suspension.

2. I deny each and every allegation made against me. Ther is no basis whatsoever nor I can believe that any material was considered by any authority, before the order of suspension was passed against me. The very fact that it has taken more than six months to give me charge sheet speaks for it-self.

3. I request you kindly to furnish me with copies of documenatry evidence, if any, you may have considered in recpect of the charge-sheet served on me. I hope it will be furnished soon. I want to look into all the record on the file of my case, examine and scrutinise it if at all there be any documentary evidence. I also wish to be heard (in person) and to defend my self in a fair enquiry.

I would also pray that in view of very vague nature of the charges which are in fact no charges I may be reinstated in my job immediatly and my normal emoluments be kindly ordered to be paid to me. It is going very hard with me to maintain my family on the meagre subsistence allowance allowed to me during suspension.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३३८ का उत्तर देखिये)

LIST OF INSTITUTIONS AUDITED BY THE DEPARTMENTAL AUDIT PARTY, JAIPUR FOR THE YEAR. 1958-59.

1.	Govt.	Middle School, Jalia	10-4-58 to 11-4-58
2.	„	Basic Model School, Jaipur	22-4-58 to 19-4-58
3.	„	Girls Middle School, Tripolia, Jaipur	22-4-58 to 23-4-58
4.	„	Darbar A. V. Middle School, Jaipur	22-4-58 to 25-4-58
5.	„	Middle School, Samod	9-5-58 to 10-5-58
6.	„	Middle School, Sainthal	12-5-58 to 13-5-58
7.	„	Middle School, Ramgarh-Pachwara	14-5-58 to 15-5-58
8	„	Middle School, Biwai	16-5-58 to 17-5-58
9.	„	Middle School, Amber	7-7-58 to 9-7-58
10.	„	Middle School, Residency, Jaipur	21-7-58 to 22-7-58
11.	„	Girl's Middle School, Sikar	29-7-58 to 30-7-58
12.	„	Girl's Middle School, Pushkar	5-8-58 to 6-8-58
13.	„	Senior Basic Middle School, Ajmer	7-8-58 to 8-8-58
14.	„	Gir's Middle School, Bijainagar	9-8-58 to 10-8-58
15.	„	Pay Centre, Amber	11-8-58 to 12-8-58
16.	„	Middle School, Ghatgate, Jaipur	20-8-58 to 21-8-58
17.	„	Maharaja Middle School, Jaipur	25-8-58 to 26-8-58
18.	„	Girl's Middle School, Dausa	27-8-58 to 28-8-58
19.	„	Senior Basic School, Gagwana	8-9-58 to 9-9-58
20.	„	Senior Basic Middle School, Jawaja	10-9-58 to 11-9-58

21.	,,	Girls Middle School, Kekri	12-9-58 to 13-9-58
22.	,,	Middle School, Sikandra	22-9-58 to 23-9-58
23.	,,	Girl's Middle School, Gangapole, Jaipur	22-9-58 to 30-9-58
24.	,,	N. V. D. Montesary School, Jaipur	3-10-58 to 4-10-58
25.	,,	Senior Basic Middle School, Ramgarh	6-10-58 to 7-10-58
26.	,,	Senior Basic Middle School, Nadakhera	8-10-58 to 9-10-58
27.	,,	Middle School, Govindgarh	10-10-58 to 11-10-58
28.	,,	Girl's Middle School, Chandpole, Jaipur	20-11-58 to 22-11-58
29.	,,	Middle School, Mozamabad	24-11-58 to 25-11-58
30.	,,	Middle School, Andhi	26-11-58 to 27-11-58
31.	,,	Middle School, Watika	28-11-58 to 29-11-58
32.	,,	Middle School, Manpur	22-12-58 to 23-12-58
33.	,,	Middle School, Kanota	26-12-58 to 27-12-58
34.	,,	Senior Basic Middle School, Beghara	5-1-59 to 6-1-59
35.	,,	Senior Basic Middle School, Junia	7-1-59 to 8-1-59
36.	,,	Middle School, Kadera	9-1-59 to 10-1-59
37.	,,	Sanskrit Hiteshani Pathahala, Ajmer	12-1-59 to 13-1-59
38.	,,	Middle School, Modikhara, Jaipur	16-1-59 to 19-1-59
39.	,,	Girl's Model School, Jaipur	20-1-59 to 22-1-59
40.	,,	Middle School, Madhorajpura	27-1-59 to 28-1-59
41.	,,	Middle School, Hingonia	29-1-59 to 30-1-59
42.	,,	Middle School, Sapla	4-2-59 to 5-2-59
43.	,,	Senior Basic Middle School, Deoli kalen	6-2-59 to 7-2-59
44.	,,	Senior Basic Middle School, Litiana	9-2-59 to 10-2-59
45.	,,	Middle School, Khejroli	16-2-59 to 17-2-59
46.	,,	Middle School, Kotkhavda	23-2-59 to 24-2-59

47.	"	Girl's Middle School, Sawai Ramgarh	20-2-59 to 21-2-59
48.	"	Girl's Middle School, Ghatgate, Jaipur	26-2-59 to 27-2-59
49.	"	Middle School, Manpurmachari	2-3-59 to 3-3-59
50.	"	Middle School, Renwal Majee	4-3-59 to 5-3-59
51.	"	Senior Basic Middle School, Jethana	9-3-59 to 10-3-59
52.	"	Senior Basic Middle School, Ramsar	11-3-59 to 12-3-59
53.	"	Senior Basic Middle School, Rajiawas	13-3-59 to 14-3-59
54.	"	Senior Basic Middle School, Rajgarh	16-3-59 to 17-3-59
55.	"	Middle School, Harmara	18-3-59 to 19-3-59
56.	"	Middle School, Mandwari	20-3-59 to 21-3-59

LIST OF INSTITUTIONS AUDITED BY THE DEPARTMENTAL AUDIT PARTY, HEAD QUARTER ALWAR FOR THE YEAR 1958—59.

1.	Govt. Middle School, Mobrikpur	7.4.58 to 8.4.58
2.	" Middle School, Gothara	10.4.58 to 11.4.58
3.	" Middle School, Gadhi	14.4.58 to 15.4.58
4.	" Middle School, Neemchana	17.4.58 to 18.4.58
5.	" Middle School, Khanapurjat	22.4.58 to 23.4.58
6.	" Middle School, Gadhala	25.4.58 to 26.4.58
7.	" Middle School, Kuthona	18.4.58 to 29.4.58
8.	" Middle School, Karnikot	30.4.58 to 1.5.58
9.	" Middle School, Chandpur	2.5.58 to 5.5.58
10.	" Middle School, Akbarpur	7.5.58 to 8.5.58
11.	" Middle School, Baldeograh	10.5.58 to 12.5.58
12.	" Middle School, Tabala	13.5.58 to 14.5.58
13.	Gandhi National School, Alwar	2.6.58 to 21.6.58
14.	Govt. Middle School, Bairod	7.7.58 to 9.7.58
15.	" Middle School, Rajgarh	11.7.58 to 14.7.58
16.	" Middle School, Thanagagi	16.7.58 to 18.7.58
17.	" Middle School, Krishangarh	24.7.58 to 26.7.58
18.	" Girls Middle School, Munni-ka-bar, Alwar	2.8.58 to 4.8.58
19.	" Middle School, Nogova	5.8.58 to 6.8.58
20.	" Middle School, Tatarpur	13.8.58 to 14.8,58
21.	" Middle School, Barodamav	16.8.58 to 18.8.58
22.	" Girl's Middle School, Bahore	22.8.58 to 23.8.58

23.	Govt. Girl's Middle School, Rajgarh	12.9.58 to 13 9.58
24.	" Girl's Middle School, Tijara	9.9.58 to 10.9.58
25.	" Middle School, Digawara	15.9.58
26.	" Middle School, Mangdwali	25.9.58 to 27.9.58
27.	" Middle School, Shahpura	29.9.58 to 30.9.58
28.	" Middle School, Thanagazi	1.10.58 to 3.10.58
29.	" Middle School, Partapgarh	4.10.58 to 6.10.58
30.	" Middle School, Damroli	8.10.58 to 9.10.58
31.	" Middle School, Dausad	10.10.58 to 11.10.58
32.	" Middle School, Krishanagarh	13.11.58 to 14.11.58
33.	" Middle School, Bhandosi	15.11.58 to 17.11.58
34.	" Middle School, Malakhara	21.11.58 to 22.11.58
35.	" Middle School, Machari	24.11.58 to 25.11.58
36.	" Middle School, Pinaian	27.11.58 to 28.11.58
37.	" Middle School, Rajgarh	29.11 58 to 1.12.58
38.	" Middle School, Talab	2.12.58 to 3.12.58
39.	" Middle School, Majpur	8.12.58 to 9.12.58
40.	" Middle School, Khatmer	5.12.58 to 6.12.58
41.	" Middle School, Khora	10.12.58 to 11.12.58
42.	" Girl's middle School, Laxmangarh	12.12.58
43.	" Middle School, Mandhan	23.12.58 to 25.12.58
44.	" Middle School, Manot	30.12.58 to 31.12.58
45.	" Middle School, Bhilwari	3 1.59 to 5.1.59
46.	" Girl's Middle School, Kotputli	6.1.59 to 7.1.59

47.	Govt.	Middle School, Barodakan	9.1.59 to 10.1.59
48.	,,	Middle School, Harsana	12.1.59 to 13.1.59
49.	,,	Middle School, Dhramred	15.1.59 to 16.1.59
50.	,,	Middle School, Rajpur	17.1.59 to 19.1.59
51.	,,	Middle School, Neemrana	24,1.59 to 27.1.59
52.	,,	Middle School, Bahadurpur	2.2.59 to 3.2.59
53.	,,	Middle School, Bamanwas	10.2.59 to 11.2.5
54.	,,	Middle School, Majra	13.2.59 to 14.2.59
55.	,,	Middle School, Badwal	16.2.59 to 17.2.59
56.	,,	Niddle School, Meed	19.2.59 to 20.2.59
57.	,,	Middle School, Paragpura	21.2.59 to 23 2.59
58.	,,	Middle School, Jadoli	25.2.59 to 26.2.59
59.	,,	Middle School, Bharodjat	27.2.59 to 28.2.59
60.	,,	Mi ld e School, Athela	9,3.59 to 10.3.59
61.	,,	Middle School, Narada	12.3.59 to 13.3.59
62.	,,	Middle School, Thanagagi	14.3.59 to 16.3.59
63.	,,	Middle School, Gadh Sawairam	18.3.59 to 19.3.59
64.	,,	Middle School (Girls), Malakhera	21.3.59
65.	,,	Middle School, Ghrui	27.3.59 to 28.3.59
66.	,,	Middle School, Hamirpur	30.3.59 to 31.3.59

(छपया तारांकित प्रश्न संख्या ३४६ का उत्तर देखिये)

सूची—अ०

सूची समाज-शिक्षा-केन्द्र

क्रम सं०	नाम विकास खण्ड	समाज-शिक्षा-केन्द्र
१	२	३
१	केकड़ी	५१
२	लक्ष्मणगढ़	५
३	नौखा	१५
४	नीम का थाना	१
५	पिण्डवाड़ा	६०
६	अहोर	५४
७	झालरापाटन	६३
८	चिड़ावा	५१
९	चौमूं	१५
१०	श्रीकरनपुर	१२
११	कोटरा	२०
१२	शाहबाद	१२
१३	बूंदी	१८
१४	वसेड़ी	२
१५	सवाई माधोपुर	१७
१६	किशनगढ़-	६६
१७	प्रतापगढ़	८४
१८	करौली	२४
१९	मालपुरा	१२
२०	सांगानेर	१४
२१	गिर्वा	३१
२२	सिवाना	३
२३	बिलाड़ा	१६

१	२	४
२४	सागवाड़ा	५६
२५	कुम्भलगढ़	३
२६	टोडाभीम	—
२७	गढ़ी	१०
२८	उदयपुर वाटी	१६
२९	टोंक	१६
३०	तिजारा	६५
३१	कपासन	२६
३२	श्रीनगर	२२
३३	खामनौर	१
३४	सांचोर	४१
३५	आसपुर	३७
३६	मण्डावर	६२
३७	नदवई	१
३८	सोजत	१७
३९	फागी	५२
४०	सूरजगढ़	४०
४१	सूरतगढ़	—
४२	बड़गांव	४६
४३	कालिंजरा (बागीदौरा)	६०
४४	शिव	२२
४५	खानपुर	७१
४६	धारियावद	[illegible]
४७	खारची	१३
४८	लक्ष्मणगढ़	१२
४९	आबूरोड	२४

१	२	३
५०	हिन्डोली	८७
५१	हनुमानगढ़	४
५२	किशनगढ़	४
५३	गंगापुर	८०
५४	ओसियान	२
५५	बैराठ	२४
५६	श्रीभावरेपुर	२४
५७	राजगढ़ (चुरू)	२२
५८	मनोहयाना	३२
५९	जोधपुर (मण्डौर)	५
६०	मावली	३
६१	कुम्हेर	१७
६२	थानामाजी	२
६३	डीडवाना	२६
६४	अन्ता	३०
६५	जोबनेर	३
६६	बाली	४०
६७	मसूदा	७९
६८	आमेट	८१
६९	सीमलवाड़ा	१५
७०	हिण्डौन	८०
७१	किशनगढ़वास	६४
७२	सुमेरपुर	४८
७३	अटरू	६
७४	डूंगरपुर	१८
७५	रतभगंरा	५०
७६	रायसिंह नगर	१८

१	२	३
७७	चिच्छीवाड़ा	२६
७८	राजसमन्द	१२
७९	दातारामगढ़	—
८०	इटावा	२
८१	टोडारायसिंह	२
८२	धांटोल	६२
८३	भोपालगढ़	३१
८४	मकराना	५०
८५	नवलगढ़	८२
८६	कोटकासिम	२०
८७	रूपवास	२२
८८	रासमी	६६
८९	पदमपुर	३
९०	जहाजपुर	८
९१	पचभदरा	५
९२	सिरोही	८
९३	सिकराय	३०
९४	नादौती	—
९५	कोटरी	२१
९६	डेगाना	—
९७	रायपुर	१
९८	कोलायत	—
९९	निम्बाहेड़ा	—
१००	देवली (छावनी)	१८

———

खण्ड का नाम	स्थानों की संख्या तथा केन्द्र का नाम
१–चांदीकुई	१. कोलाना, २. गुलाना, ३.–मेहतानी, ४. सोडालावासदा, ५. लोटवाड़ा ६. हिन्गोटा, ७. हिन्गोटावास, ८. हिन्गोटावास हरिजन, ९. खेड़ा, १०. अलीपुर, ११. दूबी, १२. कनेती, १३. गुड़ाकटला, १४. डेलारी, १५. सोमादा, १६. दनवाड़ ।
२– चित्तौड़गढ़	१. अरनिया पंथ, २. भटवाड़ा, ३. गोपालपुरा, ४. मेड़ीखेड़ा, ५. कसमोरा, ६. चिकसी ।
३–कुचामन सिटी	१. कुंकारवाली, २. अदरसर, चिटावा, ४. गुगरवाड़, ५. प्रेमपुरा, ६. घाटवा, ७. नलोटे, ८. मिन्डा, ९. देवली, १०. शिम्भुपुरा, ११. शिव, १२. भिलिल्या, १३. रोसेल, १४. चारणवास, १५. सबलपुरा, १६. आनन्दपुरा, १७. लिवाना, १८. मीटारी, १९. भावन्ता, १०. मण्डावार, २१. पालरा, २२. महाराजपुरा, २३. राजास, २४. मारोठ, २५. पुरोहितों का वास, २६. पांचोता, २७. लुनवा, २८. सोल्यान (पहला समूह), २९. सोल्यान (दूसरा समूह), ३०. मुआवा, ३१. श्यामगढ़, ३२. राजलिया, ३३. बावरी, ३४. जन्दीनगर ।
४–भीनमाल	कुछ नहीं ।
५–सरदार शहर	कुछ नहीं ।
६–बस्सी	१ लालगढ़, २. देवगांव, ३. बांसखों, ४. बांसखों (बी०), ५. भाहजवाड़, ६. पाटन, ७. जीतवाला, ८. समहारिया, ९. माधोगढ़, १०. परसोली, ११. बड़वा, १२. अनन्तपुरा, १३. जीरडानी, १४. गढ़, १५. पालावाला-जाटान, १६. बांसखो, १७. बढ़वा, १८. दयालपुरा, १९. बस्सी, २०. पाटन, २१. श्यामपुरा, २२. भटवाड़ा, २३. तुंगा, २४. लालपुरा, २५. अनन्तपुरा, २६. बनेरा, २७. गढ़, २८. फालियावास, २९. देवगांव, ३०. कनूता, ३१. समहारिया, ३२. डूडली, ३३. लालगढ़, ३४. काशीपुरा, ३५. ततेरा, ३६. माधोगढ़ ।
७–शाहपुरा	१. रामपुरा, २. शाहपुरा, ३. घोराय, ४. बड़ेसरा, ५. अमरपुरा, ६. सिंगराय, ७. बुलुखेड़ा, ८. प्रतापपुरा, ९. खामनोर, १०. बालापुरा, ११. बोरड़ा, १२. हरिजन मोहल्ला (किले के पास) ।
८–बारां	१. कोयला, २. मण्डोला, ३. लिसाडिया, ४. कीकड़, ५. खाराली, ६. बड़ा, ७. नागेड़ा, ८. बरोनी, ९. ठूसरा, १०. बमूरिया, ११. बैंगणी, १२. बड़ा, १३. सुमावद, १४. कोयला, १५. तलावड़ा ।

Page No.137

९–महुवा	१. खोड़ा, २. समर्दीपुरा, ३. बड़ा बुजुरग, ४. खेड़ला, ५. बड़गांव, ६. घूंघ, ७. साहेदा, ८. भोजपुरा, ९. किलो नागला, १०. कायमपुरा, ११. टुडियाना, १२. नारानपुरा, १३. नागल, १४. मंडावर, १५. मानावड़ा, १६. चुडला।
१०–देवली	१. नसिरदा, २. दूनी, ३. राजमहल, ४. पनवाड़, ५. चांदली, ६. अवान ७. थानवाला, ८. बन्थाली, ९. गुड़ाई, १०. बिसलपुर, ११. बालावाड़ १२. गांवरी, १३. घूनवान, १४. घाड़, १५. बिजवाड़, १६. निवारिया १७. नागर, १८. राजकोट।
११–राजगढ़	१. कुछ नहीं।
१२–पीसांगन	१. कलेसरा, २. जेठाना, ३. सम्रतपुरा, ४. रिचमालियन, ५. डूमाड़ा, ६. सोमालपुरा, ७. नथूथाला, ८. गालरी, ९. कन्वालिया, १०. नन्दे, ११. चावन्डिया, १२. मांगलीयावास।
१३–कोटा	कुछ नहीं।
१४–जयपुर	१. रामसिंहपुरा, २. चम्पापुरा, ३. जयसिंहपुरा।
१५–सांकरा, हैड-क्वार्टर पोकरान	१. चन्चा, २. खेतोलाय, ३. बोलिया, ४. नारोतों की धानी, ५. उज्जालन, ६. मढ़वा, ७. बालर, ८. बोनाड़ा, ९. ओढ़ानिया, ११. फलसूद।
१६–राजाखेड़ा	१. महैडवार, २. जारेहा, ३. गोपालपुरा, ४. कैतरपुर, ५. भजना, ६. रामगढ़ा, ७. डिग्गी, ८. सेदापुर, ९. खानपुरा, १०. जारेह(राजाखेड़ा), ११. सिहोली, १२. मारेना, १३. चीलपुरा, १४. तिकतपुरा, १५. खुरेद, १६. सादिकपुरा, १७. मांगरोल, १८. जुगारियापुरा, १९. समालिया का पुरा, २०. सेकपुर, २१. बासिग्याराम।
१७–देसूरी	१. बावरिया का झूंपा, २. सादरी, ३. गांणेराव, ४. दूदापुरा, ५. देसरी ६. सुथारा का गुड़ा, ७. आशापुरा।
१८–श्री डूंगरगढ़	कुछ नहीं।
१९–भिनाई	१. गुड़लिया, २. केसरपुरा, ३. कुमारिया, ४. टान्टोटी, ५. पीपरोली, ६. कबावा, ७. कल्याणपुरा, ८. देवपुरा, ९. खादारिया, १०. रूपपुरा, ११. किताल, १२. जवालिया. १३. बनारिया, १४. गोपालपुरा, १५. सवाईपुरा, १६. सिंगावाल, १७. उदयपुर खेड़ा, १८. लावपुरा, १९. गवेबरा, २०. बड़ली, २१. खान्चाखेड़ा, २२. बावड़ी, २३. काटचरिया,

२४. जैतपुरा, २५. कैरोट, २६. सारेना, २७. राममालिया, २८. जोरावर-पुरा, २६. बालापुरा, ३०. कैरिया, ३१. बासीग, ३२. जोरापुर, ३३. भिनाई, ३४. बासिली, ३५. राताकोट ३६. देवलिया कलां।

२०—लाडपुरा(कोटा) १. अर्जुनपुरा, हाथीखेड़ा, २. गोलोरा, ४. बनीयानी, ५. कितलहेड़ा।

२१—गोविन्दगढ़ कुछ नहीं।

२२—जवाजा १. व्यावर वास, २. नरसिंहपुरा, ३. किशनपुरा, ४. शाहपुरा, ५. बन्जारी, ६. तारागढ, ७. सिंगारिया, ८. कोटरा, ६. पुनेरा, १०. भगवानपुरा, ११. रामपुरा दूदा, १२. नूंदरी मालदेव, १३. बिहार रतनपुरा, १४. मेडिया (व्यावर खास), १२. गोपालपुरा, १३. भोबुरल।

२३—माण्डल कुछ नहीं।

२४—लाडनूं १. श्यामपुरा, २. चपारा, ३. फिंगसारी, ४. निम्बी जोदान, ५. गिरदोदा—खाड़ा, ६. फिरवासी, ७. सीलनवाड़, ८. बकालिया।

२५—नगर(भरतपुर) १. नगर, २. थून, ३. बरखेड़ा फोजदार, ४. पूंचारी, ५. कसादा, ६. मानेटा, ७. लडमका, ८. पिपलखेड़ा, ६. खाकावली।

सूची ब

छाया-विकास-खण्डों में चल रहे समाज-शिक्षा-केन्द्रों की तालिका

क्र० सं०	जिले का नाम	केन्द्रों का नाम
१.	पाली	चाटियाला (पाली)
२.	पाली	भिमालिया (जैतरान)
३.	जोधपुर	कन्कानी (जोधपुर)
४.	सिरोही	राडेर (सिरोही)
५.	सिरोही	जयाला (शिवगंज)

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या का ३१६ उत्तर देखिये)

क्र०सं०	नाम जागीरदार	जागीर तहसील व जिला	स्वीकृति रकम	तारीख
१	श्री तेजराजसिंह	मेड़ता, तहसील पीपलदा. जि० कोटा	१०,०००)रु०	४-१-५६
२.	,, मानसिंह	भिएडा, तहसील नावा, जि० नागोर	१०,०००)रु०	२१-१-५६
३.	,, रामचन्द्र	भीमावास, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर	८००)रु०	१३-३-५६
४.	,, मुकन्दसिंह	टाई सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर	५,०००)रु०	१०-५-५६
५.	,, देवीसिंह	चितौडा, तहसील फागी, जयपुर	१५,०००)रु०	४-२-५६
६.	,, बलवन्तसिंह	पालडी, तहसील मालपुरा, टौंक	१५,०००)रु०	५-२-५६
७.	,, रामसिंह	मेहनसर, तहसील झुंझुनूं, झुंझुनू	१०,०००)रु०	१६-२-५६
८.	,, जगमालसिंह पुत्र मूलसिंह	खाटु, तहसील दांतारामगढ़, सीकर	१५,०००)रु०	१७-३-५६
६.	,, हरिसिंह	मागलदास, तहसील दौसा, जयपुर	२,०००)रु०	१३-३-५६
१०,	,, बनेसिंह	रिएडलिया, तहसील टोडारायसिंह जिला टौंक –	६,०००)रु०	१३-३-५६
११.	,, मातिका मुबारक जामिनी बेगम	तुर्कीडारडा, तहसील टौंक, टौंक	७,०००)रु०	२८-३-५६

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ का उत्तर देखिये)

श्री कन्हैयालाल पुरोहित आर०ए० एस० भू प्रबन्ध अधिकारी (भूमि एकीकरण) बांदीकुई कैम्प भादरा का पत्र दिनांक २४-५-५६ की प्रतिलिपि

सर्वश्री लक्ष्मीनारायण, मांगीलाल, किशोर धम्नो बालचन्द, रामहेत आदि के आरोप पत्र विरुद्ध श्री रघुवीर सिंह इन्सपेक्टर की मौके पर जांच की हैं।

प्रार्थियों से और अन्य ग्रामवासियों से भी पूछताछ की गई है। प्रार्थियों ने उनके आरोप पत्रों में निम्न आरोप लगाये हैं :—

१. निरीक्षक जनता को तरह तरह के रौब दिखाकर पैसे लेकर प्लाटों में रद्दोबदल करता है।

२. निरीक्षक खुल्लमखुल्ला शराब का प्रयोग करता है और हुकूमत शाही चलाई जाती हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण ने उसके बयान में उल्लेख कराया है कि उसने उसके खेत को दुरुस्त करने के लिए निरीक्षक को ५०) रुपये दिये किन्तु वह उसके बयान में यह भी लिखाता है कि निरीक्षक को रुपये देने की बात ग्राम में किसी को नहीं कही है। रुपया दिया उसका सबूत उसके पास नहीं है।

सर्वश्री किशोर, मांगीलाल, माली, धम्बू, आनन्दा ने उनके बयानों में उल्लेख कराया है कि इन लोगों के खातों में परिवर्तन (इन्तकाल) कराने में फी खाता ५) रुपये प्रत्येक व्यक्ति की निरीक्षक को देने पड़े।

श्री मांगीलाल वल्द कालू गूजर ने लिखाया है कि उसके चक को ठीक कराने के लिए निरीक्षक ने उससे १००) रुपये मांगे थे, किन्तु उसने ४० रुपये इन्सपेक्टर को दिये हैं। बाकी के रुपये उसने नहीं दिये हैं।

श्री बालचन्द ने भी उसके बयान में यह लिखाया है कि उसने चक को ठीक कराने के लिए ३०) रुपये देने पर ही दुरुस्ती हुई थी। रुपया दुरुस्ती होने पर ही दिये थे। जब श्री मांगीलाल, बालचन्द, धम्बू, आनन्दा, किशोर ने उनके बयान में लिखाया है कि रुपये देने का उनके पास कोई प्रमाण नहीं हैं।

प्रारम्भिक तस्दीक में दिनांक २७-१-५६ को ही जो धम्बू और किशोर के खातों का इन्तकाल तस्दीक हो गया था। यह कार्यवाही सार्वजनिक सभा में की गई थी। प्रत्येक खाते पर सलाहकार कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। ऐसी सूरत में यह नहीं माना जा सकता कि गिरदावर ने इन लोगों से मार्च के माह में रुपया इस कार्य हेतु लिया हो। क्योंकि इन्तकाल आदि तस्दीक का कार्य पहले ही समाप्त हो गया था।

श्री लक्ष्मीनारायण ने चार गवाह सर्वश्री ओंकार, भानाराम, आनन्दीलाल, नाथू पेश किये हैं। श्री ओंकार ने उसके बयान में लिखाया है कि दो महीने पहिले श्री लक्ष्मीनारायण उससे ५०) रुपये ले गया था। जब कि श्री लक्ष्मीनारायण ने ओंकार से रुपया उधार लिए थे। उस वक्त ओंकार के पूछने पर भी यह नहीं बताया कि ये रुपये किसको देने के लिए ले जा रहा है। जब रुपये वापिस किये थे तब लक्ष्मीनारायण ने बताया कि वह रुपया चकबन्दी के निरीक्षक को देने के लिए ले गया था। यदि यह बात सत्य थी तो पहले भी यह बात कह सकता था।

अन्य तीन गवाह इस बात का पुष्टिकरण नहीं करते कि श्री लक्ष्मीनारायण ने चकबन्दी के इन्सपेक्टर को ५०) रुपये दिये हैं। भानाराम गवाह तो यह कहता है कि मेरे से रुपये २००) अमीन ने मांगा था। इसी प्रकार आनन्दीलाल ने लिखाया है कि उसने निरीक्षक को रुपये नहीं दिये हैं।

श्री नाथू ने भी बयान में उल्लेख कराया है कि उसने प्लाट को ठीक कराने के लिए ५०) रुपये निरीक्षक को दिया था और यह रुपये जब निरीक्षक श्री लक्ष्मण के घर बैठे थे तब दिया था। उस समय लक्ष्मण राम प्रताप, सूजा, लक्ष्मण के मकान के बाहिर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे।

लक्ष्मण, सूजा और रामप्रताप को भी इसके लिए पूछा गया है। उन्होंने अपने बयानों में स्पष्ट लिखाया है कि उन्होंने कभी भी इन्सपेक्टर चकबन्दी को लक्ष्मण के मकान पर जाते हुए नहीं देखा और इन्सपेक्टर की उठ बैठ श्री लक्ष्मण के मकान पर नहीं है। इन लोगों ने यह भी लिखाया है कि नाथू को लक्ष्मण के मकान पर आते जाते नहीं देखा। स्वयं लक्ष्मण ने भी कहा कि उसके मकान पर नाथू कभी नहीं आया। ऐसी अवस्था में नाथू का बयान अप्रमाणित रहता है और उसके बयान से श्री लक्ष्मीनारायण के आरोप को बल नहीं मिलता है। प्रथम आरोप के लिए मैंने गांव के अन्य निवासियों से पूछताछ की हैं। लेकिन इन लोगों ने सामूहिक रूप से कहा कि इन्सपेक्टर ने उनसे रिश्वत रुपया वगैरह नहीं लिया है। अतः यह आरोप अप्रमाणित रहता है।

दूसरे कथित आरोप के सम्बन्ध में प्रार्थयान में केवल श्री लक्ष्मीनारायण का ही कथन है कि इन्सपेक्टर दिन में शराब पीता है अन्य व्यक्तियों ने इस विषय में कुछ भी नहीं लिखाया है। इसके लिए श्री लक्ष्मीनारायण के गवाह नाथू ने बयान में लिखाया है कि जब वह निरीक्षक को लक्ष्मण के मकान पर मिलने गया था तब निरीक्षक के सामने मेज पर अंडे पड़े थे। शराब की बोतल पड़ी हुई थी। शराब गिलास से पी रहे थे। दिन का समय था। नाथू ने इस घटना की निश्चित तारीख नहीं बताई है। नाथू के बयान में यह लिखाया है कि जब इन्सपेक्टर से लक्ष्मण के मकान पर मिलने गया था तब लक्ष्मण के मकान के बाहर सूजा लक्ष्मण और रामप्रताप बैठे हुये थे अतः इसके लिए इन लोगों से पूछा गया है। उन्होंने बताया कि नाथू का यह कथन बिल्कुल गलत है। उन्होंने इन्सपेक्टर को दिन में शराब पीता नहीं देखा है। सूजा जो लक्ष्मण का पड़ौसी है लिखाया है कि लक्ष्मण शराब और अन्डे कभी भी काम में नहीं लाता है और उसने इन्सपेक्टर को शराब और अंडे काम में लेते नहीं देखा है।

ग्राम श्यालावास की आबादी अलग अलग ढाणियों में दूर तक आबाद है। मैं पूर्व सूचना देकर प्रत्येक आबादी पर पहुंचा और इन्सपेक्टर की निष्ठा, चरित्र और व्यवहार के लिए पूछ-ताछ की है। इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न आबादियों के निवासियों के बयान लिये है। इन लोगों ने लिखाया है कि नये चकों के लिए इन्सपेक्टर व सर्वेयर को कोई रुपया नहीं दिया और न ही ऐसा सुना है। उन्होंने यह भी लिखाया है कि उन्होंने इन्सपेक्टर को शराब पीते नहीं देखा है। इन्सपेक्टर और सर्वेयर का व्यवहार अच्छा है।

ग्राम श्यालावास का कार्य कृषकों की आपसी सहमति से हुआ है। मानचित्र पर नये चक बनाकर खातेदारान को मौके पर निशान देही दी गई थी। ग्राम श्यालावास की भूमि एक सी नहीं है। नाले व खड्डे आ जाने से प्राकृतिक उपखण्ड अधिक हैं। इसलिये नये चकों के बनाने में कर्मचारियों को कठिनता का मुकाबला करना पड़ा है। निशानदेही देने पर खातेदारान से आपत्ति पत्र लेकर ही नये चकों में सहायक भूमि एकीकरण अधिकारी से आज्ञा प्राप्त कर संशोधन बनाये गये हैं। मेरी सम्पत्ति में प्रार्थियों के आरोप पत्रों में कथित आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।

मैंने प्रार्थियों को उनके कथित आरोप से प्रमाण में सबूत पेश करने का समय दिया है। श्री लक्ष्मीनारायण ने दिनांक १६-४-५६ को चार साक्षी पेश किये हैं उनके बयानात लेकर शामिल पत्रावलि किये हैं। अन्य प्रार्थियों ने कोई प्रमाण या साक्षी पेश नहीं किये हैं। दो (अन्य प्रार्थी) मेरे सामने जब यह प्रगट कर रहे थे कि उनके पास कोई प्रमाण या साक्षी नहीं है तब श्री लक्ष्मीनारायण ने इनको इन्सपेक्टर के विरुद्ध भड़काया है और कार्यालय से बाहर ले जाकर इन लोगों से एक अलग प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कराकर प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि उनका आरोप पत्र सिद्ध नहीं होगा जब तक श्री रघुवीरसिंह श्यालावास में इन्सपेक्टर हैं। वह प्रार्थना पत्र भी शामिल पत्रावलि है।

प्रार्थियों के आरोप पत्र की जांच करते समय मैंने श्री रघुवीरसिंह को सम्मिलित नहीं रखा है। ग्रामवासियों से भी उसकी अनुपस्थिति में ही पूछताछ की है। यह सब इसलिए किया गया था कि लोग इन्सपेक्टर के प्रभाव में न रहे और स्थिति का वास्तविक अध्ययन हो सके श्री लक्ष्मीनारायण के व्यवहार और रवैया आदि से मेरा अनुमान है कि वह श्री रघुवीरसिंह से व्यक्तिगत द्वेष रखता है।

ग्राम श्यालावास के ५०, ६० खातेदारान भी दिनांक ८-५-५६ को मेरे समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इस प्रार्थना पत्र में भी प्रार्थियों ने इन्सपेक्टर और सर्वेयर के कार्य और व्यवस्था को ठीक बताया है। यह प्रार्थना पत्र भी शामिल पत्रावलि है।

मेरी सम्पति में प्रार्थियों का प्रार्थना पत्र प्रमाणित नहीं होता है।

श्रीमान् संचालक महोदय भूमि एकीकरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

———

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १४ दिसम्बर, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२२८८	अन्तिम	नौताड़	नोतोड़
२३९२	१०	who	He
,,	अन्तिम से ८	requsite	requisite
२३९३	१-२	pertinaned	pertinent
२३९४	३	Becaus	Because
२३९८	अन्तिम से ४	कॉलम मुलाहिजा	कॉलम का मुलाहिजा
२३९९	१२	disignation	designation
२४००	अन्तिम से २	send	sent
२४०१	८	send	sent
२४०३	अन्तिम से १०	—	प्रश्न संख्या ३२५
२४०७	शीर्ष	(श्री मुरलीधर व्यास)	(श्री सम्पतराम)
२४०७	१५	मत्यु	मृत्यु
२४१२	१०-१६	मत्यु	मृत्यु
२४१४	अन्तिम से ११	euquiry	enquiry
२४२०	अन्तिम से ३	स्पेसिफक	स्पेसिफिक
२४३२	१८	समुदायिक	सामुदायिक
२४३३	६	सन्ची	सूची
२४३७	११	कर्षे	कर्जे
२४४२	२१	delaberate	deliberate
२४४२	२३	tud of	but if
२४४३	२१	ecommendations	recommendations
२४४५	प्रथम	want the	I want the
२४४६	७	जनरलिस्ट्स	जरनलिस्ट्स
२४४७	अन्तिमसे५व८	जनरलिस्ट्स	जरनलिस्ट्स
,,	,, ,, ६	बरबेटिंग	वरबेटिम
२४५०	२१	he	the
२४५०	२२	tif	till

१	२	३	४
२४५५	६	suppling	Suppllyiug
२४६२	१२	उन्होंने	वे
२४६८ व	४	असिस्टेन्ड	असिस्टेन्ट
२४६८ व	१७	आयुर्वेद प	आयुर्वेद पर
२४६६	१४	one	on
२४६६	१७	on	no
२४६८	के पश्चात् सर्व प्रथम	२४६६ २४६७	२४६८ अ२४६८ व
२४७५	अन्तिम	डस्ट्रिकटवाइज	डिस्ट्रिक्टवाइज
२४७६	८	श्री शकलाल	श्री शंकरलाल
२४८५	१६	Taxas on	Taxes on
२४६७	शीर्ष	२५६७	२४६७
२५०४	१	श्रा उपाध्यत्त	श्री उपाध्यक्ष
,,	२	Pleaserely	please roly
२५०७	अन्तिम से ५	ब्रोम्बे साइड़	ब्रोम्वे साइड
२५०६	३	चालन करता	चालान करता
२५१०	अन्तिम	चैंक पेस्टों	चैक पोस्टों
२५१२	१६	श्री हरदेव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
२५१८	अन्तिम	किया था	दिया था
२५२४	२१	suspension	suspicion
२५३१	३	हूँ । कि	हूँ कि
,,	४	प्रसिंग	प्रेसिंग
२५३४	१७	refered by	referred to by
२५३८	शीर्ष	चन्दनमल वैद	श्री चन्दनमल वैद
२५३६	१६व अन्तिम	प्लिन्ट	प्लेन्ट
,,	अन्तिम से २	में मैं कह	मैं कह
२५४१	१०	ताद करूंगा	ताईद करूंगा
२५४३	अन्तिम	withni	within
२५४८	व १३	मुकर्र	मुकर्रर
,,	,, ,, ८व २	डिपार्टमेंट	डिपार्टमेण्ट
२५५०	११	interupt	interupt

१	२	३	४
२५५१	१६	no east	not cast
,,	२०	threr	there
२५५२	१	उसको	उसका
२५५३	११	चाहत	चाहता
२५५३	५	d nt	don't
२५५७	१७	के किये	में किये
२५५७	६	में अपने	में अपने.
२५६१	८	तो में	तो मं
२५६०	अन्तिम	अ.फिस	ऑफिस
२५६७	१६	स्पेशेलावज़	स्पेशलाइज़
२५६८	७	देने बे	देने के
,,	१८	बोई जायगा	बोया जायगा
२५६६	१६	था फि	था कि
२५७०	शीर्ष	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
२५७३	२१	मुकद्म	मुकद्मे
२५७५	५	वेटेक्निीकल	वे टैक्निकल
२५७७	अन्तिम से ५	मूिल जाति	मिल जाती
२५७७	,, ,, ३	डिपाटमेंट	डिपार्टमेंट
२५८२	५	reduce	reduced
२५६५	६	है या नहीं	है नहीं
२५६६	१	गड़चड़ियों	गड़बड़ियां
,,	१६	शामिल गई	शामिल हो गई
२५६६	अन्तिम से५	८५% न्यूज़पर्सेन्ट प्रिन्ट	८५%न्यूज़ प्रिन्ट
,,	अन्तिम	प्रन्ट	प्रिन्ट
२६०१	७	मैंने	मैं
२६०३	अन्तिम	उसके ग्विलाफ	उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है
२६११	अंतिम से ४	फया उस	किया उस
२६१२	प्रथम से ऊपर	—	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
२६१३	अंतिम	लाए इकार	लाए इन्कार
२६१४	१६	क्लेकटर्म	कलेक्टर्स
२६१७	प्रथम	के रै	के बेरे
२६२३	सीरियल७(५)	pl t	plant
,,	,, १०(७)	foundaton	foundatie

१	२	३	४
२६२३	मी० १५ (५)	shuie	swine
,,	,, १७व १८ (५)	felloship	fellowship
,,	,, १८ (४)	6 months	6 months 8 days
,,	,, १६ (४)	6 months 8 days 3 years	3 years
,	,, १६ (१०)	no ye	not yet
,,	,, २२	Technlogy	Technology
२६२४	२६	Thes is no	There is no
,,	३१	suspasion	suspension
२६३१	प्रथमसेऊपर	—	परिशिष्ट ५ः
२६४०	५	धम्रो	धम्बू
,,	१३	उसके	उनके
,,	१६	व्यक्त की	व्यक्ति को
,,	अंतिम से ८	जत्रं श्री	सर्व श्री
,,	,, ,, ५	तत्रदीक	तस्दीक
२६४१	६	भानााम	भानाराम
,,	१८	श्री	भी
,,	अंतिम से ४	बताना	बताया
,,	,, ,, ३	सजा	सूजा
,,	६	जनाने	बनाने
,,	१२	सम्पत्ति	सम्मति
,,	१७	सत्र	तत्र
,,	अंतिम से ५	खातेदारान भी	खातेदारान ने भी
,,	,, ,, २	सम्पति	सम्मति